खण्ड-381, अंक-6
शनिवार, 20 आषाढ़, शक संवत् 1909
(11 जुलाई, 1987 ई0)

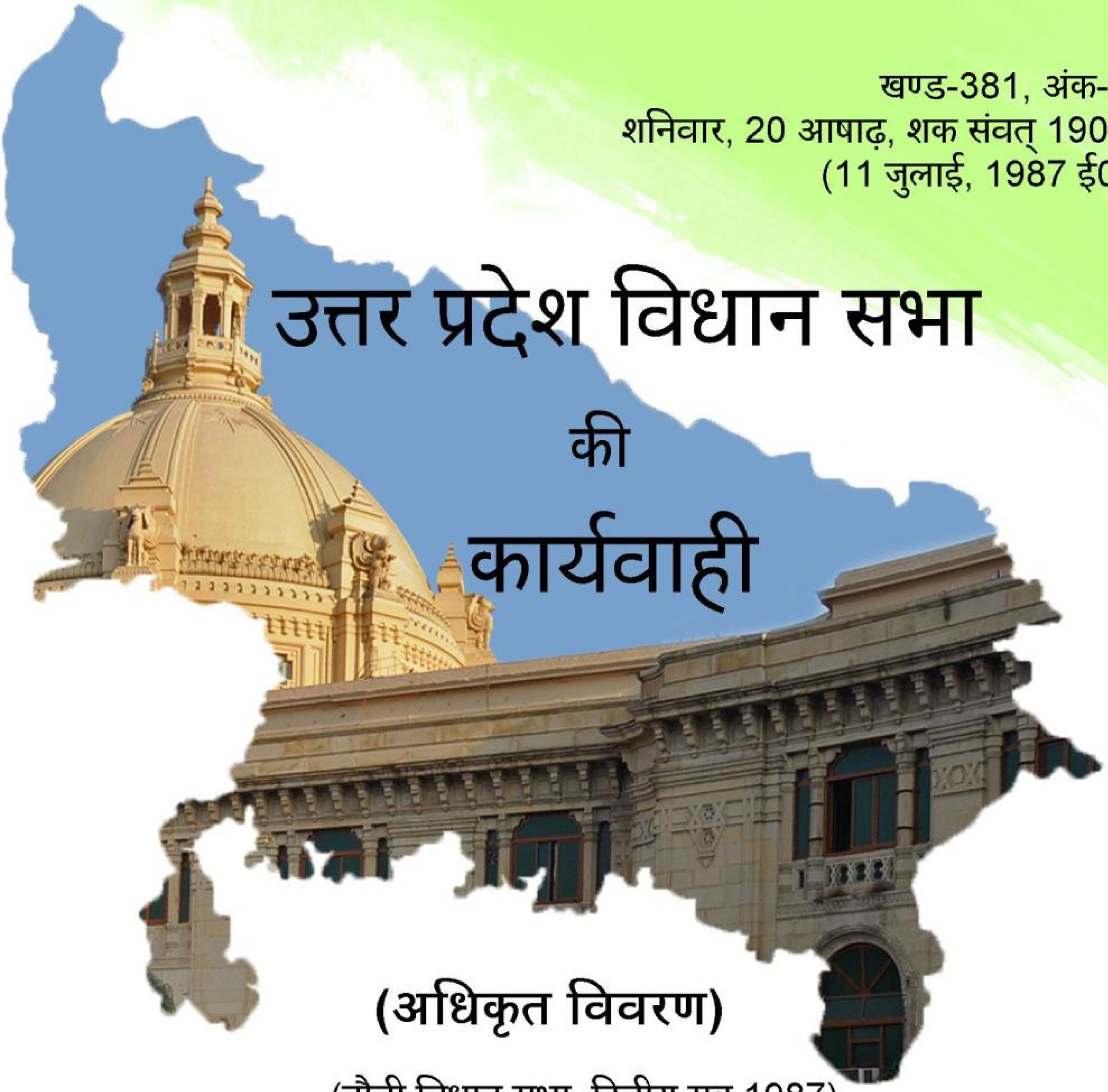

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(नौवी विधान सभा, द्वितीय सत्र 1987)

खण्ड 381 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, 25 पैसे , उत्तर प्रदेश (भारत)
1987

मूल्य : बिना महसूल 31 पैसे, महसूल सहित १० रुपये |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल १२ रुपये, महसूल सहित Mudrak City is Not Mentio

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
सदस्यों की उपस्थिति	क–ख
औचित्य प्रश्नों की सूचनाएं	1–2
सिंचाई राज्य मन्त्री, श्री भोला शंकर मौर्य के कक्ष में उनके तथा श्री यदुनाथ सिंह के बीच हुई घटना की जांच हेतु समिति के गठन की घोषणा ..	2
वित्तीय वर्ष 1987–88 के आय-व्ययक में मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 13—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या 14—कृषि तथा सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या 19—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (जारी)	3–49
आज की कार्यसूची की मद संख्या 6 व 7 की चर्चाओं को स्थगित किए जाने का अनुरोध	49–50
वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 13—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या 14—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) तथा अनुदान संख्या 19—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (स्वीकृत)	50–95
13 जुलाई, 1987 को विधान सभा की दर्शक दीर्घाओं के लिए प्रवेश-पत्र जारी न किए जाने की सूचना	95
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह में हो रही हत्याओं के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य	96–97
आगरा कालेज के बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक में व्यवधान उत्पन्न होने के सम्बन्ध में वक्तव्य	97–99

अ० वि० सचिवालय उ० प्र०

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शनिवार, दिनांक 11 जुलाई, 1987

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में 11 बजे दिन में अध्यक्ष, श्री नियाज हसन की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

निम्नलिखित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे—

अकबर हुसैन बाबर, श्री	फैजाबाद
अकबर अहमद (डम्पी), श्री	नैनीताल
अचल सिंह, श्री	फतेहपुर
अच्युतानन्द तिवारी, डाक्टर	गोरखपुर
अतर सिंह यादव, श्री	एटा
अम्बिका सिंह, श्री	बस्ती
अवधेश प्रताप मल्ल, श्री	देवरिया
अशरफ इमाम, श्रीमती	मिर्जापुर
अशोक बाजपेयी, श्री	हरदोई
इकबाल अहमद, श्री	आजमगढ़
ओम प्रकाश रिछारिया, श्री	झांसी
कमल किशन पाण्डेय, श्री	पिथौरागढ़
कमलेश कुमार पाठक, श्री	इटावा
कान्ती सिंह विसेन, श्रीमती	खीरी
काशी सिंह ऐरी, श्री	पिथौरागढ़
कुदसिया बेगम, श्रीमती	हरदोई
कौशिक रमा शंकर, श्री	मुरादाबाद
गया प्रसाद वर्मा, श्री	इटावा
गोपाल राम दास, श्री	अल्मोड़ा
गोपीनाथ दीक्षित, श्री	उन्नाव
गौरी शंकर भैया, श्री	बलिया
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा
जगमोहन सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
जमुना प्रसाद बोस, श्री	बांदा
जवाहर सिंह यादव, श्री	इलाहाबाद
जौहरी लाल त्रिवेदी, श्री	कानपुर
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
दूधनाथ, श्री	जौनपुर
देवेन्द्र कुमार सिंह, श्री	ललितपुर
नरेन्द्र देव, श्री	मिर्जापुर
नरेश पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
पद्मा सेठ, श्रीमती	सीतापुर
परमाई लाल, श्री	हरदोई
पारसनाथ यादव, श्री	जौनपुर
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
फरीद महफूज किदवई, श्री	बाराबंकी
फसीउर्रहमान अन्सारी, श्री (उर्फ मुन्नन खां)	गोंडा
फागू चौहान, श्री	आजमगढ़
बदन सिंह, श्री	आगरा
बलवीर सिंह यादव, श्री	मैनपुरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू राम यादव, श्री	मैनपुरी
बालेश्वर, श्री	देवरिया
बुनियाद हुसैन अन्सारी, श्री	सीतापुर
बेनी प्रसाद यादव, श्री	बाराबंकी
भगौती सिंह, श्री	लखनऊ
भृगुनाथ भट्ट, श्री	गोरखपुर
मनोहर लाल, श्री	उन्नाव
महराज सिंह, चौधरी	इटावा
महावीर सिंह, श्री	सहारनपुर
महेन्द्र भाटी, श्री	गाजियाबाद
मित्रसेन, श्री	फैजाबाद
मुलायम सिंह यदव, श्री	इटावा
मुहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद अबरार अहमद इंजीनियर, श्री	बदायूं
मोहम्मद आकिल, श्री (उर्फ मुन्ना मियां)	मुरादाबाद
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
रमाकान्त, श्री	आजमगढ़
रमेश चन्द्र उर्फ रमेश यादव, श्री	एटा
राकेशधर त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
राज किशोर सिंह, श्री	वाराणसी
राजेन्द्र सिंह, श्री	अलीगढ़
राजेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र बख्श सिंह, श्री	बाराबंकी
राम जनम, श्री	आजमगढ़
रामनन्दिनी वर्मा, श्रीमती	फर्रुखाबाद
राम पाल वर्मा, श्री	हरदोई
राम सजीवन, श्री	बांदा
राम शरण दास, श्री	सहारनपुर

अध्यक्ष प्रदर्शन शाखा

राम सागर, श्री	बाराबंकी
रेवती रमण सिंह, कुंवर	इलाहाबाद
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया
विजय सिंह राणा, श्री	आगरा
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विष्णु देव, श्री	आजमगढ़
वीरेन्द्र सिंह, श्री	एटा
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
शतरुद्र प्रकाश, श्री	वाराणसी
शारदानन्द अंचल, श्री	बलिया
शिव बालक पासी, श्री	रायबरेली
श्रीप्रकाश, श्री	आजमगढ़
संजय सिंह, डाक्टर	सुल्तानपुर
सलावत हुसैन, श्री	गाजियाबाद
सलावत हुसैन, श्री	मुरादाबाद
समर पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
सरस्वती प्रताप सिंह, श्री	खीरी
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदा मिश्रा, श्रीमती	इटावा
सुनील शास्त्री, श्री	गोरखपुर
सुरेन्द्र कपिल, श्री	सहारनपुर
सुरेन्द्र पाल वर्मा, श्री	बांदा
सुरेन्द्र बहादुर सिंह, श्री	रायबरेली
सुरेश प्रताप सिंह गांधी, श्री	अलीगढ़
हफीज भारती, श्री	आजमगढ़
हर नारायण सिंह, श्री	रायबरेली
हरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर
हर्ष वर्धन, श्री	गोरखपुर
हृदय नारायण दीक्षित, श्री	उन्नाव

उत्तर प्रदेश विधान सभा

औचित्य के प्रश्नों की सूचनायें

(श्री माता प्रसाद पाण्डेय द्वारा फ्लोर से अपने आसन पर जाने पर)

सहकारिता मंत्री (श्री अरुण कुमार सिंह)–

इधर आ जायें ।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

आना तो उधर है ही चाहे इधर से आयें या उधर से आयें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय माता प्रसाद जी, अब सदन शुरू हो रहा है ।

नियम 300 के अंतर्गत आज 2 सूचनायें प्राप्त हुई हैं । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त जी की और अर्जुन सिंह यादव जी की । माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्त ने बजट साहित्य के बारे में और माननीय अर्जुन सिंह ने हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के भ्रष्टाचार के बारे में सूचना दी है ।

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी यह बजट साहित्य की दिक्कत की बात बार-बार उठायी जाती है । मुझे सोचना पड़ेगा कि अगर बजट का साहित्य समय से नहीं आ रहा है तो आया इस बजट को पेश करने दिया जाय या नहीं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री अम्मार रिज़वी)–

मान्यवर, भविष्य में ऐसा नहीं होगा ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, जो लेटेस्ट जानकारी मुझे है और जो मान्यवर, नियमों में व्यवस्था है वह यह है कि 2 दिन पहले बजट साहित्य मिलना चाहिये । आज इस समय कार्यवाही शुरू हो चुकी है लेकिन ग्राम्य विकास विभाग का पूरा साहित्य मिला नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने आपकी भावनाओं को देखते हुये पहले ही निर्देश दे दिया है ।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, आपकी आज्ञा शिरोधार्य है । भविष्य में इस बात का प्रयास करेंगे कि समय से बहुत पहले बजट साहित्य की कापियां उपलब्ध हो जाया करें। मुझे सूचना मिली है कि बजट साहित्य की कापियां कल रख दी गयीं थीं, बहुत से हमारे साथियों को मिल गयीं हैं, जिनको नहीं मिली है उसके लिए खेद है । डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल जी भी आज बता रहे थे कि उनको कापी मिल गयी है । मान्यवर, बजट साहित्य समय से उपलब्ध नहीं हो पाया इसके लिये मुझे खेद है ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

अम्मार साहब सरकारी गवाही रहेंगी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मैं संसदीय कार्य मंत्री जी के कथन को चुनौती देता हूं । आप अपने सचिवालय से कन्फर्म कर लें कि क्या इस आदरणीय सदन के सदस्यों की जितनी संख्या है उसके अनुसार साहित्य आ गया है । यदि आपका सचिवालय कहता है कि आ गयी है तो मैं अपनी बात को गलत मान लूंगा । माननीय संसदीय कार्य मंत्री जानबूझकर सदन को गुमराह करने की चेष्टा कर रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने सदन की भावनाओं को देखते हुये पहले ही निर्देश दे दिया है ।

डाक्टर कृष्ण वीर सिंह कौशल–

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने मेरा नाम लिया है ।

श्री अध्यक्ष–

डाक्टर साहब, आप कृपा करके बैठिये ।

जहां तक माननीय अर्जुन सिंह यादव का जो मामला है, यह नियम 300 के अंतर्गत नहीं आता है । इसको मैं अस्वीकार करता हूं ।

सिंचाई राज्य मंत्री, श्री भोला शंकर मौर्य के कक्ष में उनके तथा श्री यदुनाथ सिंह के बीच हुई घटना की जांच हेतु समिति के गठन की घोषणा

श्री अध्यक्ष–

दिनांक 2 जुलाई, 1987 को माननीय सिंचाई राज्य मंत्री, श्री भोला शंकर मौर्य के कक्ष में उनके और श्री यदुनाथ सिंह के बीच में हुयी घटना की जांच हेतु सदन द्वारा दिनांक 3 जुलाई, 1987 को स्वीकृत प्रस्ताव के अनुसार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम 200 के अंतर्गत मैं सदन के निम्नलिखित सात सदस्यों की समिति के गठन की घोषणा करता हूं :–

1–श्री हुकुम सिंह
2–श्री राम सकल तिवारी
3–श्री लाल प्रताप सिंह
4–श्री जयदीप सिंह दरार
5–श्री दिवाकर विक्रम सिंह
6–श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी
7–श्री हरिश्चन्द्र (हरीश जी)

श्री हुकुम सिंह जी, संसदीय कार्य राज्य मंत्री, इस समिति के सभापति होंगे और यह समिति अपना प्रतिवेदन सदन के आगामी सत्र के अन्तिम दिन तक प्रस्तुत कर सकेगी । प्रश्नगत मामले से संबंधित श्री भोला शंकर मौर्य का पत्र दिनांक 2 जुलाई, 1987 तथा श्री यदुनाथ सिंह की विशेषाधिकार हनन की सूचना दिनांक 3 जुलाई, 1987 भी उपरोक्त समिति की जांच एवं प्रतिवेदन हेतु सौंप दिये गये हैं ।

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 13—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या 14—कृषि तथा सम्बद्य विभाग (पंचायती राज), अनुदान संख्या 19—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास)

ग्राम्य विकास मंत्री (श्री श्याम सूरत उपाध्याय)—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,65,14,00,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

श्री सुख पाल पाण्डे—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष—

अब मैंने उनको बुला लिया है, आप बैठें।

(व्यवधान के मध्य)

श्री सुख पाल पाण्डेय—

मान्यवर, [x x x]

श्री अध्यक्ष—

यह कुछ नहीं लिखा जायेगा।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अंतर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,86,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 19—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,60,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

मान्यवर, मुझे इस बात की खुशी है कि मैं इस विभाग का बजट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं जिसका सीधा सम्बन्ध ग्रामीण अंचलों से है और यह विभाग ग्रामीण अंचलों में रहने वाले, गरीबी की रेखा से नीचे जो गुजर बसर कर रहे हैं, लघु कृषक, सीमान्त कृषक, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोग, इनके उत्थान का कार्यक्रम कर रहा है। हमारे देश के प्रधानमंत्री, श्री राजीव गांधी ने जो गरीबी मिटाने का उन्होंने संघर्ष का एक नारा दिया है उसको सफल बनाने के लिए यह ग्रामीण

नोट:—[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार निकाल दिया गया।

विकास विभाग पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम कर रहा है। इसके साथ ही साथ मान्यवर, जितने हम गरीबी उन्मूलन के कार्यक्रम चला रहे हैं, उसके साथ साथ ग्रामीण अंचलों में रहने वाले भूमिहीन खेतिहर मजदूर, बेरोजगार नवयुवक, नवयुवतियां, अर्ध बेरोजगार लोग हैं, उनको रोजगार उपलब्ध कराने का कार्यक्रम भी इस विभाग के द्वारा सम्पादित किया जा रहा है।

मान्यवर, यह गांवों का देश है और जब तक हम गांवों का विकास नहीं करेंगे तब तक हम यह नहीं मानते हैं कि भारत का विकास हुआ। इसीलिए मान्यवर, हमारे केन्द्र की सरकार और प्रदेश की सरकार गांवों के सर्वांगीण विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। हम अपनी विभिन्न योजनाओं के तहत गांवों में चाहे सड़कों की बात हो, चाहे स्कूल की आवश्यकता का प्रश्न हो, चाहे पेयजल उपलब्ध कराने की बात हो, उनको हम उपलब्ध कराने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसके साथ साथ मान्यवर, हमारे समाज के जो निर्धन लोग हैं और खास तौर से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोग हैं, निर्बल वर्ग के लोग हैं जिसके लिए रियायती मकान अभी तक उपलब्ध नहीं हैं, उनके लिए इस विभाग के माध्यम से कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे गरीबों को हम मकान उपलब्ध करावें जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है। बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पेयजल संकट है, उनको हम पानी उपलब्ध कराने के लिए व विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सतत् प्रयत्नशील हैं। यह बहुत बड़ा प्रदेश है विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की समस्यायें हैं। जहां हम ग्रामीण अंचलों का विकास कर रहे हैं, गरीबी मिटाने तथा जीवन स्तर उठाने का प्रयास कर रहे हैं। उसी के साथ-साथ पहाड़ी एवं पठारी क्षेत्र की समस्याओं का समाधान किस तरह से हो सके, उन लोगों का जीवन स्तर किस तरह से उठाया जा सके, उनकी आवश्यकताएं कैसे पूरी हो सकें, इस दिशा में भी ग्राम्य विकास विभाग कार्य कर रहा है। हमारे पठारी क्षेत्रों बुन्देलखण्ड में पानी की व्यवस्था किस तरह से की जाय इसके लिए डी0 पी0 ए0 पी0 की योजना चालू करके इन लोगों में खुशहाली लाने की कोशिश की जा रही है। इस प्रदेश में बहुत बड़ा वर्ग छोटे किसानों का है। 70 प्रतिशत लोग लघु एवं सीमान्त कृषकों की सीमा में आते हैं। हमें उनकी खेती की पैदावार को बढ़ाना है। हमारी सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि जो छोटे किसान हैं जिनके पास थोड़ी जमीन है, वह अपनी थोड़ी जमीन में किस तरह से अधिक से अधिक पैदावार कर सकते हैं। इसके लिए एस0 एम0 एफ0 स्कीम चालू करके उन्हें मिनी किट प्राधिकरण कर रहे हैं। उनके खेतों में पानी उपलब्ध कराने के लिए बोरिंग की स्कीम चलाई है। पिछले वर्ष 61 हजार का लक्ष्य था जो शत-प्रतिशत पूरा हुआ। इस वर्ष भी 61 हजार फ्री बोरिंग का लक्ष्य रखा गया है। जिसका लाभ छोटे किसानों को प्राप्त होगा।

मान्यवर, जो बड़ी नहरें हैं, रामगंगा नहर, शारदा सहायक तथा गंडक नहरें, इन्हें चालू करके हम छोटी नहरों के माध्यम से किसानों को पानी देते हैं। हमारा उद्देश्य है कि इनका पानी किसानों तक पहुंचे और वे नहरों के पानी का पूरा-पूरा सदुपयोग करें। इन योजनाओं के माध्यम से किसानों तक चाहे गूल हों या कच्ची-पक्की नालियां हों इनके द्वारा किसानों तक पानी पहुंच रहा है। सीमान्त एवं लघु कृषक किस तरह से खेती करें, चक कैसे होने चाहिए, कितनी खाद होनी चाहिए,

कैसा बीज होना चाहिए, इसके लिए कृषि विकास का कार्यक्रम हम चला रहे हैं और छोटे-छोटे किसानों को लाभान्वित कर रहे हैं। इसके लिए जो हमारी मूलभूत आवश्यकता है, अन्डर ग्राउण्ड वाटर-भू- गर्भ जल इसका सही उपयोग कैसे करें, इसके बारे में भी प्रशिक्षण दे रहे हैं। इस हेतु भूगर्भ जल सर्वेक्षण की स्थापना हुयी है। हमारे प्रदेश में भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में विभिन्न समस्याएं हैं। इस संगठन द्वारा सर्वेक्षण कराकर हम देखते हैं कि पानी कितनी गहराई पर मिल सकता है। किस क्षेत्र में पानी उपलब्ध है तथा उसकी गुणवत्ता क्या है, खारा है या मीठा है, इस योग्य है या नहीं कि इसका उपयोग किया जा सके। यह सर्वेक्षण भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन द्वारा कराया जाता है और हम यह भी देखते हैं कि जो पानी हम नीचे से ऊपर उठाते हैं ऐसा न हो कि इतना अधिक ऊपर पानी हम उठा लें कि पानी का संकट उस इलाके में उत्पन्न हो जाए और संगठन के माध्यम से यह भी हम किसानों को अवगत कराते हैं कि कितनी दूरी पर अपने नलकूप लगावें और इसके साथ ही साथ जल प्लावन की समस्या से किस तरह से निपटा जा सकता है, इसको दूर करने का कार्य भी संगठन के माध्यम से किया जाता है। मान्यवर, आज बहुत बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि यह सारे कार्य जो हम कर रहे हैं इनमें और मजबूती कैसे आए, इस दिशा में भी विभाग ने बहुत आगे काम किया है, साथ ही इन्हीं बातों को देखते हुए गांव सभाओं को भी हमने अधिकार दिए हैं, क्षेत्र समितियां किस प्रकार से मजबूत हों इस दिशा में भी काम किया गया है और श्रीमन्, हम यह चाहते हैं कि स्वायत्तशासी जितनी संस्थाएं हैं, जिला परिषदें हैं, गांव सभा है और क्षेत्र समितियां इनको हम मजबूत बनायें और इनके माध्यम से जो भी इनकी समस्यायें हों, उन्हें जल्द से जल्द दूर करने का काम करें।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, यह चुनाव तो करा नहीं पाये जिला परिषद् के और इनके सदस्यों का समय तक समाप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष–

मा0 सदस्य, कृपया बैठें, बजट माननीय मंत्री जी प्रस्तुत कर रहे हैं, बीच में मत बोलें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

माननीय अध्यक्ष जी, इस सदन के सभी माननीय सदस्यों को विदित है कि गांव सभाओं के चुनाव सम्पन्न हो चुके हैं, क्षेत्र समितियों के सम्पन्न हो चुके हैं और जिला परिषदों के बारे में यह सही है कि इनके अभी तक चुनाव नहीं हो पाये हैं परन्तु जैसा कि मा0 सदस्य जानते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस सदन में ही घोषणा की है कि जिला परिषदों के चुनाव भी हम शीघ्र से शीघ्र करायेंगे और इस दिशा में मैं आश्वासन देता हूं कि जिला परिषदों का चुनाव शीघ्र से शीघ्र कराकर इनके गठन का काम करेंगे।

श्रीमन्, हमारे जो कार्यक्रम चल रहे हैं, उनके बारे में मैं यह उचित समझता हूं कि कुछ चीजों का ब्योरा इस सदन में हम अवगत करावें। गरीबों को ऊपर उठाने की दशा में ग्राम्य विकास द्वारा एकीकृत योजना के अन्तर्गत सन् 1980 से कार्य चल रहे हैं। मैं इस सिलसिले में अधिक कुछ नहीं कहना चाहता हूं क्योंकि

इस विषय में सभी माननीय सदस्य स्वयं जानते हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि गत वर्ष जो हमारा लक्ष्य था, उसके सापेक्ष्य में इस विभाग ने जो पूर्ति की है, वह कहीं आगे की पूर्ति है और इस वर्ष 1987-88 में 1 अरब, 16 करोड़, 51 लाख 58 हजार रु0 वार्षिक ब्यौरा निर्धारित किया गया है और यह भी निर्धारित किया है कि गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन व्यतीत कर रहे 7 लाख 66 हजार इन परिवारों को इस वर्ष ऊपर उठाये जाने का कार्यक्रम चलाया जायेगा। और 1980 से जो हमारा प्रोग्राम इस सम्बन्ध में चल रहा है, अभी उसमें कुछ ऐसे लोग हैं, जिन्हें यह सुविधा मिलने के बाद भी ऊपर नहीं उठ पाये हैं, ऐसे 7 लाख, 6 हजार लोग हैं, यह पुराने लाभ्यर्थी हैं और 1 लाख 66 हजार नये लाभ्यार्थियों को लाभ देकर उनको ऊपर उठाने की कोशिश की जायेगी। मान्यवर, इस प्रकार के सारे कार्यक्रम ठीक ढंग से चल सकें प्रभावशाली ढंग से चल सकें, इसके लिए भी शासन से निर्देश जारी किये गये हैं, इस सम्बन्ध में भी आपके माध्यम से आदरणीय सदन को अवगत कराना चाहता हूं। इस कार्यक्रम के व्यापक प्रसार एवं जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इस वर्ष मान्यवर, एक मार्ग निर्देशिका प्रसारित की जा चुकी है जो कि उच्च अधिकारियों से लेकर सभी ग्राम्य विकास अधिकारियों को उपलब्ध कराई गयी है। उस निर्देशिका में जो गाइड लाइन्स हैं, उसी के मुताबिक सबको काम करना है और सभी परियोजनाओं के लिए बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज क्या हो, इसका प्राविधान किया गया है, क्योंकि विगत में देखा गया है कि किसी परियोजना को किसी लाभार्थी को सौंप दिया गया तो उसने काम तो शुरू कर दिया, लेकिन उसको कहीं कच्चा माल नहीं मिल रहा है और कच्चा माल मिल गया तो उसके उत्पादन की बिक्री का कोई साधन नहीं है। मान्यवर, हम कोशिश कर रहे हैं कि जो भी परियोजना किसी लाभ्यर्थी को सौंपी जाय या कोई परियोजना लाभ्यर्थी स्थापित करें तो उसके लिए बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज परियोजना साथ ही में लागू होनी चाहिए।

मान्यवर, जो विभिन्न विभाग इससे सम्बन्धित हैं जैसे पशुपालन विभाग, दुग्धशाला विकास, खादी एवं ग्रामोद्योग विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यान विभाग, इन सभी विभागों को सम्मिलित करके उनके सहयोग के साथ इन लाभ्यार्थियों के लिए बैकवर्ड एवं फारवर्ड लिंकेज की व्यवस्था की जाय। इसके साथ-साथ मान्यवर, बैंकों के साथ भी बहुत ही आवश्यक है कि समन्वय किया जाय और इसके लिए मान्यवर, राज्य स्तर पर हर तीसरे माह बैठक आयोजित करके जो बैंकों के साथ लाभ्यार्थियों की समस्याएं हैं, उनको देखा जायगा और उनका निराकरण किया जायगा और जो आवेदन पत्र में जटिलताएं थीं और हर योजना के लिए अलग अलग फार्म देना पड़ता था, उसको सरल बनाया गया है ताकि लाभार्थी को ऋण प्राप्त करने में आसानी हो सके।

मान्यवर, जो यह कार्यक्रम गरीबों के लिए चल रहा है, इसका अनुश्रवण भी बहुत आवश्यक है, इसलिए हर जिलाधिकारी को आदेश दिया गया है कि सभी जिलाधिकारी हर माह में कम से कम 5 गांवों, परिवारों का परीक्षण करें कि इन लाभार्थियों को सही तरह से लाभ मिल रहा है या नहीं। इसी तरह से जिलाधिकारियों के अलावा अन्य अधिकारियों से भी कहा गया है कि फिजिकल वेरीफिकेशन करें और लाभ्यार्थियों के साथ बैठकर परियोजनाओं को देखें कि सही चल रही है या नहीं। यह इस वर्ष आदेश दिया गया है। मण्डलीय बैठकों का भी आयोजन किया जा रहा है जिसमें

उच्च स्तर के अधिकारियों और ग्राम स्तर के अधिकारियों व कर्मचारियों को भी सम्मिलित करके सारी समस्याओं पर विचार करके उनका निराकरण किया जा रहा है और इसके साथ-साथ एकीकृत ग्राम्य विकास की योजना में जो लघु और सीमान्त कृषक हैं, उनके लिए उसमें लघु कृषकों के लिए 25 प्रतिशत और सीमान्त कृषकों के लिए सवा 33 प्रतिशत अनुदान अनुमन्य किया गया, लेकिन सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उनको एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में 33 1/3 प्रतिशत लघु कृषकों को और 50 प्रतिशत सीमान्त कृषकों को अनुदान देने का निर्णय शासन ने लिया है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को बोरिंग कराकर उनके खेतों को पानी उपलब्ध करा सकें।

मान्यवर, यही गरीबी मिटाने का जो कार्यक्रम है, इसकी एक पूरक योजना इस प्रदेश में ट्राइसम की चल रही है जिसके सम्बन्ध में सभी मा0 सदस्यों को पता है और मैं इसके विवरण में नहीं जाना चाहता। इसमें युवकों और युवतियों को ट्रेनिंग देकर उनको अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए तैयार करते हैं। ट्रेनिंग के बाद हम कोशिश करके आई0 आर0 डी0 पी0 की तरफ से उनको बैंकों से ऋण उपलब्ध कराते हैं और उनको अनुदान उपलब्ध कराते हैं, कि इस तरह से वे स्वरोजगार करके अपनी गरीबी को मिटा सकें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह भी बताना चाहता हूं कि 1986-87 में 37,542 युवक और युवतियों को प्रशिक्षित किया गया। उनमें से 21,696 प्रशिक्षार्थी (बेनिफिशरीज) इन्होंने अपने कई रोजगार स्थापित करके, अपनी गरीबी मिटाने की दिशा में कार्य किया। यह कार्यक्रम बहुत ही प्रभावी ढंग से चल सके, इस निमित्त राज्य स्तर पर एक उप समिति का गठन किया गया है। यह भी निर्देश है कि उक्त उप समिति की बैठक नियमित रूप से प्रतिमाह हो। इस समिति में लम्बी अवस्थापना पर विचार किया जायेगा, योजना की गुणवत्ता में सुधार करने पर विचार किया जायेगा और शीघ्र निर्णय लिया जायेगा।

मान्यवर, केवल उन्हीं प्रशिक्षण संस्थाओं को अवस्थापना सुविधा दी जायेगी, जो संस्थायें शत-प्रतिशत उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेंगी कि जिनको वे प्रशिक्षित करेंगी, उन्हें रोजगार उपलब्ध करने में सहयोग करेंगी। जो संस्थायें इस तरह से अपना उत्तरदायित्व नहीं लेंगी, तो जो अवस्थापना की सहायता देते हैं, उस पर शासन विचार नहीं करेगा। इसके अलावा ग्रामोद्योग प्रोत्साहित हो, इसमें हमारे बेरोजगार नवयुवक, युवतियां आवें, इस निमित्त के0 वी0 आई0 बी0, खादी विलेज इण्डस्ट्री बोर्ड को ढाई करोड़ रु0 की अवस्थापना सहायता दी गयी है, ताकि यह ग्रामोद्योग बोर्ड हर मण्डल में एक प्रशिक्षण केन्द्र निर्मित कर सके। उस प्रशिक्षण केन्द्र पर, जैसे कि ट्राइसम के कार्यक्रम चल रहे हैं, हमारे नवयुवक युवतियों को यह सुविधा उपलब्ध हो सके।

इसी के साथ-साथ मान्यवर, बहुत बड़ा वर्ग हमारे प्रदेश में महिलाओं का है और जब तक उनके उत्थान का हम कार्यक्रम नहीं चलायेंगे, उनको रोजगार में हम सुविधा नहीं देंगे तब तक हमारा गरीबी मिटाने का कार्यक्रम अधूरा रहेगा। इसी उद्देश्य से एक पूरक योजना का कार्यक्रम, महिलाओं के उत्थान के लिये इस प्रदेश में चल रहा है। 1986-87 में 7 जनपदों के 70 विकास खण्डों में यह योजना चल रही थी। इस वर्ष मान्यवर, भारत सरकार ने इस योजना को 6 और जनपदों में चालू करने

की अनुमति दे दी है। इस तरह से इस वर्ष, चालू वित्तीय वर्ष में 6 जनपदों में यह योजना और चालू की जायेगी। इस योजना के तहत मान्यवर, 15 हजार रु0 की सहायता दी जाती है। एक समूह को। 20-25 महिलाओं का एक समूह होता है, यह विभिन्न उद्योगों में काम करती हैं, जैसे मसाला बनाना, पापड़ बनाना, आचार-मुरब्बा बनाना, रस्सी बनाना आदि, यह सारे उद्योग करके, महिलायें अपनी गरीबी को मिटाने की दिशा में काम कर रही हैं। हमें खुशी है कि 1986-87 में जो हमारी भौतिक उपलब्धि थी, वह 117 प्रतिशत थी, इस योजना के तहत। योजना कारगर ढंग से चल सके, इस उद्देश्य से इस वर्ष महिला समूह का पंजीकरण शुल्क जो 150 रु0 था, उसे घटाकर हमारी सरकार ने केवल 5 रु0 कर दिया है। बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में भी आवश्यक है। इसमें भी बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज स्थापित हो, इसके लिए के0 वी0 आई0 बी0, के0 वी0, आई0, सी0 सी0 एफ0 टी0 आर0 आई0 को उत्तरदायी बनाया गया है। यह संस्थायें बैकवर्ड और फारवर्ड लिंकेज की व्यवस्था करें। इस योजना में हम चाहते हैं कि जो हमारी स्वैच्छिक संस्थायें हैं, उनका भी इनवाल्वमेंट हो। हम केवल सरकारी मशीनरी से काम को सुचारु रूप से चलाने के लिए समझें, तो यह बहुत उचित नहीं होगा। जो ग्रामीण अंचलों में स्वैच्छिक संस्थायें होंगी, उन स्वैच्छिक संस्थाओं का भी योगदान लें जिससे कि योजनायें प्रभावी ढंग से कार्यान्वित हो सकें ग्रामीण अंचलों में। श्रीमन्, आज आवश्यकता इस बात की है कि ग्रामीण अंचलों में जो योजनायें चल रही हैं, उनके तहत अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति तथा निर्बल वर्ग के लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, इसके लिए हमारी एक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना चल रही है पूरे प्रदेश में। पिछले वर्ष इस योजना के तहत 10758.50 लाख रुपए का प्राविधान किया गया था और 440 लाख मानव दिवस सृजित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष में 465.23 लाख मानव दिवस सृजित किया गया, जो लक्ष्य का 105.7 प्रतिशत है। इस वर्ष भारत सरकार ने 480 लाख मानव दिवस का लक्ष्य रखा है, इसके लिए 9 करोड़ 4 लाख रुपए की सहायता भारत सरकार ने निर्धारित की है। 84738 मीट्रिक टन गेहूं तथा 16600 मीट्रिक टन चावल इस वर्ष 6 महीने के लिए भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश को आवंटित किया है। श्रीमन्, इस योजना के तहत अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लोगों के लाभ के लिए भारत सरकार ने, जैसा कि निर्देश दिये जा चुके हैं, 10 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों के लाभ के लिए आरक्षित किया है।

इसके साथ ही मान्यवर, एन0 आर0 ई0 पी0 का जो रुपया है, उसमें भी उत्तर प्रदेश सरकार ने जिलों को निर्देश दिया है कि विकास खण्डों में जो हमारे लघु कृषक हैं, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के परिवार हैं, इसी आधार पर विकास खण्डों को धन आवंटित किया जाय, जिससे कि समान रूप से अनुसूचित जाति, जन जाति व सीमान्त कृषकों को लाभ हो सके। इस वर्ष हमने यह भी प्रयास किया है कि एन0 आर0 ई0 पी0 के धन से, हमारे प्रदेश में बहुत से ऐसी प्राइमरी पाठशालायें हैं, जहां पर भवन नहीं है, वहां पर डी0 आर0 डी0 ए0 अगर इस पैसे से भवन का निर्माण वहां पर कराना चाहता है, तो निर्माण कर सकता है। इसके साथ ही साथ यह भी बताना चाहता हूं कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के तहत

हमारी पंचायतें अभी तक अछूती थी, इसलिए हम चाहते हैं कि इस योजना के तहत पंचायतों का इन्वालमेंट हो। हमने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये हैं कि 50 हजार रुपए की लागत की यदि कोई योजना किसी ग्राम पंचायत से डी0 आर0 डी0 ए0 के पास आती है, तो उस पर अवश्य विचार किया जाय। वाल्यून्टरी आर्गनाईजेशन में भी 10 हजार रुपए तक का प्राविधान रखा गया है। इस प्रकार की एजेन्सियां भी 10 हजार रुपए तक की योजना पर राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के तहत काम कर सकती हैं। एक चीज मैं और बताना चाहता हूं कि एन0 आर0 ई0 पी0 तथा आर0 एल0 जी0 पी0 योजनायें 1980 से शुरू हुई तब से कई परिसम्पत्तियों का सृजन किया गया। कुछ विभाग जैसे पी0 डब्लू0 डी0 व सिंचाई विभाग में अनुश्रवण की व्यवस्था थी। इन विभागों के माध्यम से राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना तथा ग्रामीण बीमा गारन्टी योजना के तहत काम कराये गये। वहां पर उन परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण की व्यवस्था हो जाया करती थी। जैसे आर0 ई0 एस0 है, पंचायतें हैं, क्षेत्र समितियों के माध्यम से अगर कोई काम हुआ है, तो उन परिसम्पत्तियों के अनुरक्षण की अभी तक कोई व्यवस्था नहीं थी। इस वर्ष एन0 आर0 ई0 पी0 का जो रुपया है, उसमें से 10 प्रतिशत रुपया अनुरक्षण पर व्यय किया जायगा। जैसे आर0 ई0 एस0 का है या क्षेत्र समिति का है या पंचायतों ने बनाया है, तो 10 प्रतिशत अनुरक्षण के मद में रखा गया है। इससे परिसम्पत्तियों का रख-रखाव ठीक से हो सकेगा और वे सुरक्षित भी रह सकेंगी। इसके साथ-साथ कड़े निर्देश भेजे हैं कि जैसा भारत सरकार की गाइडलाइन में भी है और मंशा भी है कि सीधे बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध हो, ठेकेदारी व्यवस्था को रोकने के लिए हमने कड़े निर्देश दिये हैं कि उन कार्यक्रमों के अन्तर्गत ठेकेदारी व्यवस्था नहीं चालू होनी चाहिए। जो भी विभाग हो वह सीधे भूमिहीनों को, मजदूरों को कार्य पर लगायें और उनको सीधे पैसा दें और काम करायें। कोई भी ठेकेदार इस कार्यक्रम में बीच में नहीं आना चाहिए। इसको सभी लोग जब देखेंगे तभी व्यवस्था को सुचारु रूप से चला पायेंगे।

इन योजनाओं के तहत बहुत काम हो रहा है। आवश्यकता इस बात की है कि यह काम ठीक ढंग से हो सके और कोई गड़बड़ी न हो। यह तभी हो सकता है जब जन प्रतिनिधियों का भी सहयोग प्राप्त हो। हमारे प्रधान, ब्लाक प्रमुख, माननीय सांसद एवं विधायक, सभी का जब सहयोग प्राप्त होगा तभी काम ठीक ढंग से चला सकते हैं। हम जनप्रतिनिधियों का भी सहयोग प्राप्त कर सकते हैं, जब उन्हें मालूम हो कि क्या-क्या कार्यक्रम किस विभाग द्वारा सम्पादित हुए। इसके लिए हमने आदेश दिया है कि पिछले वर्ष का जो भी काम एन0 आर0 ई0 पी0 या आर0 एल0 जी0 पी0 से हुआ है, उसकी "डायरेक्टरी आफ वर्क" बननी चाहिए जो कि मा0 सांसद को, विधायकों को और ब्लाक प्रमुखों को उपलब्ध करायी जाय ताकि वे देख सकें कि यह काम पिछले वर्ष हुआ है, मौके पर हुआ है या नहीं और ठीक ढंग से हुआ है या नहीं तथा यह कि रुपया सही तौर से खर्च हुआ है या नहीं। इस प्रकार "डायरेक्टरी आफ वर्क्स" जनप्रतिनिधियों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये गये। वर्ष 1986-87 में जो भी काम हुए हैं, कहा गया है कि उन कामों की "डायरेक्टरी आफ वर्क्स" सभी माननीय सांसद और विधायकों को उपलब्ध हो।

ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम भी चल रहा है। इस कार्यक्रम के तहत 8437 लाख रु0 का इस वर्ष के लिए परिव्यय निर्धारित किया गया है और उसके तहत 443.48 लाख मानव दिवस सृजित करने का भी लक्ष्य रखा गया है। यह कार्यक्रम भी ठीक ढंग से चल सके इसके लिए अनुश्रवण और मूल्यांकन के लिए जितने विभाग आर0 एल0 जी0 पी0 के अन्तर्गत काम करते हैं, उनके विभागाध्यक्ष और सचिवों को निर्देश दिया गया है कि समय-समय पर अनुश्रवण करते रहें जिससे कार्य ठीक ढंग से चल सके।

जैसा कि मैंने पूर्व में कहा कि लघु और सीमान्त कृषकों की तादाद बहुत ज्यादा है लगभग 70 प्रतिशत है और उनके खेत की पैदावार बढ़ाने के लिए लक्ष्य है सरकार का, और इसके तहत एक लाख रुपया प्रति विकास खण्ड निर्धारित किया गया है। भूमि विकास के लिए प्रति विकास खण्ड 50 हजार रुपये का मिनी किट वितरण करते हैं, तिलहन, दलहन आदि के लिए, जिससे किसानों को लाभ हो जाये। इस प्रकार से 50 हजार का मिनी किट वितरण किया जाता है। इसके साथ ही साथ 3.50 लाख रुपया प्रति वर्ष प्रति विकास खण्ड में फ्री बोरिंग पर खर्च किया जाता है, जैसा कि पहले ही निवेदन किया गया है, 61 हजार रुपये का हमारा लक्ष्य है। इस तरह छोटे किसान फ्री बोरिंग करा कर अपनी पैदावार बढ़ा सकते हैं।

मान्यवर, यह योजना है और इसको हम और प्रभावी ढंग से करेंगे जिससे किसानों को लाभ पहुंच सके, इसके लिए शासन ने निश्चय किया है कि जो लाभार्थी होगा उसको पास-बुक उपलब्ध करायी जायेगी और उसमें यह विवरण रहेगा कि उसकी स्वायल किस तरह की है, भूमि किस तरह की है, उसमें कितनी खाद की जरूरत है, उसका फसल चक्र क्या होना चाहिए और किस तरह का बीज होना चाहिए और किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, यह सारी चीजें उस पास-बुक में लिखी रहेगी।

मान्यवर, पिछले वर्ष इस योजना के तहत फ्री बोरिंग जिन्होंने करायी है, उन्हें भी इस पास-बुक को उपलब्ध करायेंगे और यह काम ठीक ढंग से चल सके, इसके लिए जिलाधिकारी से कहेंगे कि वह कम से कम 5 गांवों में भौतिक सत्यापन करें कि फ्री बोरिंग ठीक ढंग से हुई है या नहीं। इसी तरह से और भी जो ऊंचे अधिकारी हैं, उनसे कहा गया है कि वे इनका सत्यापन करें, क्योंकि जब तक फिजिकल वेरीफिकेशन नहीं करायेंगे, तब तक शिकायत मिलती रहेगी इसलिए उच्च अधिकारियों को लिया गया है कि वे इस कार्य का परीक्षण करें जिससे किसानों को अधिक से अधिक लाभ हो सके।

श्रीमन्, इसी उद्देश्य से फ्री बोरिंग के बारे में अवगत कराना चाहूंगा कि पिछले वर्ष हमें कुछ शिकायतें मिली कि फ्री बोरिंग हो गयी है, लेकिन मजदूरी लाभार्थी को नहीं मिली। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि मजदूरी का रुपया सीधे किसान की पास बुक में जमा कर दिया जायेगा, जिससे बीच में जो गड़बड़ी होती है, वह न हो। एक साथ 40,500 रुपया है, वह किसानों के खाते में जमा हो जायेगा, बीच में कोई बिचौलिया नहीं रहेगा। इसके अलावा यह निर्णय लिया गया है कि 5 हार्स पावर से ज्यादा के जो पम्पिंग सेट हैं, मोटर हैं, इन पर अनुदान की धनराशि

किसानों को नहीं मिली। अगर पांच हार्स पावर से पानी उपलब्ध हो जाता है, तो कोई औचित्य नहीं है कि 10 हार्स पावर का मोटर लगाया जाये। अगर कोई किसान चाहता है कि पानी के साथ साथ और रोजगार किया जाये, जैसे चक्की है, आरा मशीन है, तो उसको छूट दिया है। 5 हार्स पावर तक अनुदान मिलेगा और 5 हार्स पावर के ऊपर जो रकम होगी वह अपनी लगायेगा।

मान्यवर, प्रदेश में बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर वाटर लेबिल बहुत नीचा है, और जो पांच हार्स पावर की मोटर से पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है, उसके लिए छूट देने की व्यवस्था की गयी है और जहां पर इस तरह की समस्या है, वहां पर जिलाधिकारी जायेंगे और देखेंगे कि अगर 5 हार्स पावर मोटर की जरूरत है, तो लाभार्थी को अनुदान स्वीकार कर सकते हैं।

श्रीमन् अभी बहुत से हमारे प्रदेश में पठारी क्षेत्र हैं, गहरे बोरिंग स्टेटा क्षेत्र हैं सहारनपुर आदि जगहों में वहां हम जो सुविधा बुन्देलखण्ड को प्राप्त करा रहे थे, वह सुविधा उनको नहीं प्राप्त होती थी, लेकिन इस वर्ष हमने निर्णय लिया है कि प्रदेश के पठारी क्षेत्रों में जो कि गहरे बोरिंग स्टेटा वाले क्षेत्र हैं, वहां रिंग मशीनों से लाभार्थियों को सुविधा पहुंचायी जाय। यदि ऐसा कोई लाभार्थी है तो उसे 50 प्रतिशत तक छूट मिलेगी और अधिक से अधिक 30 हजार की सीमा तक यह अनुदान अनुमन्य होगा।

इसी के साथ 16 जनपद प्रदेश में ऐसे हैं जहां पर डी0पी0ए0पी0 की योजना चल रही है, वहां पर प्लानों की कवरेज होती है, उस इलाके में किसानों को पानी उपलब्ध कराना, चरागाह की व्यवस्था करना तथा वनीकरण कार्यक्रम चलाना, यह सब काम डी0 पी0 ए0 पी0 योजना तहत किया जाता है। यह योजना पहले भारत सरकार को जाती थी और उसकी स्वीकृति मिलने के बाद इसका कार्यान्वयन होता था। लेकिन अब भारत सरकार ने प्रोजेक्ट की स्वीकृति के लिये प्रदेश सरकार को अधिकृत कर दिया है जिससे तहत अब प्रदेश सरकार द्वारा स्वीकृति मिलने में देरी कम होगी और कार्य सुचारू रूप से जल्दी किया जा सकेगा। हमने तकनीकी सुधार के लिये विभिन्न तकनीकी संस्थाओं से इसे सम्बद्ध किया है ताकि ये कार्यक्रम ढंग से चल सकें।

निर्बल वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति को आवास उपलब्ध कराये जाने का काम इस विभाग के द्वारा हो रहा है। इन्द्रा आवास योजना भी विगत वर्ष से चल रही है। इसके लिये पिछले वर्ष 21 करोड़ रु0 भारत सरकार से प्राप्त हुआ था। इस धनराशि से 24,884 के लक्ष्य की पूर्ति की योजना थी जबकि इसके विपरीत 25,191 आवास भवन निर्मित किये गये। इस वर्ष भी यह योजना चल रही है, 21·92 करोड़ रु0 भारत सरकार से इसके लिये मिल रहा है ताकि हर विकास खण्ड में 20-22 इन्द्रा आवास का निर्माण हो सके। पहले जो मकान बनाने का पैसा था उसमें ही शौचालय भी बनाने का प्राविधान था जिससे मकान अच्छे ढंग से नहीं बन पाते थे। इस वर्ष 6,000 रु0 में भवनों का निर्माण होगा और 1200 रु0 अलग से शौचालय के लिये उपलब्ध कराया जायेगा।

इसके साथ ही साथ धूम्र रहित चूल्हा का कार्यक्रम चल रहा है जो भी विकास खण्ड में आवास योजना के अन्तर्गत मकान बनाये जा रहे हैं, सभी मकानों में धूम्र रहित चूल्हा लगाने के आदेश दे दिये गये हैं।

इसके अलावा निर्बल वर्ग के लिये आवास उपलब्ध कराने के लिये 2,000 रु0 मैदानी क्षेत्र में और 3,000 रु0 पहाड़ी क्षेत्र में देते हैं। इसमें से 80 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लिये और शेष 20 प्रतिशत में अन्य जो जातियां हैं, उनको इसमें कवर किया जाता है। लेकिन मान्यवर, यह देखा गया कि इधर कीमतों में वृद्धि हो जाने के कारण 2/3 हजार रुपये की धनराशि कम होती है और और मकान नहीं बन सकता है इसलिये शासन ने यह निर्णय लिया है कि निर्बल वर्ग के लोगों को हम बैंक से 3 हजार रुपये का लोन उपलब्ध करायें और दो हजार रुपये हम सहायता देंगे जिससे वे अपने मकान ठीक ढंग से बना सकें। इस संबंध में हुडकों से बात हो रही है और हमें उम्मीद है कि वह स्वीकृति दे देगा। इस वर्ष से हम इसे लागू करने जा रहे हैं।

श्रीमन्, ग्रामीण अंचलों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिये भी हम योजना चला रहे हैं। इस वर्ष 1987-88 के लिये 478 लाख रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है जिसके अन्तर्गत 825 कुंये तथा 2747 हैंड पम्प तथा 750 डिग्गयों का निर्माण किया जायेगा। यह कार्य भी ग्रामीण अंचलों में हो रहा है। मान्यवर, हमारे ये जो कार्यक्रम चल रहे हैं, बहुत बड़ी आवश्यकता है कि जिन अधिकारियों और कर्मचारियों से हम यह कार्यक्रम चला रहे हैं उनको हम जानकारी दें, उनको हम ज्ञान दें कि किस तरह से ठीक ढंग से वे इन योजनाओं को क्रियान्वित कर सकते हैं। इसके लिये राज्य स्तरीय ग्राम्य विकास प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान, बख्शी का तालाब में प्रशिक्षण की व्यवस्था व्यवस्था की गई है। वहां पर उप विकास आयुक्त, मुख्य विकास अधिकारी, अतिरिक्त जिला अधिकारी (विकास) परियोजना निदेशक, खण्ड विकास अधिकारी, राष्ट्रीकृत बैंकों के मैनेजर, विभिन्न विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी आदि को प्रशिक्षण दिया जाता है। मान्यवर, पिछले वर्ष 1581 अधिकारी थे जिनको प्रशिक्षित किया गया था और आगे भी इसी तरह से यह कार्यक्रम चलता रहेगा। अगले साल के लिये 1786 अधिकारियों के प्रशिक्षित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है जिससे हमारी योजनायें कारगर ढंग से जमीन तक उतर सकें और इसीलिये इन अधिकारियों को प्रशिक्षण देने की आवश्यकता महसूस हुई।

श्रीमन्, किसानों को लाभ पहुंचाने के दृष्टिकोण से मण्डलीय विकास निगमों की स्थापना की गई है। इस प्रकार 10 मण्डलीय विकास निगम स्थापित किये जा चुके हैं। सामुदायिक, सिंचाई योजना, स्टोन क्रशिंग इकाई, कस्टम सर्विस, दाल तथा चावल मिल, डीजल तथा पेट्रोल आउटलैट, सीमेंट बिक्री, आयातित चीनी विक्रय, गेहूं तथा धान क्रय आदि के कार्य मंडलीय विकास निगमों द्वारा किये जा रहे हैं। मान्यवर, माननीय माता प्रसाद पाण्डेय जी को चिन्ता हो रही है कि मैं मण्डलीय विकास निगमों की चर्चा कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि माननीय वर्मा जी जो कटौती का प्रस्ताव रखने वाले हैं वे इस पर कहेंगे, उनसे पहले ही इस संबंध में मैं बता देना चाहता हूं कि 1983-84 में जो 10 मण्डलीय विकास निगम थे, उनमें से केवल 4 निगमों में मुनाफा था और 6 घाटे पर चल रहे थे। 1982-83 में जो 4 फायदे में थे उनमें उन्होंने 7.12 लाख रुपये का लाभ अर्जित किया था। खुशी की बात है 1986-87 में हमारे 7 निगम मुनाफे में चल रहे हैं और केवल 3 निगम इस समय घाटे पर हैं। जो 7 निगम मुनाफे पर चल रहे हैं, इन्होंने 31.74 लाख रुपये का मुनाफा अर्जित किया है और जो घाटे

पर हैं उनकी भी 60 लाख की संख्या घटकर अब केवल 16.01 लाख रुपये का घाटा रह गया है। मेरे कहने का मतलब यह है कि इन मण्डलीय विकास निगमों में खराबी थी उसमें विगत दो वर्षों में सुधार आया है। मैं उम्मीद करता हूं कि अगले वर्ष जब बजट पेश होगा तो इन निगमों में घाटा नहीं रहेगा सभी मुनाफे पर आ जायेंगे। (व्यवधान)

समादेश क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु शारदा सहायक, राम गंगा एवं गण्डक योजनायें चलाई जा रही हैं। इस वर्ष सिंचन क्षमता का समुचित उपयोग करने के उद्देश्य से एक पायलट प्रोजैक्ट चलाया गया है जो शारदा सहायक समादेश क्षेत्र में गोपालपुर राजबहा, रामगंगा समादेश क्षेत्र में उदयपुर राजबहा तथा गण्डक समादेश क्षेत्र में बड़हरा रजबहा में चलाया जा रहा है जिसमें मण्डल स्तर पर उच्च अधिकारी मौके पर जा कर बैठकें करेंगे फिर जिला स्तर पर बैठेंगे और यह देखेंगे कि जो इनकी सिंचन क्षमता है वह नहरें पूरा पूरा लाभ किसानों को दे रही हैं या नहीं, उसमें क्या खामियां हैं और उसे दूर किया जायेगा। नहर का पानी किसानों के खेत तक पहुंचे और उसका उनको पूरा लाभ मिले ताकि खेतों की पैदावार बढ़ाने में जो कार्यक्रम आवश्यक होंगे उनको पूरा किया जायेगा उसमें प्रशिक्षण प्रसार आदि जो भी जरूरत होगी किया जायेगा। इस पायलेट प्रोजैक्ट के जरिये इन तीन रजबाहों पर कार्यक्रम चला कर सिंचन क्षमता का पूरा उपयोग हो सकेगा जो किसानों के लाभ के लिये चलाया गया है। अगर यह सफल हुआ तो इसका विस्तार अन्य क्षेत्रों में भी किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, अभी और कितना समय लेंगे।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय–

आज तो मान्यवर, काफी समय है, 10 मिनट और लूंगा।

भूगर्भ जल सर्वेक्षण संगठन भी एक महत्वपूर्ण संगठन है, इसको सुदृढ़ करने के लिये भी काम किया गया है यह संगठन ठीक से काम कर सके और जनता के बीच यह काम करे इसके लिये इसका विकेन्द्रीकरण किया गया है। पहले इसका मंडलीय कार्यालय लखनऊ में था और उसके सौ खण्ड थे वह भी ज्यादा से ज्यादा यहीं थे। अतः संगठन के दो मंडलीय कार्यालयों को क्रमशः बरेली एवं इलाहाबाद में स्थानान्तरित किया गया है और जो 6 खण्ड थे उनको भी लखनऊ से स्थानांतरित किया गया है और उनको शाहजहांपुर, सुल्तानपुर, सीतापुर, झांसी, फैजाबाद एवं इलाहाबाद स्थानांतरित किया गया है। यह इस उद्देश्य से किया गया है कि जिससे ग्रामीण अंचलों में यह काम कर सके और किसानों को उपलब्ध रहें और किसान अपनी समस्याओं को यहां अधिकारियों से बात कर हल कर सकें। यह महत्वपूर्ण कदम विभाग को सुदृढ़ करने के लिये उठाया गया है।

श्रीमन्, पंचायतों के माध्यम से हम चाहते हैं कि अधिक से अधिक विकास के कार्य हों। इसके लिये शासन ने निर्णय लिया है कि 1 लाख रुपये तक के काम ग्रामीण अंचलों में अगर ग्राम सभायें करना चाहें तो उनको पूरी छूट होगी और ग्राम सभायें उनको कर सकती हैं। उसी तरह से पंचायतों के माध्यम से जो हमारी प्राइमरी पाठशालायें हैं जिनमें काफी अर्से से काम नहीं हो रहा है उनके लिये धन की व्यवस्था की गयी है जिससे उनकी मरम्मत हो सके उसके लिये ग्राम सभाओं को इनवाल्व किया गया है ताकि उनके माध्यम से प्राइमरी पाठशालाओं की मरम्मत हो। मान्यवर, जो ऊर्जीकृत गांव थे जिनमें बिजली

के खम्भे और लाईन खींच दी गयी थी लेकिन बल्ब नहीं लगाये गये थे उसके लिये गांव सभाओं को इन्वाल्व किया गया और 52.38 लाख रु0 गांव सभाओं को दिया गया है कि स्वयं बल्बों को खरीद कर अपने गांवों के विद्युतीकरण के लिये व्यवस्था करें ।

मान्यवर, इसी तरह इसी मद में 11.38 करोड़ रुपये जो हमारी सड़कें एन0 आई0 ई0 पी0, गांव सभाओं या जिला परिषदों की बनी हैं जिनके अनुरक्षण की व्यवस्था नहीं थी, यह धन पंचायत के मद से सड़कों के अनुरक्षण के लिये प्राविधान किया गया है ।

मान्यवर, इसके अलावा बायोगैस का प्रोग्राम चल रहा है, इसमें पुराने संयंत्रों की मरम्मत की दिशा में सरकार ने कदम उठाये हैं और जो इसके मिस्त्री हैं उनको प्रशिक्षित कर रहे हैं जो विकास खण्डों में रहेंगे और जो पुराने बायोगैस हैं, उन पर अनुदान दे रहे हैं ।

इसी तरह, स्वच्छता कार्यक्रम के तहत वर्ष 1986-87 में यूनिसेफ की सहायता से 2163 शौचालय बनाये गये हैं जबकि लक्ष्य 2191 था । इसी तरह ग्रामीण भूमिहीन रोजगार योजना के तहत 45 हजार शौचालयों के बनाये जाने का लक्ष्य था और वह लक्ष्य पूरा हो गया है ।

मान्यवर, इस विभाग के तहत युवा कल्याण विभाग महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है चूंकि आवश्यकता है कि जो नवयुवक और नवयुवतियां हैं उनको भी हम प्रशिक्षित करें और किसी योजना के तहत उनको आगे बढ़ाने का कार्यक्रम दे सकें । इसके तहत आपको मान्यवर, विदित है कि युवक मंडल दल और युवक महिला मंगल दल का प्रदेश में संगठन बना है और दूसरा संगठन प्रादेशिक विकास दल के स्वयं सेवकों का है जो प्रदेश में संगठित हैं और काम कर रहे हैं । यह बड़े गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश के युवक मंडल दल के नवजवान एन0 आई0 एस0 पटियाला द्वारा आयोजित अखिल भारतीय ग्रामीण खेलकूद प्रतियोगिता हुई थी उसमें हमारे प्रदेश की टीम भेजी गयी थी और उसने भाग लिया और 26 स्वर्ण पदक, 13 रजत पदक एवं 12 कांस्य पदक प्राप्त करके उत्तर प्रदेश का गौरव बढ़ाया है ।

मान्यवर, हमारे कार्यक्रम ठीक ढंग से चलें इसकी देखरेख की आवश्यकता होती है और जो सख्ती की गयी तो कर्मचारियों में गुणवत्ता बनाये रखने के लिये जिससे कार्यक्रम सुचारु रूप से चलें इसलिये जांच पड़ताल में 2 परियोजना निदेशकों, 2 जिला-विकास अधिकारियों, 47 खंड विकास अधिकारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की गयी । वर्ष 1985-86 में प्रथम श्रेणी के एक, विशेष वेतनक्रम के 10 तथा साधारण वेतनक्रम के 7 खंड विकास अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया । वर्ष 1986-87 में विशेष वेतनक्रम के 8 तथा साधारण वेतनक्रम के 7 खंड विकास अधिकारियों को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया है ।

मान्यवर, इसी तरह लघु सिंचाई विभाग में अनियमितताओं के लिये । अधिशासी अभियंता, एक सहायक अभियंता, 20 अवर अभियंताओं, 1 लेखाकार, 1 मानचित्रकार को निलंबित किया गया । 1 अधीक्षण अभियन्ता, दो अधिशासी अभियंताओं तथा 12 अवर अभियंताओं के खिलाफ आरोप पत्र दिये गये । इसी तरह ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा में, जिनसे बराबर हमारे माननीय सदस्य दुखी रहते हैं और चाहते हैं कि उसमें कुछ सुधार आवे, 2 अधिशासी अभियंता, 5 सहायक अभियन्ताओं तथा 36 अवर अभियन्ताओं को निलम्बित किया है ।

एक सदस्य—

मान्यवर, डा0 दिनेश जौहरी सो रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष—

और वह आपके कहने से भी नहीं उठ रहे हैं ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इसके अतिरिक्त भी 6 अधिशासी अभियंताओं, 11 सहायक अभियंताओं तथा 26 अवर अभियन्ताओं को प्रतिकूल प्रविष्टि दी गई है । साथ ही 14 अधिशासी अभियन्ता, 20 सहायक अभियन्ताओं और 13 अवर अभियन्ताओं को कठोर चेतावनी दी गई हैं । इसी में विभिन्न अनियमितताओं के निमित 5 अधिशासी अभियन्ता, 12 सहायक अभियन्ताओं एवं 22 अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । इस तरह से हमारा पूरा प्रयास है कि हमारा सारा कार्यक्रम सुचारू रूप से चल सके । जहां से भी जो शिकायत प्राप्त होती हैं, किसी की भी शिकायत सामने आती है तो उसमें कड़ी से कड़ी कार्यवाई करने में शासन पीछे नहीं है ।

इसके साथ ही मैं आखिर में ग्राम्य विकास विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में बीस सूत्री कार्यक्रम में पहला स्थान प्राप्त किया है और बीस सूत्री कार्यक्रम का आधे से ज्यादा कार्यक्रम ग्राम्य विकास विभाग से संबंधित है । तो जो प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश ने प्राप्त किया है, उसके लिए हम ग्राम्य विकास विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई भी देना चाहते हैं । इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय साथियों से निवेदन करूंगा कि वह अपने अमूल्य सुझाव इस बजट पर प्रस्तुत करने की कृपा करें ।

(श्री राम आसरे वर्मा का नाम पुकारे जाने पर)

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ..

श्री अध्यक्ष—

आपको कोई नियम वगैरह भी मालूम है? वह कटौती का प्रस्ताव पेश कर रहे हैं और आप खड़े हुए हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय । कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अनुदान संख्या 14—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायतीराज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाए । कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना।

मान्यवर, अनुदान संख्या 19—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये। कमी करने का उद्देश्य विभागीय नीति की आलोचना करना और सुझाव देना। मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण के प्रारम्भ में कहा कि हमारा देश गांव का देश है और

गांव का विकास, उनकी समृद्धि ही इनका उद्देश्य है। मान्यवर, इन बातों को कहते हुए इन्होंने यह भी कहा कि ग्राम्य विकास और पंचायती राज्य विभाग ने प्रगति की सीमा पार कर ली है। प्रगति की सीमा पार करने का दावा करने वाले को शायद अपने विभाग के बारे में सही जानकारी नहीं है। ग्राम्य विकास और पंचायती राज्य को इन्होंने एक विभाग के रूप में बना कर रख दिया है, जबकि ग्राम्य विकास एक कार्यक्रम है। कार्यक्रमों को चलाने के लिए संस्थाएं होती है। वह संस्थायें पंचायती राज्य संस्थायें हैं। पंचायती राज्य संस्थाओं मान्यवर, मिलजुलकर काम करें गांव की व्यवस्था करें यही इनकी परिभाषा में आता है। मान्यवर, पंचायतों का काम होता है गांव की व्यवस्था करें। पंचायतों का हर युग में किसी न किसी रूप में अस्तित्व हमेशा रहा है। चाहे वैदिक युग हो, चाहे अन्य कोई युग रहा है, लेकिन इनका रूप निखारने का अवसर देश आजाद होने के बाद ही मिला।

मान्यवर, 1947 में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम बना। मान्यवर, उसी समय महात्मा गांधी ने इन पंचायतों के बारे में कहा था कि "भारतीय स्वतंत्रता को नीचे से ही प्रारम्भ करना होगा इस प्रकार प्रत्येक गांव को सर्वाधिक एक गणतंत्र या पंचायत होना पड़ेगा" मान्यवर, गांधी जी ने भी कहा था और संविधान में भी पंचायत के बारे में व्यवस्था की गई थी। नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद-40 में कहा गया है कि "राज्य सरकार ग्रामों, पंचायतों का संगठन करने के लिए अग्रसर होगी तथा उनको ऐसी शक्तियां और अधिकार प्रदान करेगी जो इन्हीं स्वायत्त शासन की इकाईयों में कार्य करने के रूप में बनाने के लिए आवश्यक होगी।" मान्यवर, पंचायतों का महत्व कितना है इससे मालुम हो जाता है। यह पंचायतों के बारे में कितना सोच रहे हैं इसके बारे में मैं कहना चाहता हूं।

मान्यवर, देश आजाद होने के बाद से सिर्फ पांच बार चुनाव हो पाए है और जो अवधि दी गई उसमें भी चुनाव नहीं हो पाए। मान्यवर, सन् 1949 से लेकर 1952 तक ग्राम सभाओं की संख्या 35,943 थी सन् 1953 में चुनाव हुआ उसके बाद सन् 1960 में चुनाव हुआ उस समय इनकी संख्या 72 हजार 409 थी। मान्यवर, 1960 से 1971-72 तक कोई चुनाव नहीं हुए और 1971-72 के बाद 1982 में चुनाव हुए। उसका सेहरा यह बांध सकते हैं। लेकिन उसके बाद भी पांच साल हो गये हैं इन्होंने चुनाव नहीं कराए हैं इनको चुनाव कराने की कोई चिन्ता भी नहीं है। मान्यवर, अभी दो दिन पहले माननीय मंत्री जी ने कहा था कि पंचायतों के चुनाव कराने का इनका कोई इरादा नहीं है। न्याय पंचायत के बारे में तो मंत्री जी ने स्वप्न में भी नहीं सोचा होगा। इसके बारे में इन्होंने अपना कोई इरादा भी नहीं रखा। अगर इनके इरादे नेक हैं, तो जैसी संविधान में व्यवस्था की गई है और महात्मा गांधी जी ने जैसा कहा है पंचायती राज के बारे में, मान्यवर, यह सदन के सामने घोषित करें कि पांच वर्ष में चुनाव करा देंगे। पांच वर्ष मान्यवर, अब पूरे भी हो रहे हैं (इस समय 12 बजकर 10 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष-पीठासीन हुए।) तो इसमें यह बता दें कि चुनाव कब करायेंगे। अगर यह पांच वर्ष बढ़ाने का प्राविधान अधिनियम निकाल सकें तो यह बता दें। मान्यवर, पार्लियामेंट चुनावों में आरक्षण की व्यवस्था है, विधान सभाओं के चुनाव में आरक्षण की व्यवस्था है, लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों के लिये पंचायतों में आरक्षण की व्यवस्था करने से माननीय मंत्री जी कतरा रहे हैं। मान्यवर, अगर यह व्यवस्था अब तक नहीं थी तो आज इसकी घोषणा करें कि अनुसूचित जाति के लोगों के

लिये आरक्षण की व्यवस्था करेंगे। प्रधानों के पद खाली पड़े हुये हैं। समय गुजर जाता है उनके भरने की कोई व्यवस्था नहीं की जाती है। अधिनियम को संशोधित करके एक निश्चित अवधि की व्यवस्था कर दें कि अगर प्रधानों के पद रिक्त हैं तो 1 या 2 साल में उनको भर लिया जायगा। उससे भी ये कतरा रहे हैं।

मान्यवर, ग्राम सभाओं में, जो पंचायतीराज अधिनियम है उसमें प्रधानों के अधिकार और कर्तव्य बात कही गया है वह बिल्कुल सारहीन और निरर्थक है। उनकी स्थिति देखी जाय तो थाना, तहसील और ब्लाक के, मैं दलाल शब्द का प्रयोग नहीं करूंगा, शुभ चिंतक कहूंगा, तो उनकी स्थिति एक शुभचिंतक के रूप में बन कर रह गयी है। उनको अधिकार नहीं दिये गये हैं। जब तक उनको अधिकार नहीं दिये जायेंगे तब तक उनकी यही स्थिति बनी रहेगी।

आज जब चुनाव होते हैं तो चुनाओं की रंजिश के कारण सैकड़ों प्रधान मौत के घाट उतार दिये जाते हैं, उनकी हत्यायें होती हैं। उनकी सुरक्षा के बारे में कभी मंत्री जी ने या विभाग ने कोई व्यवस्था नहीं की। वह जनप्रतिनिधि हैं उनको सुरक्षा पाने का अधिकार है, लेकिन उनके इस अधिकार को आपके विभाग ने हमेशा नकारा है।

मान्यवर, गांव के जीवन के बारे में कहना चाहता हूं। जिस तरह से मंत्री जी का विभाग दिनों दिन प्रगति कर रहा है, उसी तरह से गांव का जीवन दिनों दिन नारकीय होता चला जा रहा है। प्रदेश के किसी भी गांव में जाकर देख लें। सार्वजनिक मार्ग सिमटते जा रहे हैं, आना जाना दुष्कर हो रहा है। जो सार्वजनिक प्रयोग के स्थान थे, चाहे वह खलिहान हो, चाहे चारागाह हों नेस्तनाबूद हो गये हैं। ग्राम सभा की जमीनें थीं वह नसबंदी की बलि चढ़ गयी हैं। व्यक्तिगत हितों को इन्होंने ऊपर रखा है और सार्वजनिक हितों को नकारा है।

मान्यवर, एक व्यवस्था कुछ दिन पहले और थी शिक्षा का संबंध भी गांव से जुड़ा हुआ है। गांव के छोटे बच्चों के लिये गांव से बाहर निकल कर शिक्षा के लिये जाना मुश्किल होता है। दो साल पहले यह व्यवस्था थी कि अगर गांव में कोई शिक्षा संस्थान या कोई विद्यालय खोला जाता था तो उनके पास जो भूमि उपलब्ध होती थी ग्राम सभा की उसी को शिक्षा के लिये विद्यालय को दिये जाने का प्राविधान था। विगत वर्ष स्कूल और विद्यालयों को इसी सूची से अलग कर दिया गया। यह एक सार्वजनिक हित का मसला था उसको भी ताक पर रख दिया गया। मैंने पहले ही बताया है कि जो भूमि या भूखंड ग्राम समाज में थे वह व्यक्तिगत हितों में अर्पित कर दिये गये हैं।

कुछ अरसा पहले एक कार्यक्रम और भी चलाया गया था कि कूड़ा करकट के लिये गड्ढे खोदे जायेंगे। लेकिन अब गांवों में जमीन रही ही नहीं है तो गड्ढे कहां खोदेंगे। इसका नतीजा यह है कि गांवों में गंदगी और अस्वच्छता का वातावरण व्याप्त हो गया है। मान्यवर, पंचायतों को जन भावनाओं और जन आकांक्षाओं के अनुरूप बनाने और उनको सुदृढ़ बनाने के नाम पर समय-समय पर आयोगों का गठन किया गया है। इन आयोगों की जो संस्तुतियां आयीं उनका उपयोग पंचायतराज के सुदृढ़ीकरण के लिये नहीं किया गया बल्कि जन भावनाओं को दबाने के लिये किया गया। अगर ऐसा न होता तो जो समय-समय पर आयोग गठित किये गये, उनकी संस्तुतियां जो जन आकांक्षाओं से मेल खाने वाली थी उन संस्तुतियों को वह स्वीकार करते। मान्यवर, इसी प्रदेश में गोविन्द सहाय कमेटी बनी थी, राम मूर्ति कमेटी बनी, काली प्रसाद कमेटी बनी, श्री जगत प्रसाद रावत

की अध्यक्षता में आयोग गठित हुआ। अभी 2 वर्ष पहले शमशाद अहमद की अध्यक्षता में एक आयोग गठित हुआ और उसकी संस्तुतियां भी आईं । यह संस्तुतियां शासन की लाइब्रेरी की शोभा मात्र बढ़ाने के लिए रह गयी । इन संस्तुतियों का परीक्षण करा कर उन्हें लागू कराने में यह सरकार पीछे रही है। मान्यवर, पंचायतों की जीर्ण अवस्था के संकेत इन्हीं बातों से मिल जाते हैं। अगर आप नजदीक ही देखना चाहें तो इनका एक पंचायत राज निदेशालय है, वहां जाकर देख लें। इस जीर्ण स्थिति में वह पड़ा हुआ है कि पता नहीं इमारत कब ढह जाय और इनका निदेशालय उसके नीचे दब जाय। मान्यवर, वही स्थिति सभी जगह की है।

मान्यवर, 1981 में पंचायत भवन का प्राविधान किया गया था। राज्य स्तर पर एक पंचायत भवन और 75-76 में जिला स्तर पर पंचायत भवन बनाने के लिए प्राविधान किया गया था। मान्यवर, जो राज्य स्तर पर पंचायत भवन का प्राविधान किया गया था उसके लिए 50 लाख रुपये ग्राम सभाओं से इकट्ठा कर लिया गया और 1981 से लेकर 16 हजार रुपये प्रतिवर्ष के हिसाब से यह एल0 डी0 ए0 को उसका किराया भी दे रहे हैं। 1982 में उसका शिलान्यास भी कर दिया गया और अब 87 चल रहा है। उस शिलान्यास का पत्थर धूल खा रहा है। लेकिन उस पंचायत भवन के बारे में न आज माननीय मंत्री जी ने कोई बात कही और न आज पहले कभी इन्होंने सांस ली। मान्यवर, 50 लाख रुपये जो ग्राम सभाओं से इकट्ठा किया गया अगर यह पंचायत भवन नहीं बनवा सकते तो उन ग्रामसभाओं को पैसा वापस करने की व्यवस्था करनी चाहिए। मान्यवर, उसका किराया तो एल0 डी0 ए0 को देना ही पड़ता है और दिन प्रतिदिन जो पंचायत भवन में लागत लगनी है उस लागत में बढ़ोत्तरी होती चली जा रही है। मान्यवर, बलवन्त राय मेहता की कमेटी की संस्तुतियों के आधार पर हमारे प्रदेश में त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था चलायी गयी थी । पंचायतों, की क्षेत्र समिति और जिला परिषद् पंचायतों का हाल मान्यवर, मैंने संक्षेप में बताया । जहां तक क्षेत्र समितियों की बात है, उन्हें भी ये अपंग बनाये दे रहे हैं । (व्यवधान) मान्यवर, पिछली बार यह चुनाव करा पाये थे अब समय पूरा हो रहा है। हमारा विश्वास है कि जैसे पंचायतों के चुनाव में यह आनाकानी कर रहे हैं उसी तरह से क्षेत्र समितियों के चुनाव भी बहुत अर्से तक टालेंगे । लेकिन 1962 से लेकर आज तक यह प्रमुखों के कार्यालय तक की व्यवस्था ब्लाकों में नहीं करा पाये। वहां प्रमुख का कार्यालय ब्लाक स्तर पर बना देते। अगर बी0 डी0 ओ0 खुश है, तो कोई कमरा दे दिया, खुश नहीं तो कमरे में ताला डलवा दिया। मान्यवर, प्रमुखों के मानदेय के बारे में इन्होंने गम्भीरता से नहीं सोचा। एक नगण्य धनराशि के रूप में देकर मैं समझता हूं कि प्रमुखों को कलंकित करने का काम कर दिया। जब प्रमुखों के पास पूरा क्षेत्र होता है । ब्लाक के हर गांव जाने में विकास के कार्यक्रम में, लगभग वह पूरा समय देता है लेकिन नाम मात्र का मानदेय।

मान्यवर, जिला परिषदों की बात रोज मैं समझता हूं कि किसी न किसी रूप में सदन में आती रही है । 3 साल पहले जिला परिषदों के सदस्यों का चुनाव करवा दिया गया। आज तक उनको यह शपथ नहीं दिला पाये। जिला परिषदों का गठन करना तो दूर, सदस्यों को शपथ तक नहीं दिला पाये । मेरा विश्वास है यह चाहे जितनी बार घोषणा करें, पार्टी के अन्दर जिस कलह से ग्रसित हैं, जिस लड़ाई से जूझ रहे हैं, वह लड़ाई कभी भी जिला परिषद् का चुनाव नहीं होने देगी। जिला परिषद् केवल एक चीज का केन्द्र बन गया है, छोटे-छोटे दुकानदारों पर, छोटे-छोटे धन्धे करने वालों पर

टैक्स लगायें और उससे वहां काम करने वाले कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वेतन मिले, वे भत्ते लें, इसके अलावा कोई काम नहीं रह गया। कहने के लिए जिला परिषद् के पास डी0 आर0 डी0 ए0 का काम है लेकिन जिला परिषदों का जो अपना काम होता है उस मामले में जिला परिषदें पंगु बन गयीं हैं।

मान्यवर, पूरे प्रदेश में अभी तक सभी विकास खण्डों को माननीय मंत्री जी इमारत तक नहीं दे पाये। बहुत से विकास खण्ड जो इन्टीरियल में पड़े हैं, वहां आने जाने के लिए मार्ग नहीं बनवा पाये हैं। पर्वतीय क्षेत्र में अगर चले जायं तो विकास खण्डों का क्षेत्रफल हमारे यहां की दो-दो तहसीलों के बराबर होता है। वहां पहुंचने के साधन नहीं हैं। चाहे टेहरी में लें चाहे पिथौरागढ़ को ले लें। वहां जनता को सुविधाएं देने की तरफ यह ब्लाकों के माध्यम से असफल रहे हैं। खण्ड विकास कार्यालय बहुमुखी विकास के केन्द्र के रूप में बन गये हैं। चाहे डी0 आर0 डी0 ए0 का काम हो, कृषि विभाग का हो, कोई और कार्य हो, यह इस विभाग के केन्द्र हैं। इन केन्द्रों पर मुखिया बैठा दिया गया है खण्ड विकास अधिकारी को। कार्यक्रमों की खिचड़ी यह मुखिया खण्ड विकास अधिकारी बन गया है जो अपने मातहतों से कम वेतन पाता है। उनके सामने दब कर रहता है। माननीय मंत्री जी बता रहे थे खण्ड विकास अधिकारियों को दो तरह का वेतनमान दिया जा रहा है। सामान्य नीति है कि समान काम के लिए समान वेतन दिया जायेगा। ग्राम्य विकास अनुभाग दो तरह का वेतन दे रहा है। काम समान है। इसी तरह आर0 ई0 एस0 का जे0 ई0 है और दूसरे विभागों के कर्मचारी हैं जिन पर नियंत्रण बी0 डी0 ओ0 का होता है लेकिन बी0 डी0 ओ0 का वेतन उनसे बहुत कम है। आप स्वयं देख सकते हैं यह विसंगतियां उत्तर प्रदेश से बाहर कहीं नहीं मिलेंगी। मान्यवर, इनका विभाग एक ऐसा विभाग है जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों में जो चाहे जिस नाम से चाहे चला आता है। कोई नियंत्रण नहीं है। जिला स्तर पर एक पद पर एक कार्य के लिए कहीं से भी आदमी आ जाता है। अगर आई0 ए0 एस0 है तो मुख्य विकास अधिकारी बन गया अगर पी0 सी0 एस0 है, तो जिला विकास अधिकारी बन गया। इनके विभाग में कोई भी अधिकारी जो पद नाम लेकर चाहे चला आता है। काम समान है पद नाम अलग-अलग। जैसा कि माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, वह आगे बढ़ाने का काम करने के लिए जो शासन से बजट लिया जाता है उस बजट से ऐशो-इशरत की जिंदगी बिताते हैं, और उनका इस ओर ध्यान भी नही जाता और न ही इसके आगे बढ़ाने का कोई वास्ता उनको रहता है। जब कहीं पर कोई बात आती है तो इसकी जिम्मेदारी किस पर ठहराई जाती है, वह बी0 डी0 ओज पर इसी प्रकार से आर0 इ0 एस0 के अन्तर्गत लघु सिंचाई के अन्तर्गत कोई देखने वाला नहीं है कि यह क्या कर रहे हैं और कब आते हैं और कब जाते हैं, देखने वाला कोई नही है।

मान्यवर, एक मांग यहां पर बराबर उठती रहती है कि ग्राम्य विकास और पंचायती राज दोनों को मिलाकर समन्वय कायम करने के लिए एक आयुक्त बैठा दिया जाए और एक साल पहले वह आयुक्त बैठा भी दिया गया। लेकिन मान्यवर, एक तरफ तो ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज आयुक्त बैठा है और दूसरी तरफ पंचायती राज निदेशालय भी कायम है, जिसका निदेशक एक आई0 ए0 एस0 आफिसर है। नतीजा यह हो रहा कि ग्राम्य विकास और पंचायती राज आयुक्त को निदेशक पंचायती राज कोई मानने के लिए तैयार नहीं है। मात्र वह इस प्रकार से ग्राम्य विकास आयुक्त ही बनकर वह रह गया है।

जो समन्वय कायम करने की धारणा थी, मान्यवर, वह धारणा धरी की धरी रह गयी, बल्कि समाप्त होती नजर आ रही है, मान्यवर, इसके समन्वय में जो बातें बाधक बन रही हैं, उनको माननीय मंत्री जी देखें और इनकी समस्याओं को दूर करते हुए आयुक्त, ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज को सशक्त बनाएं ताकि जिस धारणा को लेकर इसको बनाया गया था, वह धारणा फिर फलीभूत हो सके।

मान्यवर, इसके अलावा माननीय मंत्री जी ने एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, ग्राम्य बेरोजगार योजना और एन0 आर0 इ0 पी0 के बारे में भी कहा। एकीकृत योजना में मान्यवर इतनी त्रुटियां हैं कि जो लभार्थी यह सोचकर जाता है कि शायद हमें कुछ वहां से मदद मिलेगी, लेकिन वह मान्यवर, उसके लिए कारगर नहीं हो पाती है। उसका कारण यह है कि जो उसको अनुदान मिलता है और इस अनुदान के लिए उसे जिन-जिन स्तरों से होकर गुजरना पड़ता है, यह वही जानता है कि जितना उसे फायदा नहीं होता है, उससे ज्यादा उसके आने जाने में दिन खर्च हो जाते हैं। अगर हिसाब लगाया जाए कि जो अनुदान उसे मिला है, वह उसी दौड़ के बराबर बैठता है इसलिए माननीय मंत्री जी इसको आप देखें कि एकीकृत योजना जो काफी समय से चल रही है, जिस पर करोड़ों रुपया खर्च होता है, उस स्तर से लोगों को फायदा नहीं पहुंच रहा है, कागज में ब्योरा तो जरूर बन जाता है कि फलां के नाम, फलां के नाम इतना-इतना रुपया, लेकिन फायदा किसी को नहीं हो रहा है, बल्कि दिन पर दिन गिरावट आती जा रही है। इस बात को आप किसी भी क्षेत्र में चले जायं देखें कि वहां के लाभार्थियों के जीवन में कोई परिवर्तन नहीं नजर आयेगा। इसको सही मामलों में लाभार्थियों के लिए लाभप्रद बनायें तभी लोगों के जीवन स्तर में फर्क नजर आयेगा। मान्यवर, माननीय मंत्री जी की ओर से यह भी कहा गया है कि हम इस में स्वैच्छिक संस्थाओं का सहयोग भी लेने जा रहे हैं मान्यवर, यह सोचने की बात है कि जब एकीकृत योजना के माध्यम से आज हर जगह लूट मची हुई है, वही पर एक साझीदार ला कर खड़ा करना चाह रहे हैं। इससे स्थिति में कोई सुधार नहीं होगा उन स्वैच्छिक संस्थाओं को अगर शामिल कर दें तो मैं समझता हूं कि लाभार्थियों को जो लाभ मिलना चाहिये, उसमें एक नया व्यवधान पैदा हो जायेगा, इसलिए इस पर इन्हें फिर सोचना चाहिए। एकीकृत ग्राम्य विकास योजना से गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वालों को लाभ पहुंचाने की बात है, मान्यवर, आप भी यह चाहेंगे कि जो इसकी सीमा रेखा रखी गयी है, जितने रुपयों की रखी गयी है, वह कम है, इसको बढ़ाकर कम से कम 10 हजार रुपये की सीमा रेखा करनी चाहिये और इससे नीचे के लोगों को गरीबी की रेखा के अन्तर्गत माना जाना चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष—

वर्मा जी, अभी आपको समय मिलेगा, कितना समय और लेंगे।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, 5 मिनट और लूंगा। मान्यवर, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना में जो काम होता है, मेरा दावा है कि जितना भी पैसा इस योजना के तहत स्वीकार किया जाता है, उसका 60 प्रतिशत तो ऊपर से नीचे तक कमीशनबाजी में चला जाता है और 40 फीसदी का काम होता है। जो काम 100 पैसे में होना चाहिये, वह काम केवल 40 पैसे में कराया जाता है, वह कितने दिन टिकेगा और उसकी कितनी मजबूती होगी, इसकी आप स्वयं कल्पना कर लें।

खाद्यान्न मजदूरी के नाम पर खुले बाजार में खाद्यान्न बेचा गया। उत्तर प्रदेश में एक भी ब्लाक में इस योजना में मजदूरों के पास खाद्यान्न पहुंचा हो तो माननीय मंत्री जी बता दें। सारा खाद्यान्न खुले बाजार में अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा बेचा जाता है। शिकायत आती है लेकिन उसके आधार पर एक भी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही माननीय मंत्री जी नहीं की है।

मान्यवर, मानव दिवस के सृजन की बात उठायी गयी। काम ठेकेदारी से करा रहे हैं और मानव दिवस की बात कर रहे हैं। आर0 ई0 एस0 कार्य कर रहा है, और कई विभाग कार्य करा रहे हैं, लेकिन ठेकेदारी की प्रथा के मुताबिक कार्य कराया जा रहा है। जो सिद्धांत, जो नीति इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित की गयी, वह अव्यवहारिक साबित होती जा रही है। मान्यवर, आर0 एल0 जी0 पी0 का यही हाल है। मंडलीय निगमों के बारे में माननीय मंत्री जी ने पहले ही कहा था कि यह नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रदेश में मण्डलीय विकास निगम जो 10 बना रखे हैं, वह कितने जनोपयोगी साबित हो रहे हैं, छिपा नहीं है। घाटा और मुनाफा खुद बता रहे हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि जनता को लाभ पहुंचाने के लिये निगमों की स्थापना की है, दूसरी तरफ खुद कबूल रहे हैं कि घाटे और मुनाफे के आधार पर परीक्षण करके जनता को लाभ पहुंचाएंगे तो उद्देश्य यही साबित हो जाता है। अगर घाटे और मुनाफे के आधार पर चलाएं तो मान्यवर, कभी भी आप देख लें कि पहले इनके 4 निगम फायदे में थे और अब 7 हो गये। अगली बार मंत्री जी बजट पेश करेंगे तो दावा कर रहे हैं कि एक भी घाटे में नहीं रहेगा, तो मान्यवर, यह तो इन्होंने बनिये की दुकान खोल रखी है, इससे जनता को फायदा नहीं हो रहा है। ये निगम जनता के गले में फन्दा बन गये हैं। बेहतर हो आप इनको समाप्त कर दें और जो धनराशि आप इन पर खर्च कर रहे हैं, इसको डाइवर्ट कर दें ब्लाकों की ओर। ब्लाकों के माध्यम से कार्य करायें तो गांवों की दयनीय स्थिति समाप्त हो सकती है। आपने एक विभाग आर0 ई0 एस0 खोल रखा है। केन्द्र सरकार से भी निर्देश आते हैं कि आर0 ई0 एस0 से काम कराया जाय, लेकिन उसमें भ्रष्टाचार है, उसकी कहानी सामने आ रही है। माननीय मंत्री जी ने जो कार्यवाहियों की फेहरिश्त पेश की है, इसने सच को स्वयं बता दिया है। इनके उस विभाग में भ्रष्टाचार की बू आ रही है। जहां पर सैकड़ों कर्मचारियों और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही हुई हो। उसमें स्वयं साबित है कि वह विभाग भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। उसके साथ-साथ मान्यवर मैं खुद यह बात नहीं कह रहा हूं, भ्रष्टाचार से मुक्त है माननीय मंत्री जी, लेकिन वहां के ऊंचे-ऊंचे एक दो अधिकारी हैं, वह कह रहे हैं कि उन्हें डर किसी बात का नहीं है, [xxx] जो अधिकारी बाहर इस प्रकार की बात कह रहे हैं, वह कहां तक सच है? और अगर सच नहीं है तो भ्रष्टाचार का काम करने वाले, माननीय मंत्री जी के नाम का जो आवरण ओढ़ रहे हैं, उसे बेपर्द करना चाहिए। मुख्य अभियंता और दूसरे दो एक अधिकारी ऐसे हैं वहां पर. . .

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय वर्मा जी, एक मिनट रुकें। माननीय मंत्री जी कुछ कहना चाह रहे हैं।

नोटः—[xx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैं माननीय वर्मा जी से उम्मीद नहीं करता था कि इस प्रकार के व्यक्तिगत आक्षेप, अनर्गल, बिना किसी तथ्य के वह करेंगे।

श्री भगवानदीन कुशवाहा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं इजाजत नहीं दे रहा हूं।

श्री अफसर यु0 अहमद—

मान्यवर, इसे कार्यवाही से निकलवा दें।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कार्यवाही देख लूंगा, कोई अनुचित बात होगी, तो कार्यवाही से निकलवा देंगे।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी के ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। सिर्फ मैं यह बात कह रहा हूं कि एक-दो अधिकारी वहां पर, जो ईमानदारी का आवरण ओढ़े बैठे हुए हैं, वह इस बात को कह रहे हैं कि उनके विभाग से 50 हजार रु0 मंत्री जी के पास प्रति मास जाता है। अगर माननीय मंत्री जी समझते हैं कि यह नहीं आता है, तो इसे देखें कि जो बदनाम कर रहे हैं माननीय मंत्री जी को, वह इस तरह की चर्चा क्यों कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें, माननीय वर्मा जी, समाप्त करें।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैंने माननीय मंत्री जी के ऊपर छोड़ दिया है कि वह खुद ही देखें।

श्री उपाध्यक्ष—

अगर कोई आरोप लगाना है तो पहले लिखकर के भेज दीजिये।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैंने यह बात सदन में कही है।

श्री उपाध्यक्ष—

आरोप लगायें, लेकिन पूर्व में लिखकर के भेज दीजिये।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरा आरोप मंत्री जी के ऊपर नहीं है। मैं उन अधिकारियों की बात कह रहा हूं। जो अधिकारी माननीय मंत्री जी को बदनाम कर रहे हैं, आरोपित कर रहे हैं, मैं तो माननीय मंत्री जी से यह अपेक्षा कर रहा हूं कि अपना दामन टटोल कर पहले देख लें और इन अधिकारियों के बारे में भी वह सोचें।

श्री भगवान दीन कुशवाहा—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष–

कुशवाहा जी, जब तक वह बैठेंगे नहीं, व्यवस्था का प्रश्न नहीं उठाया जा सकता है। बीच में नहीं उठाया जाता।

श्री राम आसरे वर्मा–

मान्यवर, इधर बैठे कुछ कांग्रेसी भाइयों का कहना यह है कि मंत्री जी की औकात 50 हजार रु0 नहीं है। अगर ज्यादा है, तो वह भी मंत्री जी साफ कर दें।

मान्यवर, इनका एक भू-गर्भ सर्वेक्षण संगठन है । यहां पर क्या काम हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है, किसी को कुछ नहीं मालूम । आज स्थिति वहां पर यह है कि अधिकारियों के बीच गुटबन्दी व लड़ाई हो रही है । माननीय मंत्री जी को भी इस बात की जानकारी होगी । उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है । किसी भी अधिकारी के खिलाफ दूसरा अधिकारी एफ0 आई0 आर0 लिखा देता है और वह दूसरा अधिकारी अनुमति लेने की भी नहीं सोचता है । माननीय मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत करते समय तर्क दिये हैं, उन सब में खोखलापन था कोई भी ठोस तर्क उन्होंने नहीं दिये । मैंने जो कटौती का प्रस्ताव पेश किया है, मैं सदन के माननीय सदस्यों से अपेक्षा करता हूं कि वह इस कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करके माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट को विफल करने का कष्ट करेंगे ।

चौधरी श्याम लाल–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत ग्राम्य विकास विभाग के बजट का समर्थन करता हूं तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। मान्यवर, यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि हर व्यक्ति ईमानदार होता है, जब तक कि उसके ऊपर लगाये गये आरोप प्रमाणित नहीं हो जाते हैं, इसलिए माननीय वर्मा जी द्वारा माननीय मंत्री जी के ऊपर इस तरह के आरोप लगाना कोई अच्छी बात नहीं है । मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव देना चाहता हूं । यह तो विपक्ष को भी मानना पड़ेगा कि हमारी जो ग्रामीण विकास लघु सिंचाई योजना है, वह अच्छी है । सिंचाई विभाग में कहीं बिजली की समस्या है या कहीं मेन्टीनेन्स की समस्या है, नलकूप निर्माण खण्ड से समस्या है, जो व्यक्तिगत सिंचन क्षमता बोरिंग की है, वह सिंचाई विभाग की नहीं है । जहां तक इसमें भ्रष्टाचार का सवाल है, उसका इसमें कोई प्रश्न नहीं है । 3 हजार रुपया यह अनुदान देते हैं और जो पम्पसेट लगाते हैं, उसमें सब्सिडी देते हैं, कर्मचारियों का इसमें इन्वालमेंट नहीं है, जिससे भ्रष्टाचार हो सके । बैंकिंग के माध्यम से सुविधा है । मैं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के बारे में यह कहना चाहता हूं कि वहां पर पानी का स्ट्रेटा कम है जो 3 हजार रुपए का अनुदान दिया जाता है, वह वहां के लिए कम है, इसलिए इस धनराशि को बढ़ाकर 10 हजार रुपया कर दिया जाय । व्यक्तिगत बोरिंग, सोयल टेस्टिंग-भूमि का परीक्षण करना व अच्छे बीज उपलब्ध कराना इस विभाग द्वारा किये गये अच्छे कार्यों में एक विशिष्ट स्थान रखता है ।

सिद्धान्ततः प्रजातंत्र शक्ति के विकेन्द्रीयकरण की एक कड़ी है। ग्रामों का विकास ही राष्ट्र का विकास है । 80 प्रतिशत जनता गांवों में ही रहती है । विकास खंडों में जितनी भी योजनायें हैं, जैसे आपने कम्यूनिटी वेलफेयर सेन्टर खोले हैं, इन

सेन्टर्स में एक टी0 वी0 की व्यवस्था कर दी जाय चाहे साज-सज्जा भले ही न हो ताकि लाभार्थियों को ज्ञात हो सके कि शासन उनके लिये कौन सी योजनाओं को लागू कर रहा है और उन्हें इससे यह लाभ होने वाला है । प्राइस आफ इन्डिपेन्डेन्स इज सीजलेस विजिट (प्रजातन्त्र की कीमत अनवरत सचेष्टता से है ।) प्रजातंत्र की कीमत, अनवरत सचेष्ट रहना है । इसलिए ऐसे साधन जुटायें जायं, जो प्रत्येक नागरिक को गांवों में पहुंच सके। ग्रामीण विकास के संबंध में प्रदेश का ग्रामीण विकास के संबंध में प्रदेश का ग्रामीण विकास मंत्रालय भारत सरकार की गाईडलाइन्स में काम करता है और नीति निर्धारित करता है और कुछ हमारे विभाग की भी नीति होती है। वैसे इसका मौलिक रूप से सिद्धान्त यह है कि ग्रामों का विकास होना चाहिए जैसे सामाजिक वानिकी है। इसके अतिरिक्त आप सफाई के मानक तय करा लें, खड़ंजे के मानक तय कर लें, मार्ग का मानक तय कर लें, आप एक विकास खण्ड के कोई भी पांच गांव ले लें, आपके पास सूचना आ जानी चाहिये कि इस ब्लाक के 5 गांव पूर्ण संतृप्त हैं। आपके यहां जो फिजिकल प्रोग्रेस हो रही है, उसके लिये सुझाव दूंगा कि जो भी योजना है, उसकी ग्राफीकल रिप्रेजेन्टेशन सहित रिपोर्ट आनी चाहिये, उसके बाद आप आफीसर्स को बिठाकर मानीटरिंग करें । दूसरा सुझाव यह है कि हमने देखा है कि विधायकों में असंतोष सा है, जब ग्रामीण विकास के लिए सबकी धारणा है, तो विधायकों का इन्वाल्वमेंट इसमें होना चाहिये। विकास खंड अधिकारी और कर्मचारी और आपके ब्लाक प्रमुख दो ही रहते हैं और विधायक का इतना व्यस्त कार्यक्रम रहता है । मानीटरिंग के समय विधायक की आख्या भी आनी चाहिए हम यह देखते हैं कि विकास खण्डों के कार्यक्रम में विधायकों का इन्वाल्वमेंट कम है । जहां तक ग्राम विकास में हम देखते हैं प्रक्रिया संबंधी जो मौलिक रूप से इनकी धारणा है, नीतिगत विषय में तो ग्रामीण विकास अभी तक हो जाना चाहिये था । प्रक्रिया संबंधी नियम बहुत विचारपूर्वक बनने चाहिये, लाभार्थी को लाभ नहीं पहुंच पाता है, योजना ब्यूरोक्रेसी के जाल में फंसकर रह जाती है । ग्रामीण नीतियों में पंचायती अधिकारी को जो पहले पंचायत सेवक था अब तो अधिकारी हो गया है, उसको इतनी धनराशि न दें कि दुरुपयोग हो ।

इन्दिरा आवास बनाये गये, किन्तु गुणवत्ता आधार नगण्य है । एक मानक प्रदेश में तय कर दें चाहे एक कमरा बनवायें लेकिन सफाई और वैण्टीलेशन की व्यवस्था हो, चाहे बाउन्ड्री बनवा दें और एक कमरा बनवा दें । इन्दिरा आवास में मानक तय करना होगा । आप शौचालय की भी व्यवस्था करने जा रहे हैं । मकान कैसा होगा, इतनी धनराशि में कैसे पूरा होगा, उसको मानक का नक्शा या सजरा रखें । विकास खण्ड में भी भेजें ताकि विधायक भी देख सकें । होता यह है कि मार्च के महीने में इटा लिया और मिट्टी ली और बनवा दिया । ग्रामीण विकास करना है तो प्रक्रिया नीति तय करनी होगी । मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी को ग्राम्य विकास के बारे में गम्भीरता से सुनने के बाद मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री जी ने बड़ी वेदना प्रगट की कि जिला परिषद् का चुनाव करायेंगे, लेकिन उन्होंने न्याय पंचायतों के चुनाव के बारे में कोई चर्चा नहीं की । न्याय पंचायत भी ग्राम्य विकास के साथ-साथ एक महत्वपूर्ण अंग है । मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी अपने उत्तर भाषण में न्याय पंचायतें कितने समय से बन्द हैं, इस संबंध में भी चर्चा करेंगे ।

मैं मुख्य रूप से जो 20-सूत्रीय कार्यक्रम के बारे में माननीय मंत्री जी ने कहा है, उस पर ध्यान केन्द्रित करते हुए प्रगति रिपोर्ट 86-87 की एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के प्रश्न की ओर ध्यान आकर्षित करूंगा । माननीय मंत्री जी, जरा एक मिनट मेरी बात को सुनने की कृपा करें कि छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले उन परिवारों को माना गया था कि जिनकी वार्षिक आय रु0 3500 से अधिक नहीं थी । अब आपने गरीबी की सीमा को बढ़ा कर रु0 6400 कर दिया है । यह दो प्वाइन्ट हैं जिस पर मैं आपसे दरखास्त करूंगा कि गरीबी की रेखा को और उस रेखा की सीमा को तय करने के लिये भारत सरकार ने कुछ मानक तय किये थे । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि एन0 आर0 ई0 पी0 के अंतर्गत और रोजगार योजना में 5 या 6 रु0 नकद और गेहूं देकर काम कराया जाता है । तो एक आदमी को 11 1/2 रु0 के हिसाब से आप दैनिक मजदूरी देते हैं तो आप 3500 रु0 आर्थिक इनकम वाले की इनकम को बढ़ा कर 6400 रु0 करने जा रहे हैं। इनकम को बढ़ा कर यदि गरीबी की रेखा बढ़ती तो कोई बात नहीं थी, लेकिन इसमें से राजनीतिक दुर्गन्ध आ रही है। आखिर भारत सरकार ने जो मानक रखा है बीस सूत्रीय कार्यक्रम की गाईड लाईन के मुताबिल उसमें महिलाओं को 5 परसेन्ट रु0 मिला है, जबकि महिलाओं को अधिक रुपया मिलना चाहिये था, लेकिन उनको मिला है केवल 5 परसेन्ट लेकिन जिनकी वार्षिक आय 1,000 रु0 तक की इनकम है उनका प्रतिशत आया है ढाई। जो आप मजदूरी में रुपया बढ़ा रहे हैं उसमें इनकम में नहीं बढ़ोत्तरी होती है, तो आप गरीबी की रेखा को बढ़ा कर केवल उपहास कर रहे हैं । भारत सरकार के आई0 आर0 डी0 के सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि 3500/- से उधर को 50 प्रतिशत धन मिला है गरीब को नहीं ।

आपने स्वीकार किया है कि बिना किसी आधार के बढ़ा कर देंगे, इस योजना का महत्व है, इसको सीमित करके ऐसे लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिये जो कि वास्तव में इसके हकदार हों । आपकी योजना से बड़े लोगों को प्रोत्साहन मिलेगा, गरीबों को नहीं। वह गरीब जिसकी इनकम तो है एक हजार या दो हजार रुपये वार्षिक वह 3,000 से कैसे ऊपर उठ पायेगा, आप यह हमें समझा दीजिये ?

मैं आपको बतला रहा हूं कि मेरे क्षेत्र मदसैना में कपड़ा मुनकरों को ताने-बाने के लिये तीन हजार रुपया दिया गया। जब हमने बैंक के मैनेजर, मुख्य विकास अधिकारी के साथ मीटिंग की और विचार किया तो उसका कहना था कि उसके परिवार में तीन लोग हैं जो कि काम पर लगे हुए हैं और एक महीने में मुश्किल से जब तीनों आदमी काम करते हैं, तो गुजर हो पाती है । जितना कमाते है उससे ज्यादा ब्याज में चला जाता है। तीन आदमी यदि काम पर लगे रहें तो एक दिन में 11 या 12 रुपये कमा पाते हैं तीन प्राणी । मेरा कहने का मतलब है कि इससे और गरीबी बढ़ेगी । मेरी प्रार्थना है कि इस तरह से आप गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों के साथ मजाक मत करियें । मैं कटौती के प्रस्तावक के इस कथन से सहमत नहीं हूं कि आय सीमा 10,000/- रु0 कर दी जावे । यह तो और गलत होगा ।

मैं फिर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि आपने बड़े विस्तार के साथ पानी के बारे में लिखा है लेकिन मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि हैण्ड पम्पों का रख-रखाव, हैण्ड पम्पों की मरम्मत का कार्य पूरा नहीं हो सका है । इसके लिए

जिला पंचायत राज अधिकारियों को टूल, किट और स्पेयर पार्टस उपलब्ध कराने के लिये निर्देश दे दिये गये हैं । श्रीमन् आपको ध्यान होगा कि मैं और श्री मैनेजर सिंह आपके कक्ष में मई के महीने में गये थे और आपसे अनुरोध किया था कि आपके ग्राम्य पंचायत के जो सबसे बड़े अधिकारी हैं, हैन्ड पम्प की मेनटेनेन्स में जो धन आपने सुरक्षित किया है उसके अधिकारी टूल, किट्स के स्पेयर पार्टस क्रय करके कमीशन लेने पर उतारू हैं मैंने कहा कि इसीलिए टूल किट्स खरीद रहे हैं । इसलिये टूल किट्स खरीदेंगे और फिर ब्लाक्स में भेजेंगे। अभी 5-5 आदमियों को फ्री ब्लाक से हैन्ड पम्प मैकेनिक की ट्रेनिंग दी गयी और तय किया गया कि आप लोगों से मेकैनिक का काम लेंगें, लेकिन उनको आप भर्ती नहीं करेंगे, लेकिन टूल किट्स जरूर खरीदे जायेंगे, कमीशन खाना है आपके आयुक्त को, तो गरीबी से नीचे की रेखा के लोगों को कोई लाभ नहीं मिलने वाला है । आपने विकास आयुक्त से कहा था कि मैं इस योजना के पक्ष में नहीं हूं । आपने कहा कि आपने बिना मेरी सहमति मांगे और आपकी सहमति के खिलाफ टूल्स किट्स खरीदने की योजना कैसे बनायी । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि टूल किट्स का खरीदना बेबुनियाद और असंगत है । आपके अधिकारियों की जेब में पैसा जाने की सीधी योजना है और लोगों को प्यासा मारने की योजना है ।

मान्यवर, ग्रामीण भूमिहीन गारन्टी कार्यक्रम के अंतर्गत स्वच्छ शौचालयों की स्थापना हेतु वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में 2 करोड़ 12 लाख व राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत वर्ष 1986-87 में एक करोड़ 6 लाख रुपये कुल 3 करोड़ 18 लाख रुपये की धनराशि जिला ग्राम्य विकास अभिकरणों को उपलब्ध कराई जा चुकी है । इस कार्यक्रम के अंतर्गत उक्त प्राप्त धन से 1986-87 में 45 हजार शौचालय स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है । लेकिन मान्यवर मैं कहना चाहता हूं कि यह सब झूठ और बेबुनियाद है । हमारे यहां आगरा में बैठक हुई थी, नियोजन की बैठक हुई थी, तो मैं कहना चाहता हूं कि एक भी शौचालय जनपद आगरा में नहीं बना है, उधर के लोग बैठे हैं, वह जानते हैं, एक आध कहीं किसी पंचायत घर के पास शौचालय बन गया हो, तो नहीं कह सकता हूं । आप इसकी जांच करा लें और माननीय सदन के सदस्यों की एक समिति बना दें, जो अपनी रिपोर्ट दे । मान्यवर, जहां तक सी0 डी0 ओ0 और ग्राम्य विकास आयुक्त का संबंध है, वह रुपया खाने का काम कर रहे हैं ।

मान्यवर एक और बात कहना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी ने अपनी प्रगति पुस्तिका में कहा है कि अब तक 45 हजार में कुल 44067 शौचालयों का निर्माण कराया जा चुका है और इस कार्यक्रम में लगभग 2205 लाख मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ है, मैं इन दोनों बातों से सहमत नहीं हूं । आपको आपके अधिकारियों ने गुमराह किया है। मान्यवर, व्यावहारिक पुष्टाहार कार्यक्रम के अन्तर्गत सुल्तानपुर, इटावा, बांदा, बस्ती, इलाहाबाद, देवरिया और गोरखपुर को लिया गया है, इसी-प्रकार से विशेष पुष्टाहार कार्यक्रम के अंतर्गत सुल्तानपुर, इटावा, बांदा, बस्ती, इलाहाबाद देवरिया और गोरखपुर को लिया गया है, तो मान्यवर, पश्चिम के जिलों का क्या होगा? जो पौष्टाहार योजना है वह 4-4 सौ बच्चों की योजना है, तो आप पश्चिम की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं आप इस पर पुर्नविचार करें । आप अपने इलाहाबाद के ब्लाक

प्रमुख को बुलाकर पूंछ लें कि एक भी आदमी बता दे कि फलां-फलां जगह पर पौष्टाहार वितरित किया गया है, यह उसी प्रकार से है, जिस प्रकार से कल 35 लाख रुपये की खिचड़ी का मामला सदन में मैंने उठाया था । इस तरह से यह धन सीधे आपके अधिकारियों की जेब में जाता है ।

आपको मालूम है कि बच्चा पैदा होने से 6 साल की उम्र तक पौष्टिक आहार दिया जाता है, लेकिन कोई देने नहीं जाता है । मान्यवर, आपकी निर्बल आवास योजना जो है, इसमें बड़ा भारी धोखा है, दिखावा है । इस संबंध में एक बात बता दूं कि 3 हजार रुपया मकान बनाने के लिये स्वीकार किया गया है, तो मैं जानना चाहता हूं कि आज इतने रुपये में कौन मकान बनता है और जब बैंक से ऋण लेने जाते हैं तो वह बिना पैसा लिये ऋण नहीं देते हैं । आपने अपनी योजनाओं में बताया कि हम 3 हजार रुपया नहीं दे पायेंगे तो बैंक भी बिना रिश्वत के नहीं देगा । इसलिए जितना रुपया आप दे सकते हैं उतना दिलवाइये । मैं कहना चाहता हूं कि अभी स्कूलों के बारे में आपने बताया । मैं कहना चाहता हूं कि आप आर0ई0एस0 एक ईंट की दीवाल बना रहे हैं और उसमें 1/7 का सीमेंट चिनाई में लगेगा । आपके इंजीनियर भी कहते हैं कि एक इंच मोटी दीवाल मजबूत बनेगी । इस संबंध में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह मानक ठीक नहीं है स्कूल गिरेंगे, बच्चे दबेंगे-धन का दुरुपयोग होगा । आप अपनी इन योजनाओं को पुनरीक्षित करें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं ।

श्री निसार हुसैन–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ऐसे बजट पर बोलने का मौका दिया है जिस विभाग से हमारे ग्रामीण अंचलों का विकास जुड़ा हुआ है । इस विभाग के द्वारा पूरे उत्तर प्रदेश का विकास टिका हुआ है । इस विभाग द्वारा विभिन्न प्रकार की योजनायें चलाई जा रही हैं । इस विभाग के द्वारा उसकी योजनाओं के द्वारा विकास खण्डों के भवनों का निर्माण, प्रसार और प्रचार तथा विकास खण्डों में जीपों की व्यवस्था करना है । इस संबंध में मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि कुछ विकास खण्ड ऐसे हैं जिनमें अभी तक भवन नहीं बन पाये हैं और जीपों की व्यवस्था नहीं हो पायी है । माननीय मंत्री जी ने जैसा कि अपने भाषण में कहा है कि हम यहां पर भवनों के निर्माण के संबंध में कोशिश कर रहे हैं और हमारी यह कोशिश है कि वहां पर जीपों की व्यवस्था हो ।

मैं माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिन विकास खण्डों में भवन बने हुये हैं और बहुत लम्बे समय से बने हुये हैं उनकी हालत बहुत खराब हो गई है, वहां की जीपों की हालत बहुत खराब हो गई है । इस संबंध में मैं राम-पुर जनपद के स्वार विकास खण्ड की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं । वहां पर 14 साल पहले एक जीप मिली थी । उसकी हालत बहुत खराब हो गई है । मैं कहना चाहूंगा कि इसके लिये आप कोई मानक तय कर दें इन जीपों के मामले में कि 10 हजार या 50 हजार किलोमीटर चलने के बाद ये जीपें रिजेक्ट हो जायेंगी और वहां पर नई गाड़ियां दी जायेंगी । चूंकि होता यह है कि रामपुर के टैक्नीशियन मुरादाबाद में रहते हैं और जीपें जब वहां पर भेजी जाती हैं वे इन्हें रिजेक्ट करने में

अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं । इसलिये मेरा अनुरोध है कि उनके किलोमीटर या कोई वार्षिक 10 साल, 15 साल की अवधि आप तय कर दें कि इतने किलोमीटर चलने पर या इतने साल के बाद वह गाड़ी रिजेक्ट कर दी जायेगी । इस संबंध में माननीय मंत्री जी ध्यान दें ।

माननीय मंत्री जी, आपके विभाग में एक ग्रामीण अभियंत्रण विभाग (आर0 ई0 एस0) आता है जिसके अंतर्गत ग्रामीण अंचलों में पक्की सड़कों, नालियों, कुओं आदि के जो निर्माण कार्य रहे हैं, वह इस विभाग द्वारा कराये जाते हैं। मेरा इस विभाग के संबंध में आपसे यह अनुरोध है और मैंने अपने जनपद में यह महसूस किया है कि विकास खण्डों में इस विभाग के जे0 ई0 की कमी है । मेरा निवेदन है कि जिन जनपदों में जे0 ई0 की कमी है वहां पर आप इनकी व्यवस्था करें । इस विभाग के द्वारा एक राष्ट्रीय वायुगैस योजना भी चलाई जा रही है और मेरे जनपद रामपुर की इसमें बहुत बड़ी भागीदारी है । यह हमारे लिये ऊर्जा का बहुत बड़ा विकल्प है । ऊर्जा के विकल्प के रूप में यह प्रोग्राम चलाया जा रहा है मेरा सुझाव है कि इस योजना की तरफ और अधिक ध्यान दिया जाय और कृषकों को प्रोत्साहित किया जाय इसमें सबसिडी और अनुदान की धनराशि को बढ़ाया जाय। इसमें जो राज काम करते हैं उनको और अधिक प्रशिक्षण दिया जाय। हमारे जनपद में स्वार, बिलासपुर क्षेत्र में जहां इस योजना के अन्तर्गत काम हो रहा है उसके लिए जो राज लगे हैं उनको और प्रशिक्षण दिया जाय जिससे वह और अच्छा काम कर सके और अच्छे प्लांट बना सकें।

आपका विभाग पुष्टाहार योजना चलाता है। यह योजना हमारे यहां भी चल रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सुना है यह योजना रामपुर से हटाई जा रही है शायद पश्चिमी जिलों से हटा कर इसे पूर्वी जिलों में ले जाया जा रहा है। इस समय इसमें जो महिलायें काम कर रही हैं चाहे वह ए0 डी0 ओ0 के रूप में हो या ग्राम सेविका के रूप में उनका तबादला रामपुर से किसी का गोरखपुर, किसी का बलिया और किसी का बस्ती आदि को किया जा रहा है जिससे उनको काफी कठिनाई हो रही है उनको सर्विस करते-करते काफी समय हो गया है। इसलिए इनको स्थानान्तिरित न करके उन्हीं जनपदों में रहने दिया जाय और इस योजना को भी हमारे जनपद में ही चलाया जाय ताकि ग्रामीण महिलाओं को फायदा हो सके। मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप समाप्त करें।

श्री सरदार सिंह--

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, हिन्दुस्तान गांवों में बसता है। पूज्य बापू के स्वप्नों को अगर साकार करना है और उनके स्वप्नों का भारत बनाना है, तो गांवों को मजबूत करना होगा। उन्होंने इसके लिए तीन बातों पर जोर दिया था यानी ग्राम पंचायत, ग्रामों में शिक्षा तथा ग्रामों में सहकारिता। लेकिन दुर्भाग्यवश हमारी सरकार 40 साल की आजादी के बाद भी गांवों की आर्थिक स्थिति नहीं सुधार सकी

उसमें वह पूरी तरह से असफल रही है। गांवों में स्कूल जर्जर हालत में हैं उनमें बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं है और न अध्ययन और अध्यापन की कोई व्यवस्था है। ग्राम पंचायतों के और जिला परिषदों के चुनाव अभी तक नहीं कराये। छोटे छोटे वाद-विवादों को पहले ग्राम पंचायतें और सरपंच तय कर दिया करते थे जो आज तय नहीं हो रहे हैं। इसी प्रकार वहां पर सहकारी समितियों में भ्रष्टाचार लबालब भरा है। (व्यवधान)।

श्री निसार हुसैन–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है . .

श्री उपाध्यक्ष–

इस समय कोई व्यवस्था की बात नहीं है।

श्री सरदार सिंह–

इस समय ग्रामीण जनता जो है 62 प्रतिशत से अधिक गरीबी की रेखा से नीचे रह रही है (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपस में बात न करें।

श्री सरदार सिंह–

शहरी और ग्रामीण जीवन में बड़ी विसंगतियां हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य आपस में बात न करें।

श्री सरदार सिंह–

ऐसे ही शिक्षा और पौष्टाहार का मामला है। वहां पर स्वास्थ्य, खानापीना जो है उसकी तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं है और इन चीजों की समुचित व्यवस्था वहां नहीं है।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है, यहां पर सरदार सिंह जी का भाषण हो रहा है और उधर एक टीम हंसी मजाक कर रही है जो बहुत नामुनासिब है। वह बैठ कर हंगामा मचा रहे हैं उनको आप डांटते क्यों नहीं?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्य आपस में बात न करें, शांति बनाये रखें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

क्या इन्हें मान्यवर, आप संसदीय परम्परा सिखाने की कृपा करेंगे?

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने आपसे व्यवस्था मांगी है, जो आप देंगे वह शिरोधार्य होगी। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें आप कुछ ज्यादा मदद नहीं कर पायेंगे। यह बेचारे चन्द दिनों से आये हैं, जब आपका उधर असर नहीं हुआ है तो इधर असर क्या होगा?

श्री किरन पाल सिंह–

क्या माननीय सदस्यों को कोई बेचारा कह सकता है?

श्री उपाध्यक्ष–

बेचारा उन्होंने बच्चों के लिए कहा है, उनसे छोटे हैं, इसलिए कहा है, यह सम्मानजनक है।

श्री अम्मार रिजवी–

'बेचारा' असंसदीय शब्द नहीं है।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, जो श्री अम्मार रिजवी के श्रीमुख से शब्द निकलें उन्हें संसदीय माना जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

सरदार सिंह जी, आप बोलें।

श्री सरदार सिंह–

मान्यवर, 40 साल की आजादी में जितना विकास ग्रामों का विकास होना चाहिए था वह नहीं हुआ है। विकास कार्य बढ़ें या घटें लेकिन इनका जो स्टाफ कर्मचारी हैं वह सुरसा की तरह जरूर बढ़ते चले गये हैं। सड़क बनाने के लिए पी0 डब्लू0 डी0 पर्याप्त है लेकिन आर0 ई0 एस0 की स्थापना क्या खाने पीने के लिए की गयी है। ब्लाक में इंजीनियर, राम गंगा कमाण्ड में इंजीनियर, मंडी परिषद् में इंजीनियर, सिंचाई विभाग में इंजीनियर आदि सभी इन विभागों के इंजीनियरों से कार्य कराये जा रहे हैं। इससे काम जो सड़क बनाने का काम करते हैं। मान्यवर, इससे काम का स्तर नीचे गिरता है। मार्ग निर्माण का कार्य पी0 डब्लू0 डी0 से ही कराना उचित एवं लाभदायक है। डी0 आर0 डी0 ए0 की मीटिंग में जो समन्वय होना चाहिए था वह नहीं है। मान्यवर, क्वालिटी को देखें तो सड़क बनाने में घटिया और निम्नस्तर का मैटेरियल लगाकर क्वालिटी गिरायी जा रही है। इसलिए अनुरोध है कि आर0 ई0 एस0 को तुरन्त तोड़ दें चूंकि पी0 डब्लू0 डी0 का स्टाफ व्यर्थ में बैठा रहता है। उनके पास दूसरे कार्य नहीं हैं और उनके पास इक्यूपमेंट आफ स्टाक अच्छा है। इसलिए रद्दी एवं बोझिल विभाग जो आपने खोल रहे हैं। उनकी क्या जरूरत है, उन्हें तोड़ दें।

मान्यवर, डी0 आर0 डी0 ए0 की जो बैठकें होती हैं, आपके जिलाधिकारी की अध्यक्षता में, उनमें अधिशासी अभियन्ता स्वयं न आकर सहायक अभियन्ता को भेज देते हैं। क्षेत्र समितियों की बैठकों में आपके विभाग का कोई अधिकारी उपस्थित नहीं होता है जिसके संबंध में यहां सदन में और वहां बैठकों में माननीय सदस्यगण कहते रहते हैं लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं होती है। आपका नियंत्रण आपके अपने अधिकारियों पर नाम मात्र का नहीं रह गया है। जिसके कारण हर योजना में भयंकर भ्रष्टाचार है। ब्लाक के कर्मचारी गांव में नहीं रहते हैं जिससे किसानों को दिक्कत रहती है और गाय या भैंस खरीदने के लिए नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट मांगते हैं तो गरीबों को ग्राम विकास अधिकारी के पास अनेक बार दौड़ना पड़ता है और वह कभी भी एक स्थान पर नहीं मिलता है। पिछली बार मैंने निवेदन किया था कि

न्याय पंचायत, हेडक्वार्टर पर आप सभी अधिकारियों को जो विकास से सम्बन्धित हों, जैसे पंचायत सचिव, सहकारिता सचिव विकास अधिकारी हों सभी के लिए एक स्थान पर रहने के लिए काम्प्लेक्स बनाये जायं, जहां सभी कर्मचारी/अधिकारी एक जगह रहें और दिन निश्चित कर दिये जायं जिससे जनता को वह उपलब्ध हो सकें।

मान्यवर, इस प्रकार मेरे क्षेत्र में खारी पानी की बहुत बड़ी और व्यापक समस्या है। खारे पानी का क्षेत्र पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आगरा, मथुरा, एटा और अलीगढ़ आदि में। वहां पर इस बात के लिए भूगर्भ एवं जल सर्वेक्षण विभाग की ओर से एक सर्वे हुआ था कि विभाग का मुख्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कहां पर खोला जाए। इसके लिए वर्तमान मुख्य सचिव और तत्कालीन ए0पी0सी0 की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी और उसने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए सिफारिश की थी और यह रिपोर्ट दी थी कि भूगर्भ एवं जल सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए मथुरा में खोला जाए। इसके लिए दिनांक 16-10-86 को शासन से आदेश भी प्रसारित हो गये थे, किन्तु उसके बाद भी यह कार्यान्वित नहीं हो सका। इसके पीछे कारण यह था कि एक अभियन्ता जिनका नाम मैं यहां पर लेना चाहता हूं एम0एम0 अंसारी, जो लखनऊ छोड़ना नहीं चाहते थे, वह मथुरा नहीं जाना चाहते थे। जो मुख्यालय भूगर्भ एवं जल सर्वेक्षण विभाग का मथुरा में होना चाहिए था, वह लखनऊ में है और यहां से ही सारा कार्य हो रहा है। यह वहां की गम्भीर समस्या है और यह अति आवश्यक है कि तुरन्त मुख्यालय खोलें और आज ही आप इसकी घोषणा करें। ग्राम सभाओं के प्रधान को कोई अधिकार नहीं है, हाट, घाट, मेला, बाजार, मछली-तालाब आदि का ठेका करने का अधिकार अब उनके पास नहीं रह गया है, जिससे उनकी आय के सारे साधन समाप्त हो गये हैं। इसलिए अनुरोध है कि आप यह अधिकार उन्हें पुनः दें और ग्राम सभाओं के चुनाव उनके कराने की घोषणा करें। ग्रामसभाओं और ग्राम पंचायतों को अधिक से अधिक अधिकार दें ताकि जनतंत्र की जड़ें मजबूत हो सकें।

(व्यवधान)

*श्री लाल प्रताप सिंह—

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैंने वर्मा जी को बहुत गौर से सुना, उनकी सारी तकरीर पालिटिकल थी। उन्होंने कहा, जिसको कहने का कोई औचित्य ही नहीं था और कभी भी हियरर्स की बातें इस माननीय सदन में कहनी ही नहीं चाहिए। जो सही बात है, सही ईश्यू है, उसको उन्होंने बिल्कुल इग्नोर कर दिया, नजरन्दाज कर दिया। वास्तव में हमारी लड़ाई गरीबी से, बेरोजगारी से, जहालत से, बीमारी से, सुपरस्टिशस से और अन्धविश्वास से है। यह हमारी सही लड़ाई है और इससे हमको लड़ना आवश्यक है। सारे कार्यक्रम, जो ग्राम्य विकास योजनाएं हैं, उन सबका उद्देश्य निर्धनता को दूर करना, लोगों की जिन्दगी को बेहतर बनाना, उनमें नई दिशा देना, नये विचार का संचार करना यह सब कुछ है और यही नहीं सारे जीवन को इस नए परिप्रेक्ष्य में, नये प्रास्पेक्टिव में बदलने की आवश्यकता है। साइंस और टेक्नालाजी ने दुनियां को बहुत ही प्रभावित किया है और सारे पश्चिमी देशों ने इनका इस्तेमाल करके अपनी गरीबी को दूर किया है। हमको उनसे सीखने की आवश्यकता है और उसका पूरा यूटीलाइजेशन, उसका पूरा उपयोग अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए करना चाहिए।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गांवों की हालत बदली है, लेकिन इसके साथ ही यह भी है कि जिस कदर बदलना चाहिए, जिस कदर हमारी अपेक्षा है, उस तक हम नहीं पहुंच पाए हैं उसके लिए बहुत ही समय की आवश्यकता है और एक प्रखर बौद्धिक आन्दोलन की आवश्यकता है। हमें दोतरफा प्रयास करने हैं हमें आर्थिक विषमता को दूर करने के लिए यह सारे कार्यक्रम चलाने हैं और साथ ही साथ एक आन्दोलन करना आवश्यक है, जिससे जिंदगी बेहतर बन सके। मैं गांवों से ही ताल्लुक रखता हूं और शहर से भी ताल्लुक रखता हूं मैं 40 साल पहले की भी बात जानता हूं मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि गांव की हालत बहुत कुछ सुधरी है और बदली है। गांव बुलककार्ट को स्टेज से ट्रैक्टर स्टेज पर और साइकिल, आटोमोबाइल स्टेज पर आ गये हैं जैसी हम कल्पना करते थे। आज कोई गांव ऐसा नहीं है जहां पर रास्ते न हों या ट्यूबवेल और नहरें न हों। कोई गांव ऐसा नहीं है जहां के बच्चे शिक्षा प्राप्त करने न जा रहे हों। उनकी आकांक्षायें बढ़ रही हैं और वह मुकाबले में आना चाहते हैं। जो कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं, आप उनको देखें, इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्लान का जो कार्यक्रम है उसके माध्यम से जो लोन दिये गये हैं उससे बड़ी तरक्की हुई है। मैंने बहुत से घरों को देखा है, बहुत सी फैमिलीज को देखा है उनका जीवन स्तर आज ऊंचा उठा है। चाहे सिलाई मशीन हो या ऊंट या बुग्गी हो, लोग उनसे अपना करोबार चला रहे हैं। जो परम्परागत काम हैं उनके माध्यम से वह अपनी जीविका चला रहे हैं और अपना जीवन स्तर ऊंचा उठा रहे हैं तथा आत्म निर्भर और स्वावलम्बी बन रहे हैं। हमारी सरकार के सहयोग से वह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं।

अब तो सातवीं पंचवर्षीय योजना में हमारा यह लक्ष्य रखा गया है कि हर ब्लाक में पर इयर कम से कम एक हजार फैमिलीज को माइक्रो लेवेल के मुताबिक पहचानने और उनको गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का कार्यक्रम रखा गया है। 1990 तक 5 हजार फैमिलीज हर ब्लाक में गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकेंगी। मैं माननीय मंत्री जी को कांग्रेचुलेशन, बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने 6400 रुपये की आमदनी से नीचे वालों को गरीबी की रेखा के लिये रखा है।

मान्यवर, इसी तरह से जो ग्राम सभा में लोगों का चयन होता था उसके लिये रजिस्टर रखा जायगा ताकि पहचान रहे। इसी तरह से जो गरीबों को उठाने और उनकी गरीबी दूर करने का कार्यक्रम है यह बहुत बड़ा कार्यक्रम है इसमें हम तेजी से आगे बढ़े हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस कार्यक्रम को और तेजी से लागू करने की आवश्यकता है जो इसमें बुराइयां और कमजोरियां हैं उनको दूर किया जाना चाहिए। इसी तरह से एन0 आर0ई0पी0 कार्यक्रम को लागू करने का जो कांसेप्ट है इससे भी गरीब लोगों को रोजगार मिल रहा है। जो लोग अनइम्पलायड हैं या अंडर इंपजायड हैं जिनके लिये साल के कुछ महीनों में काम नहीं है उनको सरकार इस कार्यक्रम के द्वारा रोजगार दे रही है और लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठ रहा है। इसमें कूप बन रहे हैं और तालाबों को गहरा किया जा रहा है और दूसरी चीजें भी हो रही हैं और लोगों को रोजगार भी मिल रहा है क्योंकि जिस आदमी के पास काम नहीं होता है उसका जीवन नरक है सरकार काम देकर लोगों का जीवन स्तर उठा रही है।

मैं कहना चाहता हूं कि लोगों ने एन0आर0ई0पी0 और आर0एल0जी0ई0पी0 कार्यक्रमों के मातहत पैसा बचाया है। उन्होंने अपने खाने पीने के बाद पैसा बचाया है। इन कार्यक्रमों के माध्यम से उन्होंने थोड़ा बहुत कैपिटल फारमेशन भी किया है, कुछ बचाया है। हमारी ट्राइसेम की जो योजना है इसके माध्यम से लोगों को ट्रेनिंग दी गयी है और लोग गांवों में कारोबार कर रहे हैं, गांव देहात और शहरों में लोन लेकर काम कर रहे हैं और अपना रोजगार स्थापित किया है। यह एक बड़ा कार्यक्रम है और जो हमारे 895 ब्लाक हैं उसमें चल रहा है। केन्द्रीय सरकार की और प्रदेश सरकार की इमदाद से दूसरे कार्यक्रम जैसे सिंचाई स्त्रोत पैदा करना, सड़क बनाना, नलकूप बनाना, बच्चों का रख रखाव, महिलाओं को ऊपर उठाने का कार्यक्रम, स्पोर्ट्स आदि के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। यूथ को आर्गनाइज करके, उनको मोबिलाइज और इनर-जाइज और चैनलाइज करने का काम जिससे वह प्रापर लाइन पर आ सकें, यह काम भी ग्राम्य विकास विभाग से जुड़ा है और ब्लाक स्तर पर इसका सारे का सारा इंतजाम ब्लाक के माध्यम से होता है। अगर आप देखें हर वर्ष कृषि के सम्बन्ध में बताने के कार्यक्रम होते हैं, यह सारे के सारे कार्यक्रम बहुत बेहतर ढंग से चल रहे हैं कोई काम ऐसा नहीं है जिसमें इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश न हो, लेकिन हमारे वर्मा जी ने कोई ऐसी बात नहीं कही कि कैसे इसको बेहतर बनाया जाए बस भ्रष्टाचार-भ्रष्टाचार ही करते रहे। मैं माननीय मंत्री जी को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि जो कार्यक्रम आपके हैं उसमें कुछ नवीनता लाने की आवश्यकता है। अन्त में मैं उपाध्यक्ष जी के माध्यम से कहना चाहता हूं कि साइंस और टैक्नालौजी का प्रयोग किया जाए नयी टैक्नोलौजी का प्रयोग किया जाय।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपना भाषण सीमित करें।

श्री लाल प्रताप सिंह–

जो कार्यक्रम हमारे आज चल रहे हैं बख्शी के तालाब आदि पर, मैं कहना चाहूंगा कि नयी चीजों के सहारे गांव के जीवन को बेहतर बनाने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। गांव में भूमि सुधार पूरी तरह से प्रभावशाली ढंग से नहीं हैं आप देखें जमीन का हिसाब किताब इस तरह से होना चाहिए कि जमीन गरीबों को मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री धनराज यादव–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मैं माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं और माननीय राम आसरे वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। मान्यवर, इस विभाग में दो विभाग समा गये हैं ग्राम्य विकास एक अलग विभाग है, उसमें पंचायती राज जो स्वयं महत्वपूर्ण विभाग है, को मिला दिया है। महात्मा गांधी जो लोकतंत्र के उद्गाता हैं उनकी बदौलत हम आज यहां बैठे हुए हैं। मान्यवर, जिस लोकतान्त्रिक व्यवस्था में हम यहां बैठे हैं यह पश्चिम की देन है। मान्यवर, गांधी जी की सोच थी कि पंचायती राज्य के माध्यम से गांव की सारी व्यवस्था करेंगे उसी सोच को आज हमने ग्राम्य विकास के पेट में समा दिया है इसीलिए सारी बुराइयां पैदा हुई हैं।

मान्यवर, जिला परिषदों के बारे में मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अंग्रेजों के जमाने में जिला परिषदें ज्यादा दमदार थीं यह बहुत काम करती थीं लेकिन आज आजादी के समय में जब अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण होना चाहिए था, तो केन्द्रीयकरण हो गया और आज जिला परिषदें मृत के समान हैं उनकी मौत कर दी गई है अब न इसके अन्दर स्कूल हैं न इनके अन्दर कोई जिले की सड़कें हैं अस्पताल है न डाक बंगले हैं न और कुछ है, जबकि पहले सब कुछ था। मान्यवर, यह बारह करोड़ जनसंख्या का प्रदेश है शासन व्यवस्था में बड़ी विसंगतियां पैदा हो रही हैं। मान्यवर, ज्यादा मंत्री हो जायेंगे तो आलोचना होगी कम मंत्री होंगे तो जिला प्रशासन तक पकड़ नहीं होगी आम जनता को कैसे चैन मिले? इसलिए मेरा सुझाव है माननीय मंत्री जी से कि हुकूमत तो आपकी है, शासन आपका है, आप ऐसा प्रस्ताव लायें और इन जिला परिषदों को जिन्दा करें तथा अधिकारों का विकेन्द्रीकरण करें और अपने भार को हल्का करें और इससे राजनीतिक समस्या भी हल होगी आज राजनीति में हर उदीयमान कार्यकर्ता एम0एल0ए0 से कम की बात नहीं सोचता है। मान्यवर, जिला परिषदों को मिनी विधान सभा का दर्जा देकर प्रदेश के अधिकारों का विकेन्द्रीयकरण करके जिला परिषदों के अधिकार बढ़ाया जाये। जहां तक चुनाव की बात है, इतने दिन तक चुनाव नहीं कराये गये और आज भी नहीं करा पा रहे हैं। हमारा सुझाव है कि हर पांच साल पर चुनाव करायें। मान्यवर, यह चुनाव सरकार के अधीन नहीं होना चाहिए जब तक सरकार के अधीन होगा तब तक यही ढर्रा चलता रहेगा।

मान्यवर, लोकतंत्र में चुनाव बहुत जरूरी है। बिना चुनाव के कोई लोकतांत्रिक संस्था जिंदा नहीं रहती। इसलिए मेरा सुझाव है कि यह चुनाव चुनाव कमीशन के अधीन होने चाहिए ताकि वह सतर्कतापूर्वक गांव सभा, क्षेत्रीय समितियों और जिला परिषदों के चुनाव कराते रहे। मान्यवर, एक सुझाव और है कि यह चुनाव मात्र ग्राम प्रधानों से नहीं होने चाहिए, यह आम मतदाता से चुनाव होने चाहिए ताकि उसमें अच्छे राजनीतिक कार्यकर्ता तथा सामाजिक कार्यकर्ता चुनकर जाय।

मान्यवर, इस प्रदेश में 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25-25, 30-30 लाख जनसंख्या के जिले हैं, उनकी देखरेख के लिए कोई संस्था नहीं है। मात्र यही विधान सभा है, जहां बोलने के लिए टाइम नहीं मिलता और सुनने के लिए आपको मौका नहीं मिलता है, फिर समस्याओं पर विचार कब होगा, और निर्णय कब होगा। आम आदमी जो दूर गांव में बैठा हुआ है उसको इंसाफ कैसे देंगे। आप अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे कि क्या उनको इंसाफ मिल पा रहा है। एक लेखपाल से लेकर राज्यपाल तक का मामला इस ठंडे भवन में ही हल होता है। मान्यवर, मेरा सुझाव है कि जिला परिषदों के चुनाव करायें और चुनाव कमीशन के अधीन करायें और आम मतदाताओं के द्वारा करायें तथा इस विधान सभा के कुछ अधिकार उन्हें दे दिये जाय। मान्यवर, इस प्रदेश का भला तभी हो सकता है। आज प्रदेश के विभाजन की बात हो रही है, अगर जिला परिषदों को और अधिक अधिकार देंगे तो प्रदेश के विभाजन की मांग कम हो जायेगी अन्यथा इस विभाजन को आप रोक नहीं पायेंगे।

मान्यवर, आप आर0ई0एस0 से सड़कें बनवाते हैं, जिला परिषदों से सड़के बनवाते हैं, विकास खण्डों से सड़के बनवाते हैं। जिन जिन संस्थाओं से आप सड़के बनवाते हैं उतनी प्रकार की सड़के बनती हैं। हमारा सुझाव है कि सभी संस्थाओं को

चाहे जिला परिषद् हो चाहे ब्लाक हो चाहे आर0ई0एस0 हो इन सबको मिलाकर एक निर्माण इकाई बनाये जो सड़कें बनाये पुल बनाये, उस पर आप सक्षम अधिकारी रखिए अन्यथा छिटपुट में जनता का पैसा बरबाद होता रहेगा। मान्यवर, कच्ची सड़क जो बनायी जा रही है वह खराब बनायी जा रही है। कम्बर फर्मा गोदामों में पड़ा हुआ है कम्बर से सड़कें नहीं बनायी जाती हैं, जिसे देहाती भाषा में गावदुम कहते हैं। अगर इससे सड़के बना दी जाय तो 10 साल तक बिना खड़ंजा के चलेगी, लेकिन सड़क बनायी जाती है समतल रूप में और वह एक ही बरसात में खराब हो जाती है। इससे किसान का पैसा भी चला गया और लोगों को कीचड़ में जाना भी पड़ता है। अगर आप मुनासिब समझें तो एक आदेश कर दें कि कम्बर फार्मा से सड़कें बनायी जायं, गावदुम से बनायी जाय क्योंकि इतना पैसा सरकार के पास नहीं है कि वह सभी सड़कों को पक्का कर सके।

मान्यवर, एक सुझाव है एन0आर0ई0पी0 को पैसा दिया जाता है जिला परिषद्ध को पैसा जाता है विकास के लिए, पूरे एन0आर0ई0पी0 का 20% आप वृक्षारोपण पर रिजर्व कर देते हैं। वृक्षारोपण अच्छी चीज है, लेकिन जितना पैसा आप दे देंगे, उतने के पौधे लग जायेंगे, यह कैसे समझ लिया जाता है। मान्यवर, यह सम्भव ही नहीं है। हमारे जिले के कई सदस्य बैठे हैं हमारे यहां फारेस्ट विभाग वालों ने वृक्षारोपण हेतु पैसा लेने से इंकार कर दिया और कहा कि हम इतने पैसे का पेड़ नहीं लगा पायेंगे फिर बी0डी0ओ0 लोगों को दिया गया कि बी0डी0ओ0 उन पेड़ों को लगाये किन्तु पैसा खर्च हो गया पेड़ नहीं लगे और पैसा बरबाद हो गया। मान्यवर, सड़कों के लिये पैसे की जरूरत है पुलों के लिये अधिक पैसे की जरूरत है। इसलिए जिन कार्यों पर जितना पैसा खर्च हो सकता है उसका विचार करते हुए धन आवंटित करें।

मान्यवर, एक सुझाव देकर मैं अपनी बात पूरी करता हूं। भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना है, हमारे क्षेत्र में नौगढ़ में एक जमींदारी प्रणाली की नहर है जो मरम्मत के अभाव में सिंचाई नहीं कर पा रही है। इसके मरम्मत हेतु भूमिहीन रोजगार गारंटी योजना के तहत एक योजना मुख्य विकास अधिकारी बस्ती द्वारा प्रस्तुत की गई हो। बस्ती जिले में इस भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना को अवश्य स्वीकृत करें। इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री नारायण हरि शर्मा–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया। ग्राम्य विकास का बजट जो माननीय मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है उस सम्बन्ध में यह कहना अनुचित न होगा कि उत्तर प्रदेश ने 20 सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जो प्रमुख स्थान भारत में प्राप्त किया है उसमें उत्तर प्रदेश की जनता का योगदान और माननीय मंत्री जी की भूमिका सराहनीय है। आज हमारे कटौती के प्रस्ताव पर माननीय वर्मा जी ने जिस तरह की भोड़ी आलोचना की है, मैं समझता हूं स्वस्थ परम्परा नहीं है और संसदीय परम्परा के परिधि के बाहर है हमारे मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है उसमें चतुर्दिश विकास की चर्चा है। आज गांव में 1500 तक की आबादी गांव जोड़ दिये गये हैं। एक हजार से 1500 तक आबादी के गांव दूसरे चरण में जोड़े जा रहे हैं। पेयजल की व्यवस्था की जा रही है। विभिन्न स्कीमों के सेन्टर्स कायम किये जा रहे हैं। यह मानना होगा कि चतुर्दिश विकास हो रहा है जब भी कोई योजना चलाई जाती है तो उसके कार्यान्वयन में कमी रह जाती है। कमी को पूरा करके आगे बढ़ाना होता है।

मान्यवर, मैंने समाचार पत्रों में पढ़ा था कि केन्द्रीय सरकार ने कुछ दिन पहले निर्णय लिया था कि 5,000 रुपए का ऋण दिया जाता है वह 10,000 रु0 कर दिया जायेगा। शिक्षित बेरोजगारों के लिए जो 25 हजार रु0 का ऋण दिया जाता है वह 35 हजार कर दिया जायगा। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि यदि आपको सरकुलर मिला है और निर्देश प्राप्त हो चुके हैं तो ठीक है, यदि नहीं, तो मेरा सुझाव है कि इस तरह का प्राविधान उत्तर प्रदेश के 20 सूत्रीय कार्यक्रम में हो जिससे कि लोगों को मौका मिले उद्योग लगाने का। मैं आपका ध्यान एक ओर आकर्षित करना चाहता हूं। आपके जिलों में 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मीटिंग्स होती हैं उसमें आमतौर से विभाग के सक्षम अधिकारी उपस्थित नहीं होते और वह अपने किसी प्रतिनिधि को अपने स्थान पर भेज देते हैं जो जवाब तक नहीं दे पाते। मेरा आपसे नम्र निवेदन है कि आप यहां से निर्देश जारी करें कि हर जिले में जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मीटिंग हो उसमें सक्षम अधिकारी अनिवार्य रूप से उपस्थित हों और पूछे जाने वाले प्रश्नों के जवाब तैयार करें। ब्लाकों में जो 20 सूत्रीय कार्यक्रम की मीटिंग होती हैं उसमें तो अधिकारी पहुंचते ही नहीं नाम मात्र की मीटिंग होती है।

जल निगम में पेयजल योजना के अन्तर्गत आपको जानकारी देना चाहूंगा। जल निगम के माध्यम से जो नल लगाये जा रहे हैं उनकी कीमत 12-15 यहां तक कि 15 हजार तक की है। उसी कीमत में अगर किसी प्राइवेट फर्म से नल लगाये जायें तो जिस कीमत में एक नल लगता है उसमें तीन नल लग सकते हैं और वह सेवा हो सकती है, यद्यपि आप इसे पूरी तरह से क्षेत्र के हिसाब से वहां की स्थिति के हिसाब से देखें।

श्री उपाध्यक्ष–

श्री शर्मा जी अब आपका समय हो गया, कृपया बैठें।

श्री नारायण हरि शर्मा–

मान्यवर, एक मिनट का समय और दे दें। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक सुझाव और देना चाहता हूं कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जो ऋण दिया जाता है, साथ ही बहुत बड़ी तादाद में जो अनुदान भी दिया जाता है उस अनुदान को बन्द कर दिया जाय और जो ऋण आप देते हैं उसकी अवधि को बढ़ा दिया जाय ताकि अनुदान के रूप में जो लूट मची हुयी है और इससे जो भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिल रहा है, वह सारा का सारा खत्म हो जायेगा। साथ ही मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का एक बार फिर समर्थन करता हूं और विरोध पक्ष से रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी,

(श्री दिवाकर विक्रम सिंह के खड़े होकर अपना भाषण शुरू करने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

दिवाकर विक्रम सिंह जी आप अपने भाषण को जारी रखिए, अब हम उठते हैं।

(1 बजकर 45 मिनट पर सदन भोजनावकाश के लिए स्थगित हो गया।

भोजनावकाश के उपरान्त सदन की कार्यवाही 2 बजकर 50 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष के सभापतित्व में पुनः आरम्भ हुई।)

(गणपूर्ति के अभाव में सदन की कार्यवाही 5 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई।)

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, यह क्या है, आप भोजनावकाश समाप्त कराइये। हम प्रस्ताव करते हैं कि इसको खत्म किया जाय।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

यह फिर रखना है तो हाउज 10 बजे से कर दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष–

अच्छा।

श्री मैनेजर सिंह–

मान्यवर, मध्याह्न भोजनावकाश से सदन की गंभीरता खतम हो रही है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा था कि इस पर पुनः विचार कर लेंगे। मुझे खेद है कि एक विपक्ष के साथी ने भोजनावकाश के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किये थे। इसको खतम करने के प्रस्ताव पर विचार होना चाहिए और सदन पहले की ही तरह चलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

ठीक है।

*श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज इस सदन में एक ऐसे विभाग का बजट प्रस्तुत किया गया है, जिससे इस प्रदेश की 80 प्रतिशत जनता का भाग्य निर्भर करता है। मान्यवर, ग्राम्य विकास एक ऐसा विषय है, एक ऐसा कार्यक्रम है, जिससे पूरे प्रदेश की छवि को बदला जा सकता है, परन्तु खेद के साथ कहना पड़ता है कि कागजी आंकड़ों को देखकर यह सरकार अपनी पीठ भले ही ठोंक ले, लेकिन धरती पर उतरते ही स्थिति बिल्कुल विपरीत देखने में आ रही है। गांव के लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की बात की जाती है, वहीं यह भी कहा गया था कि उसको बढ़ाया जा रहा है। मान्यवर, माननीय मंत्री जी स्वयं अपने हृदय पर हाथ रखकर देख लें कि क्या वे इससे संतुष्ट हैं कि गरीबी की रेखा से नीचे जो लोग थे, उनकी आमदनी इतनी हो गयी है कि उस रेखा को ऊपर उठाया जाय। मान्यवर, स्थिति आज भी यही है।

मंत्री जी भी गांव देखते हैं, मैं नहीं समझ पाता कि इस कुर्सी पर बैठने के बाद लोगों की आंखों पर पट्टी क्यों पड़ जाती है। जब तक कोई भी बात सही नहीं कही जायगी, तब तक गांवों का विकास नहीं होगा, सुधार नहीं लाया जा सकेगा। यदि कहीं कोई त्रुटि हो जाय तो उसको सचाई से महसूस करना चाहिए और उसको दूर करने के लिये भरसक कोशिश करनी चाहिये। मान्यवर, श्री लाल प्रताप सिंह जी, जो बोल रहे थे तो मुझे ऐसा लगा कि वे या तो कुछ दिन योरोप रहकर लौटकर आए हों या शायद लखनऊ छोड़कर जाते ही नहीं हों। आपका कहना था कि कोई भी गांव ऐसा नहीं है, जहां सड़क न हो, कोई भी गांव ऐसा नहीं है जहां नलकूप या नहरें न हों। मैं माननीय लाल प्रताप सिंह जी से कहूंगा कि इसी बरसात में जो शुरू हुई

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है, जरा गाजीपुर, बस्ती जरा पैदल चलकर देख लीजिये तो पता चल जायगा कि कितने ऐसे गांव हैं, जहां सड़कें नहीं हैं और कितने ऐसे गांव हैं, जहां सिंचाई उपलब्ध नहीं है। यह प्रदेश बहुत बड़ा है। यह हरियाणा और पंजाब नहीं है कि पूरी एक कमिश्नरी को दुरुस्त कर लें। आप केवल सुल्तानपुर को दुरुस्त करके सोचते हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश को दुरुस्त कर लिया, तो मान्यवर, जनता आपको बताएगी कि आप भूल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं।

श्रीमन्, स्थिति आज यह है कि जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है इनके विभाग द्वारा यह सही है कि इनके विभाग द्वारा चलाए जाने वाले कार्यक्रम सही हैं, लेकिन त्रुटि उनके कार्यान्वियन में है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से इसी पर विशेष बल देना चाहूंगा। श्रीमन्, गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को ऊपर उठाने की जो बात आपने कही है, पहले तो केवल आपका अन्त्योदय चलता रहा और ग्राम विकास अधिकारी कुछ ले देकर उसको निपटाता रहा, लेकिन आज किसी भी बैंक का कोई भी मैनेजर बिना कमीशन के प्रमाण-पत्र स्वीकृत नहीं कर रहा है, इसको कैसे दूर किया जाय। मान्यवर, स्थिति यह है कि फर्जी गायों, फर्जी बैलों और फर्जी भैंसों की खरीद केवल दफ्तर में बैठकर कागज पर ही हो जाती है और अनुदान का पूरा हिस्सा कमीशन में चला जा रहा है। क्या आप इससे समझते हैं कि गरीबी के रेखा के नीचे के लोग ऊपर उठ रहे हैं? यह भले ही फर्जी आंकड़ों से समझ लें कि आप बहुत ऊपर हो गये हैं। आप आमदनी की लीमिट ऊपर उठाने की बात कर रहे हैं। बिना आपके आमदनी की लिमिट ऊपर उठाये ही फर्जी नामों पर गलत लोग आज भी भैंस गाय ले रहे हैं।

मेरे ही विधान सभा क्षेत्र में एक संभ्रान्त व्यक्ति, जो आपके जिला परिषद् में वरिष्ठ अधिकारी हैं, उनके एक सुपुत्र जो गोरखपुर के कोआपरेटिव बैंक में फील्ड आफिसर हैं उनके परिवार के लोगों के नाम से आपके यहां आई0आर0डी0 योजना के अन्तर्गत लोन डिस्ट्रिब्यूट किया गया है और एक बार नहीं, दो बार हुआ है। एक बार कोआपरेटिव बैंक से और सेकेंड डोज ग्रामीण बैंक से। यह स्थिति है मान्यवर, और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि ऐसे एक केस नहीं सैकड़ों केस होंगे, हजारों केस मिलेंगे। गरीबी की रेखा का आमदनी का जो श्रोत रखा है, आप ऊपर न उठायें। मैं कहता हूं कि जितना है वहीं रहने दें और उस पर सख्ती से पालन करवायें तब जाकर स्थिति सुधरेगी। आप जितने चेनल्स बढ़ाते जायेंगे उतना ही कमीशन बढ़ता जायगा। एक ही श्रोत से आप डिस्ट्रिब्यूशन करायें, तो जो कमीशन रेशियो होगा, वह कम रहेगा। एक ही जगह बटकर के रह जायेगा। आप जितने चैनल्स बढ़ाते जायेंगे उसका जो एमाउन्ट है कमीशन का वह बढ़ता जायेगा। इस पर माननीय मंत्री जी विशेष रूप से विचार करें। इसको एक ही श्रोत से रखें। एक ही जगह फार्म भरवायें जायं और वहीं से लोन डिस्ट्रिब्यूट हो।

निर्बल वर्ग आवास योजना की बात आयी, आप उन आवासों को आर0ई0एस0 से बना रहे हैं या अन्य विभाग से बना रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि उसमें 75 से 80 फीसदी का काम तृतीय श्रेणी के ईंटों से किया जा रहा है। मिट्टी के गाढ़े से चुनाई करवायेंगे, एक ईंट की दीवार बनेगी और तृतीय श्रेणी की ईंट से निर्माण किया जायेगा, तो उन आवासों की क्या स्थिति होगी, इसे समझा जा सकता

हैं? वह आवास कितने दिन चलेंगे एक दूसरी योजना की स्थिति यह है कि उसमें डीप बोर पम्प लगाये जा रहे हैं, उसमें 12000 से 15000 की लागत के पम्प लगाये जा रहे हैं। मेरे यहां डेढ़ सौ फीट तक नीचे पानी है। होता यह है कि 50 फीट 70 फीट या 80 फीट पर लगाकर बाकी पाइप बेच लिये जा रहे हैं। इससे तो अच्छा होता कि आप कुंए बनवाते। गांव में जब आग लगती है, तो लोग उस कुंए का इस्तेमाल आग बुझाने में भी करते और पीने का पानी भी मिलता। एक पम्प के हिसाब से 2-3 कुएं बन सकते हैं। अगर आप धन का सदुपयोग करना चाहते हैं, तो इस योजना का तुरन्त समाप्त कराके कुओं की योजना बना लें। हर गांव में पीने के लिए पेयजल उपलब्ध हो जायेगा। भू-जल सर्वेक्षण की बात आयी कि बड़ा अच्छा वह संगठन काम कर रहा है। उनके रिकार्ड्स क्या हैं? उन्होंने क्या-क्या सर्वेक्षण किये हैं इस सम्बन्ध में यदि उनकी बुकलेट छपी हुई मिलती तो उससे कुछ समझ पाते और आपको भी बता सकते कि स्थिति क्या है, सर्वेक्षण सही है या नहीं। उन्होंने कहां कहां सर्वेक्षण किया है, उसके रिजल्ट्स क्या हैं क्या इस सदन में रिजल्ट्स उसके नहीं रखे जा सकते हैं? आपने विभाग की योजनाओं के सम्बन्ध में जहां अन्य लिटरेचर्स उपलब्ध करायें हैं, वहीं इसका भी लिटरेचर उपलब्ध कराते तो अच्छा रहता।

निःशुल्क बोरिंग की बाबत मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर पानी का सतह नीचे है, वहां के लिये आपने जिलाधिकारी को अधिकृत कर दिया है कि वह एमाउंट बढ़ा सकते हैं। आपका एक संगठन भूगर्भ जल सर्वेक्षण काम कर रहा है, वह पता कर रहा है कि कितना पानी कहां नीचे है वहां क्या स्थिति है। क्यों नहीं आप उससे रिपोर्ट लेते हैं। उनकी रिपोर्ट के आधार पर जिस क्षेत्र में पानी की सतह नीचे हो वहां आप धनराशि बढ़ा दें, और जहां पानी की सतह ऊपर हो, वहां धनराशि कम कर दें। 5 हजार सब जगह के लिये, कहीं 3 हजार में भी हो सकता है। आप ब्लाकवाईस चार्ट बनवायें। पानी की कहां क्या स्थिति है, गर्मी में कितना डाउन फाल होता है और उसके आधार पर निर्णय करें। ताकि इसमें भी धन का दुरुपयोग न हो।

पुष्टाहार योजना की बाबत मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी से कि इस योजना को भगवान के लिए समाप्त कर दें। अभी हमारे माननीय रघुबर दयाल वर्मा जी कह रहे थे कि पश्चिमी उ0 प्र0 छोड़ दें, पूर्वी उ0प्र0 में पुष्टाहार योजना से बच्चे महिलायें तंदुरुस्त हो गये। सारे का सारा धन आपके विभाग को पुष्टाहार योजना है, हरिजन एवं समाज कल्याण की पुष्टाहार योजना है। कहीं भी इसका सही वितरण नहीं हो रहा है, इसलिए आप इस धन को समाप्त करके, किसी अन्य काम में इसे लगायें। सिंचाई के लिये तो आपके पास फंड्स नहीं हैं लेकिन करोड़ों रुपए का नुकसान आप इस पुष्टाहार योजना के अन्तर्गत कर रहे हैं।

श्री हरदेव–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। कोई भी स्कीम बुरी नहीं होती है, उसी प्रकार यह स्कीम भी बुरी नहीं है। माननीय सदस्य इसे ठीक करने के बारे में अपना सुझाव दें, न कि समाप्त करने के बारे में।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

मान्यवर, लगता है कि श्री हरदेव के अकल पर पत्थर पड़ गया है, इन्हें पहले आप अस्पताल भिजवाईये, फिर इनसे बोलने के लिए कहें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, मैं एन0आर0ई0पी0 व आर0एल0जी0पी0 योजना के तहत हो रहे कार्यों के बारे में सुझाव देना चाहता हूं। पहला, गांवों के लिए जो आप सड़क बनवा रहे हैं, उसमें आपने एक लिमिट रख दी। आपने उसमें कह दिया है कि 6 व 7 मीटर से कम का टोप नहीं होना चाहिए लेकिन चकबन्दी विभाग वाले जो सड़क बना रहे हैं, वे केवल 2 कट्ठे से ज्यादा की सड़क नहीं छोड़ते, इससे प्रतीत होता है कि आपके विभाग में तालमेल नहीं है, इसलिए आप एक जी0ओ0 जारी कर दीजिए कि कोई भी सड़क 6 या मीटर से कम की न हो। होता यह कि किसानों के खेतों से सड़क को पाट दिया जाता है और किसान को उसका मुआवजा तक नहीं मिल पाता है, इसलिए मेरा कहना यह है कि गांवों में जो छोटी-छोटी सड़कें हैं और गांवों को लिंक कर रही हैं, उन्हें 7 मीटर चौड़ा बनाने का क्या औचित्य है, इसलिए मेरा सुझाव है कि उन्हें उतना ही रहने दीजिए, 6 व 7 मीटर चौड़ा न कीजिए, कोई नेशनल हाई-वे तो बनाना है नहीं। आप गांव की सड़कों को इस मानक से हटायें। आपका जो आर0ई0एस0 विभाग है, बड़ा भ्रष्टाचार है। आप कहते हैं कि इतने अधीक्षण अभियंताओं को और अवर अभियन्ताओं को निलम्बित कर दिया है। मैं कहता हूं कि आप इसके जड़ को देखिये, डाल काटने से कोई लाभ होने वाला नहीं है। प्रमुख अभियन्ता को आप देखें इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कर्नल केशरी सिंह–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया। माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करते हुए मैं कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। इस प्रदेश की लगभग 85 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, इसलिए उनके विकास के लिए आज जो बजट पेश किया गया है, निश्चित ही हम सबको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए जिस प्रकार से गत वर्षों में ग्रामों का विकास हुआ है, उसके लिए माननीय मंत्री जी प्रशंसा के पात्र हैं। आज जिस प्रकार गांव के विकास करने के लिए जनता उत्सुक है और जागरूक हो गई है, वह अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इस वर्ष 7 लाख परिवारों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का जो लक्ष्य रखा गया है उससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि हमारी सरकार गांवों के विकास करने के लिए कृत-संकल्प है। इस वर्ष हर प्रकार की योजना के तहत इस विभाग ने अपने निर्धारित लक्ष्य से अधिक कार्य किया है। लघु सिंचाई, आर0एल0जी0पी0 एन0आर0 ई0पी0 एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, दुर्बल वर्ग आवास योजना के तहत शतप्रतिशत लक्ष्य से अधिक उपलब्ध प्राप्त किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि यह विभाग अपने कार्य में पूर्ण रूप से सक्षम ही नहीं है बल्कि अपने मानक से अधिक कार्य करके जनता का उत्थान कर रहा है। विभाग के 914 उद्योग केन्द्र जिले के मुख्यालयों में रहकर लगभग 9700 लोगों को रोजगार ही नहीं दिया है वस्तुतः 6969712 रु0 का लाभ भी कराया है। यह स्पष्ट है कि गांव में जो लघु उद्यमी हैं, उनके विकास में काफी योगदान रहा है। स्वच्छ शौचालय के विषय में जो 90 करोड़ रु0 का इस साल प्राविधान है, 3.72 करोड़ मानव दिवस का सृजन करने जा रहे हैं, इससे काफी लाभ होगा। इन्दिरा आवास में, शौचालय एवं धुम्र रहित चूल्हा, लगाने का निर्णय स्वागत योग्य है। बायो गैस संयंत्र का जो दो वर्ष का निःशुल्क रख-रखाव का प्राविधान है, बहुत ही अच्छा है। युवा कल्याण

के कार्यक्रम सराहनीय हैं प्रादेशिक विकास दल एवं यूवक मंगलदल युवकों को रचनात्मक कार्यों में लगाकर उत्तम कार्य कर रहे हैं । आर0 ई0 एस0 के विषय में कहना चाहता हूं कि इसका कार्य पूरी तरह सराहनीय है, इस संबंध में यह भी कहना चाहता हूं कि आर0 ई0 एस0 में स्टाफ की कमी है, इसमें या तो स्टाफ बढ़ायें या कोई और प्राविधान करें । गत वर्ष आर0 ई0 एस0 को 75 करोड़ 79 लाख से अधिक रुपये का कार्य दिया गया था लेकिन पूरा कार्य केवल 59 करोड़ 36 लाख रु0 का ही कर सके । इससे स्पष्ट है कि स्टाफ की कमी है । हरिजन पेयजल योजना में 825 कूप 27401 हैण्ड पम्प एवं 250 डिग्गियों का लक्ष्य स्वागत योग्य है ।

इसके साथ ही बस्ती के संबंध में कुछ सुझाव देना चाहता हूं । बस्ती जिले के लिए निःशुल्क बोरिंग के लिए जो 2600 संख्या का लक्ष्य रखा गया है, वह बहुत कम है । बस्ती सिंचाई के मामले में पिछड़ा हुआ है । सरजू नहर परियोजना अगले 20 वर्ष तक भी नहीं बन पायेगी, लिहाजा इसका लक्ष्य अधिक किया जाय ।

डी0 आर0 डी0 ए0 की बैठक होती है । यह तो संसद सदस्य या विधायकों की अध्यक्षता में होनी चाहिए, जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में करने से संसद सदस्य और विधायकों की बेइज्जती होती है । डी0 आर0 डी0 ए0 की बैठक में जो भी वांछित अधिकारी उपस्थित नहीं होता है, उसके विरुद्ध रिपोर्ट होने पर कार्यवाही जरूरी है । बैठकें इसीलिए उपयोगी नहीं हो पा रही हैं कि कहीं-कहीं 6-6 महीने पर बैठकें होती हैं और संसद सदस्य और विधायकों की बातों को उतना महत्व नहीं दिया जाता है, जितना दिया जाना चाहिए । इसी प्रकार, यह भी प्राविधान किया जाय कि क्षेत्र समिति की बैठक में संबंधित अधिकारियों का उपस्थित रहना आवश्यक है क्योंकि इसमें प्रधानों से सीधा सम्पर्क होता है, वह अपने क्षेत्र की बात कहते हैं । अधिकारी वहां जाते नहीं हैं, प्रधान आपस में ही बातें करके चले जाते हैं । जो अधिकारी इसमें नहीं जाते हैं, उनके विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए ।

युवक मंगल दल द्वारा जो कार्य श्रमदान द्वारा किये जा रहे हैं जैसे सड़कों इत्यादि का बनाना, उन्हें प्रोत्साहित करने के लिए प्राथमिकता के आधार पर उन सड़कों पर खड़न्जा इत्यादि लगाने का काम किया जाना चाहिए ।

ग्राम सभाओं की आय का स्रोत बढ़ाने के लिए कोई न कोई कार्यवाही करनी आवश्यक है क्योंकि आय का कोई स्रोत न होने से विकास के कार्य में रुचि नहीं हो पाती । विकास की जो संस्थायें हैं -आर0ई0एस0, पी0 डब्लू0डी0, खण्ड विकास आदि, इनके जो मानक हैं, उनमें बड़ा भेद है । जैसा माननीय दिवाकर विक्रम सिंह जी ने कहा किसी का मानक 7 मीटर की सड़क है तो किसी का मानक 5 मीटर की सड़क है । किसी की एक कि0 मी0 सड़क 1 लाख 15 हजार रु0 में बनती है तो किसी की 1 लाख 50 हजार रु0 में बनती है । इनके मानक एक समान होने चाहिए । मैं पहले ही कह चुका हूं कि विधायकों की सलाह को प्राथमिकता दी जानी आवश्यक है क्योंकि वह जनता का प्रतिनिधि है और जनता से जुड़ा हुआ है जनता की आवश्यकता जानता है जन भावना के अनुरूप ही राय देता हूं । अतः उसकी बातों को डी0आर0डी0ए0 की बैठक में, जिला योजना की बैठक में प्राथमिकता दी जानी चाहिये । इन्हीं शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और मा0 बर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं

श्री मैनेजर सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह जो विकास पत्रिका का मासिक अंक है उसके पहले मुख्य पृष्ठ पर ही छपा हुआ है महात्मा जी वाणी कि "सच्चा लोक राज्य केन्द्र में बैठे हुए 20 आदमियों से नहीं चल सकता, उसे हर गांव के लोगों को नीचे से चलना होगा। आजादी का मतलब है आम लोगों अथवा उन पर हुकूमत करने वालों की यह आजादी नहीं"। महात्मा गांधी जी की यह उक्ति छपी हुई है। शासन से प्रकाशित पुस्तिका में छपी हुई है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस उक्ति का कहीं लेश-मात्र भी असर आपके प्रशासन पर है? गांधी जी ने तो कहा था कि बीस लोगों की हुकूमत जो ऊपर बैठे हैं उससे देश का लोक राज्य नहीं चलेगा, गांव के लोगों से चलेगा। आज इस देश में उत्तर बैठे एक व्यक्ति की हुकूमत चल रही है और उसके इशारे पर, उसका नाम लेकर सब कार्य चल रहा है। पहले कोई काम राष्ट्रीय आन्दोलन के जमाने में हम सब लोग करते थे तो हर काम में महात्मा गांधी की जय बोला करते थे, अब हर काम में राजीव जी की जय लोग बोलते हैं।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

बड़ा अच्छा लगता है।

श्री मैनेजर सिंह–

यह दुर्भाग्य है जो आप बहुमत में हैं, बहुमत में बैठे हैं इसलिए अच्छा लग रहा है। यदि यह सही है तो यह जो उक्ति छपी है, यह गलत छपी कहनी चाहिए आप गांधी जी के विचारों के विरोधी हैं। आज पंचायत राज की क्या स्थिति है? हमारे माननीय मंत्री जी सौभाग्य से पुराने साथी हैं पूज्य लोक नायक के सानिध्य में रह चुके हैं और उनके सानिध्य में रह कर उन्होंने जो स्वराज्य का स्वप्न देखा है, हमारे स्वर्गीय लोकनायक श्री जय प्रकाश नारायण जी तथा स्वर्गीय बलवन्त मेहता दोनों आज इस दुनियां में नहीं हैं। उन्होंने शासन के विकेन्द्रीयकरण के लिए जो अभियान चलाया था, उनका जो सपना था, वह सपना आज चकनाचूर हो गया है, उसकी कहीं चर्चा नहीं है।

(इस समय 3 बजकर 12 मिनट पर अधिष्ठता डा0 कृष्णवीर सिंह कौशल पीठासीन हुए।)

आज सारा पंचायत राज चौपट हो गया है। पंचायत राज को आपने पंचायती राज्य कर दिया जैसे कि सोना जो कि गोल्ड से रोलगोल्ड हो गया। पंचायत राज से पंचायती राज्य बनाया और पंचायत राज का खात्मा हो गया। उत्तर प्रदेश को सौभाग्य प्राप्त था, वह सौभाग्यशाली प्रदेश था कि जिसके एक-एक गांव में गांव सभा का गठन देश में सर्व प्रथम हुआ था। हमारे उस जमाने के डाईरेक्टर श्री भार्गव थे, उनके विचार आज नहीं हैं, उनकी वाणी को आज पंचायत के अधिकारियों और कार्यकर्ताओं को इस्तेमाल करनी चाहिए। आज इस शासकीय पत्रिका में अलबर्ट मायर का जिक्र किया गया है, वह अमेरिकन इन्जीनियर था। उन्होंने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उसे विकास कार्यक्रम तैयार कराने के लिए देश बुलाया था। उसने एक पत्र अमेरिकन मित्रों को लिखा था उसे आप प्रकाशित कर रहे हैं? अलबर्ट मायर ने जो मेमोआयर लिखा है, उसको निकलवा कर, अपने प्रशिक्षण केन्द्रों पर, कर्मचारियों में और अधिकारियों में बंटवायें जिससे कि वह पढ़े, आप उसे क्यों नहीं प्रकाशित करते हैं? पंडित जवाहर लाल नेहरू ने अलबर्ट मायर को पंडित गोविन्द बल्लभ पंत जी के पास एक पत्र के साथ भेजा था। और पंडित पंत जी ने अलबर्ट मायर को गोरखपुर सर्वेक्षण हेतु भेजा गोरखपुर के जिलाधिकारी ने

उनके साथ डिप्टी कलेक्टर को लगाया कि वह उनको ले जायें, देहाती गांव में । वह 30-40 किलोमीटर दूर गांव में गये, शाम हो गयी, डिप्टी कलेक्टर ने कहा, सर आप चलें 20 किलोमीटर पर इन्सपेक्शनहाउस है, वहां पर रहने का प्रबन्ध है, इस पर अलवर्ट मायर ने उत्तर दिया, आप जायें, मैं यहीं रहूंगा । अलवर्ट मायर उसी गांव के प्रा0 स्कूल भवन में रहे और गांव के लोग खाट लाये । वह दूध लाये और उनको खाना खिलाया। सुबह उठकर अलवर्ट मायर चारों ओर गांव में घूमे और देखा शौच लोग कैसे जाते हैं, कहां पर जाते हैं, उसका क्या प्रबन्ध है, पीने के पानी का क्या प्रबन्ध है, स्कूलों की क्या स्थिति है और उनकी समस्यायें क्या हैं और उन समस्याओं का हल खोजें । अलवर्ट मायर ने पंडित पंत जी को पत्र लिखा कि आपका डिप्टी कलेक्टर गांव में नहीं रह सकता है, वह बंगले में रहेगा । सारा किस्सा लिखकर भेजा । वह पत्र प्रकाशित करें, इनके अधिकारी समझें कि अलवर्ट मायर क्या कहते थे । आज रोज सभायें होती हैं, गोष्ठियां होती हैं, उन्होंने उनके बारे में लिखा है, बड़े अफसर आते हैं स्टाफ मीटिंग में, गोष्ठी में आते हैं और लेक्चर देते हैं और चले जाते हैं । श्री अलवर्ट मायर ने अपने मेमायर में लिखा है, अधिकारियों को खासकर जो विकास में लगे हैं उनको इस तरीके से बैठकों में बैठना चाहिए, जिससे एक दूसरे का मुंह देखें और ऐसी मासिक बैठकों में जो ग्राम स्तर का कार्य करता है, उससे पूंछना चाहिए कि गांव की समस्या क्या है, इस कार्य क्रम को चलाने में क्या कठिनाई है । केवल क्षेत्र का कार्यकर्ता अपनी समस्या बतावे और बड़े अधिकारी उसका हल बतावें, लेकिन आज अलवर्ट मायर के निर्देशों का कोई असर नहीं है । अफसर जाते हैं, ठाठ से लेक्चर देंगे, कलेक्टर जायेंगे जिले में लेक्चर देंगे । कभी प्रदेश का कोई अफसर जायेगा, तो वह लेक्चर दे कर चला आयेगा । हमारे जो ए0पी0 सी0 हैं, उन्होंने मंडलों को सुचारु रूप से चलाने की कोशिश की है और छान बीन करने की कोशिश की है । मंडलों में मीटिंग किया है । इन मीटिंगों से जिले के अधिकारियों के कान कुछ खड़े हुए हैं । मैं कहना चाहता हूं कि मंत्री जी अपने ए0पी0सी0 से कहें कि वह जिलों में जायें ।

श्री रघुराज प्रसाद उपाध्याय–

यह आदेश तो मंत्री जी का ही है ।

श्री मनेजर सिंह–

मैं माननीय मंत्री जी को इसके लिए बधाई देता हूं । मान्यवर, वह दो दिन जिले में रहें, तो जिले का काम तेज हो जायेगा और जो जंग लगा हुआ है वह दूर हो जायेगा, जो जिले की समस्यायें हैं, वह कम होनी चाहिए । मान्यवर, एक बात और बताना चाहता हूं कि आप यह कृषि प्रसार योजना के अन्तर्गत कृषि डिप्लोमा कोर्स चलाते थे वह बन्द हो गया है और उससे दो हजार कृषि डिप्लोमा धारक बेरोजगार हो गये हैं । इसलिए इन बेरोजगारों को ग्राम सेवक और पंचायत सेवकों की नियुक्तियों में प्राथमिकता दी जाय । मान्यवर, दो हजार प्रतिशत बेरोजगार लोगों को रोजगार देने की सरकार की जिम्मेदारी है ।

आपने फ्री की चर्चा की । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप हमारे यहां के एक-एक विकास खण्ड की जांच कर लें । आपने अपने जिला कलेक्टर को आदेश दिए हैं कि वे चेकिंग करें । उनकी चेकिंग कैसे होती है उसका एक उदाहरण मैं आपको बताना कहता हूं । एक दिन मैं एक अफसर के पास गया और उनसे पूछा कि आप कहां गये थे

तो उन्होंने कहा कि जांच में गया था । मैंने पूछा कि आपने क्या जांच की । तो उन्होंने बताया कि मैंने रिक्शा देखा। उन्होंने यह नहीं बताया कि मैंने उसके वाउचर्स देखे, रिक्शा नम्बर देखा, किसके नाम है, कौन चलाता है । यह सब कुछ नहीं देखा । मात्र यह देखा कि उसका एक रिक्शा है। यदि वे किसी गांव में भैंस की चेकिंग पर जायं तो उनके देखना चाहिए कि भैंस जिसके नाम खरीदी गई है, उसके नाम है या नहीं । तब मालूम होगा कि क्या सही है क्या गलत है । हमारे यहां लघु सिंचाई के एक सहायक अधिकारी योगेन्द्र दुबे हैं, उन्होंने गमन किया है । उनका तबादला देवरिया हो गया है लेकिन वे दबाव डाल रहे हैं कि वहीं रहें । उस पर आप मुकदमा चलायें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं ।

श्री महमूदुल हसन अंसारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे ग्राम विकास के बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं । माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है मैं उसका-समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का घोर विरोध करता हूं । माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने जो बजट पेश किया है उसमें उन्होंने गांवों की स्थिति सुधारने का मौका फराहम किया है । मान्यवर, मेरा क्षेत्र अफजलगढ़ बहुत पिछड़ा हुआ है, बैकवर्ड है । मैं निवेदन करूंगा कि मेरे क्षेत्र में हर गांव में दो-दो नल लगवा दिए जायं जिससे वहां के लोगों को पीने के पानी की सहूलियत मिल सके । मान्यवर, आर0 ई0 एस0 और भूमि संरक्षण के जरिये जो काम हो रहे हैं मैं उनकी तारीफ करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि उनको और तेजी से बढ़ाया जाय ताकि गांवों की हालत में सुधार हो सके ।

आपने 6 हजार रुपया गांवों में हरिजन बस्तियों में उनको मकान बनाने के लिए दिया है । मेरे क्षेत्र ग्राम मज्जावाला परगना अफजलगढ़, नगीना तहसील में इसी माह के शुरू में आग लग गयी थी जिससे 67 घर लोगों के बरबाद हो गये हैं । मैं चाहूंगा कि वहां पर भी हरिजनों के लिए मकान बनवा दिए जांय ताकि हरिजनों की सुरक्षा हो सके ।

मैं एक बात और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने जो किताब आज पेश की है उसमें जो तस्वीर छपी है वह पता नहीं किसकी छपी है । अगर माननीय मंत्री जी की तस्वीर छपती तो इसकी शोभा और बढ़ जाती । इसमें तस्वीर छपनी चाहिए थी राजीव गांधी की . . . (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

कृपया शान्ति बनाये रखें ।

श्री महमूदुल हसन अंसारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से एक तवज्जह और चाहूंगा कि हर बी0 डी0 सी0 की मीटिंग में यह हिदायत कर दी जाय कि हर अधिकारी वहां पर अवश्य पहुंचे ताकि देहात वालों को तहसीलों में न जाना पड़े । इसके साथ ही मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं और इस बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री सईदुज्जमा–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । माननीय निसार हुसैन साहब ने आपसे संरक्षण चाहा था । तीन बार वे आप से इस संबंध में संरक्षण मांग चुके हैं कि उनके भाषण में

"समर्थन" वाला भाग रह गया है । यह कार्यवाही में आ जाय कि वे बजट का समर्थन करते हैं ।

श्री अधिष्ठाता–

उनका समर्थन हो गया ।

*श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, माननीय राम आसरे वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसका मैं समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं । मान्यवर, यह बात सही है कि सभी माननीय सदस्यों ने इस बात का प्रतिपादन किया है कि हमारे देश के विकास का रास्ता गांव होकर है और यह विभाग मुख्य रूप से गांवों के विकास के लिए बना हुआ है लेकिन विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार और राजनीतिक नेतृत्व की इच्छाशक्ति के अभाव के कारण संपूर्ण विकास की धारा फर्जी आंकड़ों के कारण कागजों में धरी रह गयी है ।

छठी पंचवर्षीय योजना में एन0आर0ई0पी0, आई0आर0डी0 आदि से कुछ फायदा लोगों को हुआ है लेकिन उसमें भी जिनको फायदा होना चाहिए था जिनके लिए यह योजनायें चलाई गयीं थी उनको फायदा नहीं हुआ बल्कि उसके पैसे को बिचौलिये खा गये । 26.55 लाख लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने की बात इसमें रखी गयी थी लेकिन उसमें से 50 फीसदी लोगों को आपने सेकिंड फेज के नाम पर 7वीं पंचवर्षीय योजना में ट्रांसफर कर दिया । अगर वह वास्तव में गरीबी की रेखा से ऊपर उठ गये होते तो उन्हें ट्रांसफर करने की क्या जरूरत थी । एकाउन्टेंट जनरल की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई है जो 1981 से 1984 तक के आंकड़ों के आधार पर बनी है उसमें प्रत्येक ब्लाक से 7 सौ परिवारों को चयनित किया जाना था जिनको 3 हजार रुपये आपने देने थे एक हजार रुपया सहायता के रूप में और दो हजार कर्जे के रूप में । लेकिन जितना रुपया पूरी योजना में खर्च किया गया अगर उसे 7 सौ परिवारों की पूरी संख्या से गुणा करके लगायें तो उसमें उन्होंने कहा है कि एक हजार जो सहायता का रुपया है उसके स्थान पर 667 रु0 और जो दो हजार कर्जा है उसकी जगह एक हजार रुपया उनको मिला है । तो यह आंकड़े साफ कहते हैं कि आपकी नीति गलत रही है और जो आप बता रहे हैं वह गलत है ।

झांसी जिले में आपने 7 सौ ऐसे लोगों को कर्जा दिया है जिनकी आमदनी 3 हजार 500 से अधिक थी और जो अनुसूचित जाति का 50 परसेंट का कोटा था उसमें केवल 34 प्रतिशत ही पूरा हुआ है । यह आपके ही आंकड़े हैं । आपकी इन योजनाओं का लाभ या तो बिचौलिये खा गये या फिर कुछ अभिजात वर्ग के लोग जिनको इसका लाभ नहीं मिलना चाहिये था उनको यह लाभ पहुंच गया है ।

एन0 आर0 ई0 पी0 के बारे में आपने अपनी पुस्तिका में कहा है कि 86-87 में 527.61 लाख मानव दिवस सृजित हुए और 87-88 के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया है जिसे आपने भाषण में दिया है वह 480 लाख और पुस्तिका में आपने दिया है 443.48लाख मानव दिवस का । तो आपके आंकड़े आपस डिफर कर रहे हैं और दूसरी बात यह कि जो इस साल के आंकड़े हैं लक्ष्य के वह भी पिछले साल से नीचे चले गये हैं ।

दूसरी बात यह कि एन0 आर0 ई0 पी0 में कार्य आर0 ई0 एस0 के माध्यम से कराया जाता है । तो उसकी चर्चा करते हुये माननीय वर्मा जी ने आरोप लगा दिया लेकिन

*वक्ता भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

वह बात अपनी जगह पर सही है या नहीं वह इस बात से साबित होगा कि आप स्वयं या आपके साथी और मंत्री जो यहां बैठे हैं किसी दफ्तर पर छापा मारा लेकिन क्या कभी किसी ने या स्वयम् आपने सड़क पर कार पर जाते समय आर0इ0एस0 के लोगों को रोककर उनसे जानने की चेष्ठा की कि यह जो लोग हैं यह कौन हैं, यह ठेकेदार के मजदूर हैं या वास्तव में गांव के लोग हैं । जो लोग मस्टर रोल पर चढ़े हुए हैं उनसे जानने की कोशिश की और यह भी जानने की कोशिश की कि एन0आर0इ0पी0 में जो गेहूं या वेतन मिल रहा है वह उतना ही मिल रहा है जितना दिखाया गया है । ठेकेदार पैसा लेकर नाममात्र मजदूरों को देकर चला जाता है । मैं बताना चाहता हूं कि जितना भी भुगतान होता है वह जूनियर इंजीनियर को दे दिया जाता है और वह ठेकेदार को दे देता है । मेरे क्षेत्र में निवादा गांव में एन0आर0इ0पी0 के द्वारा आई0इ0एस0 के माध्यम से स्कूल भवन बनना था लेकिन जब उसे ठेकेदार ने बनाया तो उसमें घटिया किस्म का सीमेंट वह लगा रहा था जिस पर लोगों ने आपत्ति की । जैसा श्री राम आसरे वर्मा ने कहा कि ईंट घटिया लगा रहे थे तो गांव वालों ने विरोध किया तो कार्य बन्द हो गया डिपार्टमेंटल बनवा दें तो उसमें भी कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ क्योंकि ठेकेदारी प्रथा से काम कराना गांव वालों ने मना कर दिया, इसलिए डिपार्टमेंटल कार्य भी नहीं हो रहा है ।

मान्यवर, अब मैं हैण्डपम्पों के बारे में बताना चाहता हूं कि हजारों की संख्या में ग्रामीण अंचल में जो इंडिया मार्क वाले हैण्डपम्प लगाये गये वह सब बेकार पड़े हैं । इस पुस्तक में आपने बताया कि व्यवस्था कर दी गई है और पंचायतों को हैण्डपम्प की व्यवस्था के संबंध में निर्देश दे दिए गए हैं । तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि 11 महीने पहले की गयी व्यवस्था के नाम पर प्रदेश के किसी जिले, किसी ब्लाक में इसका विस्तार नहीं कर पाये हैं । इसलिए पूरे प्रदेश में हैण्डपम्प बेकार पड़े हैं चूंकि भ्रष्टाचार है, बोरिंग और फिटिंग जितनी होनी चाहिए वह नहीं हुई है । इसलिए मेरा इसमें सुझाव है कि पूरे जिले में पंचायत स्तर पर की गई व्यवस्था में संशोधन करें और आवश्यकता इस बात की है कि ब्लाक स्तर पर उसके केन्द्र बनायें, वहां शिकायतें सुनी जांय, मिस्त्री मिस्त्री रखे जायं ताकि वे बिगड़े हैण्डपम्प तत्काल ठीक कर सकें। अन्यथा करोड़ों रुपये के टूल्स खरीदन की क्या जरूरत है । वरना कमीशनबाजी में तीन करोड़ रुपया खर्च किया जायेगा । इसलिए मेरा अनुरोध है कि पेयजल व्यवस्था को ठीक करने के लिए तंत्र को ठीक करें ।

मान्यवर, ग्रामीण विकास परिषद् की चर्चा मंत्री जी ने किया । ग्रामीण विकास परिषद का 1981 में अधिनियम बना लेकिन 1986 तक रुल्स नहीं बनाये हैं, कार्यान्वयन नहीं हुआ और विधान मंडल इस पर बजट हर साल देता रहा है जो कमीशन और क्लर्कों पर खर्च होता रहा । वर्ष 1986-87 में आपने क्या इसमें परफारमेंस की जिसकी चर्चा इसमें नहीं है । वर्ष 1987-88 में लक्ष्य भी निर्धारित नहीं किया गया है । इससे साफ है कि ग्रामीण विकास परिषद् के अन्तर्गत जो आपने योजनायें बनाई हैं वह योजनायें केवल कागज पर हैं ।

मान्यवर, हैण्डपम्प के संबंध में हमारे जिले और पूरे प्रदेश में कुछ ब्लाक चयनित किये गये, विदेश से पैसा आ रहा था लेकिन इसमें शर्त यह थी कि मशीन हम आपको देंगे लेकिन लेबर का खर्च आपको करना पड़ेगा, रख रखाव का खर्चा आपको करना पड़ेगा लेकिन विदेश से पैसा मिलने के बावजूद आप लेबर पर खर्च करने के लिये तैयार

नहीं है, मेरा सुझाव है कि लेबर गांवों से श्रमदान के नाम पर ले लें और इस शर्त को स्वीकार करें ।

मान्यवर, जनपद सीतापुर में मेरे निर्वाचन क्षेत्र में परसेंडी विकास खंड के अंतर्गत ग्राम कसरेला और शाहमहुली में 6-7 दुकाने बनी थीं और बनने के कुछ दिनों बाद टूट गयीं जो आज भी टूटीं हैं, इस संबंध में पत्र लिखे कि दोषपूर्ण निर्माण में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाय लेकिन किसी अधिकारी के खिलाफ आज-तक कोई कार्यवाही नही हुई है । कार्यवाही न हो लेकिन कम से कम उन दुकानों की मरम्मत कराकर हरिजनों को आबंटित करने का काम करें । यह भी नही किया जा रहा है ।

इन शब्दों के साथ मैं मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट, जो फर्जी आंकड़ों पर आधारित है, सही आदमी को उसका लाभ नही मिल रहा है, इसलिये उसका विरोध करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री अधिष्ठाता—

3.45 बजे यह चर्चा समाप्त होनी है ।

(व्यवधान) (श्री खान गुफरान जाहिदी के खड़े होने पर)

श्री मैनेजर सिंह—

मान्यवर, श्री खान गुफरान जाहिदी जी को आप अपनी चेयर पर बैठा दें ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं क्या सदस्य की हैसियत से किसी बजट पर बोलने का अधिकार रखता हूं या नहीं ? (व्यवस्था) मैं जानता हूं, सब जानता हूं, लेकिन फिर भी कुछ बातों पर कहने का मेरा मन कहता है।

श्री मैनेजर सिंह—

जाहिदी साहब वहीं बैठकर ज्यादा अच्छी तरह सदन की सेवा कर सकेंगे ।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय जाहिदी जी पहले आप इस सदन के सदस्य हैं, उस नाते आपको पूरा अधिकार है । (व्यवधान) आप लोग मेरी बात सुन लीजिए ।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । आज का यह इतना महत्वपूर्ण बजट है और हम बहुत से सदस्य गांवों से चुनकर आते हैं । और आज हमें अगर अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिला तो हमें यहां बैठने से क्या लाभ है । 11 बजे से हम यहां बैठे हैं, जनता को हम क्या जवाब देंगे । इसलिए मैं चाहता हूं कि समय बढ़ा दिया जाए, जिससे सभी माननीय सदस्यों को अपने-अपने विचार व्यक्त करने के लिए 2-2 मिनट का समय मिल जाए । (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

इसके बाद दो चर्चाएं भी लगी हैं, एक घंटा की एक और दो घंटा की एक और उसके बाद 2 वक्तव्य भी हैं, फिर भी माननीय सदस्यों की भावना को देखते हुए मैं इसका समय 5 बजे तक किये देता हूं और मैं 3-3 मिनट का समय प्रत्येक माननीय सदस्य को दूंगा ।

*श्री राम प्रकाश सिंह सेंगर—

मान्यवर, माननीय ग्राम्य विकास और पंचायती राज्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया और आपने उस पर मुझे बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपको बधाई देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं । मान्यवर, जहां तक बुन्देलखण्ड क्षेत्र में जैसा कि आप जानते हैं पानी की विकराल समस्या है और इसके साथ साथ वहां जंगलों और घनी नदियों के कारण सड़कों का जाल बहुत कम है । मैं कुछ बात यहां कह देना चाहूंगा, ग्रामीण रोजगार गारन्टी प्रोग्राम और राष्ट्रीय रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत जो भी व्यवस्थाएं हैं और जो मेरे विधान सभा क्षेत्र माधवगढ़, जिला जालौन में चलाई जा रही हैं, उनके बारे में मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है, क्योंकि मैं सत्ता-पक्ष का सदस्य हूं कि उन व्यवस्थाओं को पूरा नहीं किया जा रहा है । मध्य प्रदेश से लगा हुआ हमारा विधान सभा क्षेत्र माधवगढ़ पड़ता है। इन कार्यक्रमों के अन्तर्गत होने वाले कार्यों में मजदूर हमारे जिले के होने चाहिए न कि मध्य प्रदेश के । लेकिन हम देखते हैं कि ट्रकों पर मजदूर मध्य प्रदेश के हमारे यहां काम करने आते हैं जो मिट्टी आदि का काम करते हैं । इसको रोकना चाहिए और वहां के ग्रामीण मजदूरों को कार्य मिलना चाहिए।

मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं इन्दिरा आवास की ओर, जो हमारे पूरे प्रदेश में बनाए जा रहे हैं । ब्लाक जालौन के सुढ़ारशाला में जो इन्दिरा आवास इनके तहत बनाए गए हैं, आप उन्हें देखें और कोई भी अधिकारी वहां भेजा जाए । एक ओर हमारा मानक है कि भोगनीपुर ईंट भट्ठे से इस हेतु इसे लगें और दूसरी ओर हम लोकल ईंट उपयोग करते हैं । इससे क्षेत्र के लोग हमको सुबहा की दृष्टि से देखते हैं । हम उनको कैसे जवाब दें जबकि हम उनके सेवक के रूप में यहां हैं । ग्राम मड़ोरी, ब्लाक माधवगढ़ में बाल्मीकि भाइयों के लिए एक कुआं बनना था । किन्तु अभी तक 10 बोरी सीमेंट वहां पर पड़ी हुई है । मैं कई बार जिलाधिकारी, बी0 डी0 ओ0, ए0 डी0 एम0 (पी0) व डी0 डी0 ओ0 को सबको लिख चुका हूं, लेकिन उसमें आज तक कोई कार्यवाही नहीं हुई है । श्रीमन्, आज की तारीख में उस कुएं में जो सीमेंट लगायी गयी, 10 बोरी सीमेंट आज तक बाल्मीकि भाई के यहां रखी हुई है । इतनी लिखा-पढ़ी की किन्तु कुछ नहीं हुआ । ग्रामीण अंचल के लोग पूछते हैं कि आप और आपकी सरकार ऐसे काम करायेगी । मैं एक बात और कह देना चाहता हूं जहां ग्रामीण अंचलों में भारत के प्रधान मंत्री जी का मूल मंत्र है कि किसानों की 80 प्रतिशत आबादी की प्रगति के लिए हमारे सब सिद्धान्त हैं और ग्राम्य विकास मंत्रालय विशेष रूप से 80 प्रतिशत जनता को इस बात के लिए अवसर प्रदान करने के लिए कार्यरत है, लेकिन विशेष रूप से मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारे विभाग आर0 ई0 एस0 के हैं । . . .

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम प्रकाश सिंह सेंगर—

इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है इसको आप रूकवाइए पाठशालायें बनती हैं इसमें भी इतना बड़ा घोटाला हुआ है इसकी किसी उच्च स्तरीय कमेटी से जांच करा लें । मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री शारदा प्रताप—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे वर्मा जी द्वारा रखे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं। मान्यवर, माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी ने बड़े दम के साथ अपना बजट रखा तमाम आंकड़े उन्होंने दिए मैं मान्यवर, पूरे प्रदेश की बात नहीं करता हूं मैं राजधानी से सटे हुए अपने विधान सभा क्षेत्र और अपने सरोजनी नगर ब्लाक की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मान्यवर, जो भी योजनायें हैं वह बड़ी अच्छी योजनायें हैं, परन्तु इन योजनाओं को ईमानदारी से नहीं चलाया जा रहा है। तमाम पैसा कमीशन में जा रहा है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसको मंत्री जी दिखवायें तभी सब मायनों में गांव के आदमी लाभान्वित हो सकेंगे तभी योजनायें सफलीभूत हो सकेंगी।

मान्यवर, मैं निःशुल्क बोरिंग के बारे में कहना चाहूंगा निःशुल्क बोरिंग की स्कीम अच्छी है लेकिन इसमें इतनी गड़बड़ी है कि आप सरोजनी नगर ब्लाक की लिस्ट आप मंगवा लें मौके पर जांच करवा लें तो 50 फीसदी गड़बड़ी इसमें आपको मिलेगी मान्यवार, मैंने इसकी शिकायत उच्चस्तरीय मीटिंग में बी0 डी0 सी0 की मीटिंग में की। मान्यवर, वायोगैस के बारे में कहना चाहता हूं। सराय अलीपुर, बुसरेला और काकराबाद गांव सभाओं में वायोगैस संयन्त्र लगे हुए हैं, यह सब फेल हैं। मान्यवर, सरोजनी नगर में जहांनाबाद अनुसूचित जाति के लोगों का गांव है, उसकी भी यही स्थिति है।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

श्री शारदा प्रताप—

मान्यवर, पंचायती उद्योग के बारे में कहना चाहूंगा मेरे सरोजनी नगर में पंचाय्ता उद्योग में आठ ग्राम सभा में मैम्बर हैं और कोई मेम्बर नहीं है यह पंचयती उद्योग बाहर से सामान खरीदकर सप्लाई करता है। मान्यवर, आंगनबाड़ी को पंचायत उद्योग ने 26, 22 गेज के कन्टेनर सप्लाई किए और 22 गेज के कन्टेनर दिखा दिए, तो इसको आप दिखवा लें....

श्री अधिष्ठाता—

अब आप बैठ जाएं।

श्री शारदा प्रताप—

इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

आज की कार्यसूची की मद संख्या 6 व 7 की चर्चाओं को स्थगित किए जाने का अनुरोध

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मान्यवर, मैं पहले व्यवस्था के लिए खड़ा हुआ हूं। मेरा कहना यह है कि यह ग्राम्य विकास विभाग का बजट है है और जिन माननीय सदस्यों की कांस्टीटुयेंसी ब्लाकों से अटैच है वह लोग काफी इस पर बोलना चाहते हैं। गांव की तरक्की सबकी तरक्की है इसलिए मैं सुझाव रखना चाहता हूं कि आज जो जो चर्चा के विषय लगे हुए

हैं, अगर इधर और उधर के माननीय सदस्य सहमत हों तो इन चर्चाओं को किसी दूसरे दिन लगा दिया जाय और आज इस पर चर्चा हो ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

हमें कोई एतराज नहीं है । लेकिन चर्चा के लिए जल्दी ही कोई दिन निश्चित कर दें ।

संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)—

मान्यवर, अगर सभी माननीय सदस्यों की राय यही है तो मुझे कोई एतराज नहीं है । जल्दी ही इस पर कोई दिन निश्चित कर दिया जायेगा ।

श्री अधिष्ठाता—

चर्चा के यह दोनों कार्यक्रम मैं स्थगित करता हूं और कार्य मंत्रणा समिति जो तिथि निश्चित करेगी उस दिन ले लिया जायगा ।

वित्तीय वर्ष 1987-88 के आय-व्ययक में मांगों पर मतदान—अनुदान संख्या 13—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम विकास), अनुदान संख्या—14 कृषि तथा अन्य सम्बध विभाग (पंचायती राज) तथा अनुदान संख्या 19—कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) (क्रमागत)

श्री शारदा प्रताप—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरी कान्स्टीट्यूयेंसी, मेरा क्षेत्र राजधानी के जिले में आता है और शहर से बिल्कुल मिला हुआ है । हमारे इलाके में तीन ब्लाक आते हैं, काकोरी, सरोजनीनगर, मोहन लाल गंज । यह सरकार की नाक के नीचे है । अभी माननीय मंत्री जी ने कहा कि तमाम हैंड पाइप लगा दिये गये हैं मैं कहना चाहता हूं कि अभी आप बजट के बाद मेरे साथ चलें तो मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या हालत है ।

श्री अधिष्ठाता—

आप विराजें, आपका भाषण हो गया । 5 मिनट से ज्यादा आप बोले हैं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने इस बजट पर बोलने का मौका दिया । मैं गांव विकास बजट जो पेश किया गया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ—

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है । मैं जाहिदी साहब से निवेदन करूंगा कि आपने उनको मौका दिया, उनको भी वहां बैठने का मौका मिलता है तो वह हम लोगों को मौका दें।

श्री अधिष्ठाता—

मैं कमाल साहब की भावनाओं को आप तक पहुंचाता हूं ।

श्री खान गुफरान जाहिदी—

मुझे पहुंचने दीजिये, मैं जल्दी से जल्दी मौका दूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, पीठ पर बैठकर निर्देश दिया जाता है । लेकिन क्या नीचे बैठकर भी निर्देश दिया जा सकता है ।

*श्री खान गुफरान जाहिदी–

मैं उन्हीं के माध्यम से दे रहा हूं ।

मान्यवर, मैं सिर्फ 4-5 सुझावों को रखना चाहूंगा ताकि चर्चा का स्तर कुछ अच्छा बने और मंत्री परिषद् तथा विभाग को इससे कुछ फायदा हो । आपकी जो आलोचना है या अमल और रद्दोअमल की बातें हैं, उन पर मैं जाना नहीं चाहता हूं । सबसे बुनियादी बात है कि गांवों का विकास नहीं हो सकता अगर उनको सड़कों से नहीं जोड़ा जायगा । सड़क बुनियादी चीज है । इसलिये है कि अगर स्कूल नहीं है तो बच्चा दूसरे गांव में 3 कि0मी0 जाकर पढ़ सकता है, अगर अस्पताल नहीं है तो मरीज को दूसरे अस्पताल ले जाया जा सकता है लेकिन अगर सड़क नहीं है तो आप कहीं पर भी चाहे जितना खूबसूरत स्कूल बनवा दें या अस्पताल बनवा दें मैं समझता हूं कि लोग वहां नहीं पहुंचेंगे और उस जगह का विकास नहीं होगा । इसलिए सड़क बनाना सबसे जरूरी है । आजकल कई तरह की सड़कें बन रही हैं । कोई सड़क भूमि विकास बैंक, कोई सड़क मण्डी समिति बना रही है, कोई सड़क और कोई बना रहा है तो इससे यह होता है कि कोई कोई गांव कई कई सड़कों से जुड़ जाता है लेकिन बहुत से गांव सड़कों से वंचित रह जाते हैं और कहीं कहीं ओवरलैपिंग हो जाती है । इसी तरीके से मैं लिंक रोड के बारे में कहना चाहता हूं । लिंक रोड को बुनियादी कड़ी समझ कर बनाया जाय । खन्ड़जे के बारे में इधर से भी और उधर से भी शिकायतें आती हैं इसलिए खड़न्जा न बनाकर अगर कंकड़ की रोड बनायी जाय तो सिर्फ 20 हजार रुपये पर किलो मीटर ज्यादा खर्च होते हैं बनिस्बत ईंट के यह ज्यादा दिन चलेगी ।

मान्यवर, दूसरी बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यूं तो हमारी केन्द्र सरकार ने उन जिलों के लिये जहां कोई इंडस्ट्री नहीं है उनको जीरो डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर कर दिया । हमारे अपने दो ब्लाक भटौरी और तिलयानी के कुछ गांव आज भी ऐसे हैं जहां 40 साल की आजादी के बाद भी वहां पर रात को रोशनी के नाम पर कोई चीज नहीं दिखायी देगी, न लिंक रोड है, न पंचायत घर है न स्कूल है । इन तमाम बातों का सर्वे प्रदेश सरकार करावे और जो गांव जीरो गांव की परिभाषा में आते हैं तो उनको प्राथमिकता दी जाय ताकि कुछ आजादी की रोशनी वहां भी पहुंच सके ।

मान्यवर, मैं एक बात और इसी सिलसिले में कहना चाहता हूं कि जितने पम्प लगाये जाते हैं उनकी मरम्मत के लिये एक मैकेनिकल डिपार्टमेंट बनाना होगा । मैं आपसे बहुत ही नम्रता पूर्वक कहना चाहता हूं कि जो हमारे कन्वेंशनल सिस्टम हैं, पुराना सिस्टम है तालाबों को ठीक करने का, कुवों को बनाने का जिसमें 10 आदमी एक साथ पानी ले सकते हैं तो वह बहुत ही अच्छा नेशनल इंटीग्रेशन का काम भी होगा । मैं कहना चाहता हूं कि शहर को शहर रहने दिया जाय गांव को गांव रहने दिया । गांव की मौजूदा फिजा को बरकरार रखा जाय । हमें माडर्नाइजेशन के नाम पर उन परम्पराओं को नहीं तोड़ना चाहिये जो हमारे बुजुर्ग अपनाये हुये थे । वह भी पानी का इन्तजाम करते थे । शुद्ध जल के लिये कहा जाता है कि पाइप का जल बहुत अच्छा है । लेकिन यह पम्प बहुत खराब होते हैं । अगर गहरे कुयें और तालाब बनायें जायं तो उसके लिये मैकेनिक को बुलाना नहीं पड़ेगा और हमको अच्छा तथा साफ जल मिलेगा ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, इसी तरह से कुछ मुद्दे रखकर मैं अपनी बात खत्म करूंगा । मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मैं इस ओर दिलाना चाहता हूं कि सन् 1962 में कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहां म्यूनिसिपल पालिटिक्स की बुनियाद पर बहुत से गांव को 3-3, 4-4 कि0मी0 भीतर जोड़ न दिया गया हो । हमारे जिले फतेहपुर में 52 गांव जोड़ लिये गये । 20 सूत्री कार्यक्रम जिसका 90 प्रतिशत सिर्फ देहात के लिए है वहीं यह देखने में आता है कि मेरे यहां केवल 52 गांव न तो शहर में आते और न गांव में रह गये हैं । दूसरी ओर इन गांवों में न रोमनी का इन्तजाम है ।

मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी, मैं एक मिनट में खत्म करूंगा ।

मान्यवर, यह 52 गांव जो मेरे क्षेत्र के हैं उनसे हाउस टैक्स लिया जाता है । इन गांव को शहर बनाने के लिए नगर विकास विभाग के पास पैसा नहीं है इसलिए मेरा कहना है कि इस तरह जितने गांव हैं जिनको 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत जोड़ देना चाहिए तो उसके तहत इन गांवों को भी सुविधा मिलनी चाहिए । मान्यवर, इन्दिरा आवास के सिलसिले में कहना चाहता हूं कि जिस जगह उसकी जमीन है उसी जगह पर उसको मकान बनाने के लिए अनुदान दिया जाय । एक नया सिस्टम न हो कि गांव के बाहर उनको जगह दी जाय । इसलिए ऐसी व्यवस्था की जाय कि उनको मकान बनाने के लिए वहीं जगह दी जाय । अन्त में कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं और प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे काफी उठक बैठक के बाद कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका शुक्रगुजार हूं । माननीय उपाध्यक्ष जी ने जो बजट भाषण दिया है मैंने उसको बहुत गौर से सुना, मैं नहीं कहता कि उनकी नीयत गांव की तरक्की के लिए नहीं है लेकिन जो दिक्कतें हैं उनकी ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं । मान्यवर, आप हरिजन आवास ले लीजिए गांव में यह जगह चयन करते हैं और वहां कहते हैं कि हम एक ही जगह बनायेंगे । अभी जाहिदी साहब ने कहा कि गांव के बाहर बगियां में एक दम बना देते हैं । हमारे यहां आप निकल जायें चौखड़ा के सामने पांच घर बने हैं माता प्रसाद जी के गांव में सामने पड़ते हैं, अभी कोई रहने नहीं गया । राम नगर बाग में जितने हरिजन आवास बनाये गये उनमें नींव नहीं है, गिट्टी नहीं डाली गयी, तेज बरसात बरदाश्त नहीं कर सकते ।

मान्यवर, सड़कों को देख लीजिये । चाहे ग्राम्य विकास योजना के तहत बनी हों चाहे किसी योजना के तहत, जितनी सड़कें बनी हैं, कौन से कारण हैं खड़न्जा नहीं लगा सके । तीन-चार साल पहले मिट्टी का काम हुआ रख-रखाव नहीं हो पाता है । पी0 डब्लू0 डी0 की सड़कों पर गैंग लगा रहता है । यदि बरसात में कट गयी तो पाट दिया जाता है । ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा ने सड़कें बनायी, ब्लाक में सड़कें बनी, रख-रखाव का इन्तजाम नहीं है । मंत्री जी ने घोषणा की है, मुझे खुशी है । इन सड़कों की ओर ध्यान देना चाहिए ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, दूसरी बात कहना चाहता हूं जो गांव सभायें हैं, उनमें बहुत सी ऐसी हैं जिनके पास कोई पैसा नहीं है पैसा इकट्ठा करने के साधन नहीं हैं आप उनको छूट दीजिये । आप ब्लाक को पैसा देते हैं । दो ढाई लाख ब्लाक को जाता है, मैं भी ब्लाक प्रमुख रह चुका हूं । मैं जानता हूं कैसे तय करते हैं कि यहां-यहां योजना लगायी जाय । गांव प्रधान कहता है हम योजना नहीं लेगें । एक हजार डेढ़ हजार हिस्से में आता है । डेढ़ हजार में क्या कर सकते हैं । आपकी इन ग्राम सभाओं को पैसा देगें ताकि गांव सभायें अपना काम कर सकें ।

एक मिनट का मौका दे दें मैं समाप्त कर दूंगा ।

यह जो हैण्ड पाइप लगवा रहे हैं । यह 60 फीसदी पम्प खराब हो गये हैं । कोई मेन्टीनेंस का तरीका नहीं है कुयें खुदवायें गये । पहली पंचवर्षीय योजना में कुयें खुदवाये गये दूसरी योजना में भी कुयें बने । उसके बाद हैण्ड पाइप लगाये गये इनसे कठिनाई होती है । गांव में आग लगी । हर आदमी अपने घर में नल लगवाये हैं । गांव जलकर बेकार हो गया है । गांव में दो-चार कुएं बनवाये जायें जिससे शुद्ध पेय जल की व्यवस्था हो सके । मैंने जो सुझाव दिए हैं उन पर आप ध्यान देंगे । इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

*श्री नेक चन्द पाण्डेय–

धन्यवाद मान्यवर, आज माननीय ग्राम विकास मंत्री जी ने जो गांवों के विकास का ऐतिहासिक बजट यहां रखा है, मैं उसका समर्थन करते हुए कुछ सुझाव और कुछ कठिनाइयां, कुछ विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर प्रकाश डालना चाहता हूं । सबसे पहले तो हमको यह जो सामग्री वितरित की गयी, वार्षिक प्रगति रिपोर्ट और विकास पत्र इनमें माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी तथा ग्राम्य विकास राज्य मंत्री जी का कोई चित्र नहीं है । इसमें चित्र होना चाहिए । अधिकारियों में यह भावना बढ़ती चली जाती है । वह कर्तव्य को छोड़कर सड़कों के उद्घाटन में अपना समय लगा रहे हैं । मैं कानपुर से आता हूं और कानपुर से लखनऊ के बीच में कई जगहों पर यह लिखा दिखाई देता है कि इस भवन का उद्घाटन, जिलाधीश उन्नाव ने किया और इस सड़क का उद्घाटन जिलाधीश उन्नाव ने किया, मान्यवर, यह क्या है इन अधिकारियों का काम है जनता के बीच आयी परेशानियों को देखना, यह काम जन-प्रतिनिधियों का है जो जनता के द्वारा चुनकर आते हैं, इसलिए माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वे इस पर अंकुश लगाए और सरकारी धन से अपने कार्यों की पब्लिसिटी न करें और बजाय इस पब्लिसिटी के चक्कर में पड़ने के जनता की सेवा पर अधिक ध्यान दें, इसलिए मान्यवर, मैं इस ''विकास मासिक पत्र'' को फाड़ता हूं और साथ ही जो गांवों के विकास के लिए कार्य किये जा रहे हैं, 1500 आबादी वालों गांवों को मान्यवर, जोड़ा जा रहा है और एक हजार आबादी वाले गांवों को भी सड़कों से जोड़े जाने की योजना बन रही है और मान्यवर, गांवों में इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से हरिजन भाईयों की आवास समस्या का समाधान किया जा रहा है और इनके लिए जग-जगह पर पेय-जल की व्यवस्था के लिए हैण्ड-पम्प व कुंओं आदि का निर्माण कराया जा रहा है, इस लिये मैं मान्यवर, माननीय मंत्री जी के बजट का हार्दिक स्वागत करता हूं । आ0 इ0 एस0 के बारे में मैं यह

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

कहना चाहता हूं कि सड़कें बन तो जाती हैं और उस पर सोलिंग भी हो जाती है, लेकिन आपके पास पर्याप्त मात्रा में रोलर न हो पाने की वजह से सड़कें अधिकतर पेन्टेड नहीं हो पाती हैं, इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अगर आप आर0इ0एस0 को मजबूत करना चाहते हैं, तो जिन यंत्रों की आवश्यकता हो, उनको पूरा किया जाय ।

दूसरी मान्यवर, फ्री बोरिंग के लिए पिछले साल 60 हजार परिवारों को सुविधा दी गयी और इस साल भी 60 हजार परिवारों के लिए लक्ष्य रखा गया है और इसके लिए जो पांच हार्स पावर का इंजन की व्यवस्था की गयी है, इससे मान्यवर, गेहूं की थ्रेसिंग नहीं हो सकती है, इसके लिए उन्हें दूसरा इंजन लेना पड़ेगा । इस लिए फिर 8-10 हार्स पावर इंजिन के लिए भी उसी प्रकार से जिस प्रकार से 5 हार्स पावर इंजन के लिए छूट की व्यवस्था की गई, इसमें भी करनी आवश्यक होगी ।

एक बात और कहना चाहती हूं मान्यवर, राम गंगा कानपुर ने तमाम नालियों का निर्माण कराया है, परन्तु मैं अपनी जानकारी के अनुसार कह रहा हूं, जिसका परीक्षण आप किसी भी माध्यम से करा लें कि वह सारी की सारी नालियां आज नेस्तनाबूद हो गयी हैं, किसानों को इसके लिए अपने-अपने तौर पर इन्तजाम करना पड़ रहा है, इसके बावजूद मान्यवर, 500 रु0 प्रति बीघा के हिसाब से वसूली भेज दी गयी है, एक तरफ तो वहां पर सूखे की स्थिति है, जिससे किसान स्वयं परेशान हैं, दूसरे राम गंगा वाले वसूली के लिए प्रयत्नशील हैं, जो इस समय आग में घी डालने का काम कर रही हैं, नालियों का निर्माण सही हुआ नहीं उनसे किसानों का काम चला नहीं मान्यवर, आप इस मामले की जांच करवा लीजिए और इसकी वसूली को स्थगित करा दीजिए । मान्यवर, जिला परिषदों को गठन की मांग विरोध पक्ष तो करता ही है, मैं भी अपना इस ओर कर्तव्य समझता हूं कि जिला परिषदों के सदस्यों का गठन किया जाए वरना यह आज भी जैसे आविवाहित बने घूम रहे हैं, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

*श्री हरिशंकर तिवारी–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं माननीय राम आसरे वर्मा द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मान्यवर, आज जिस प्रकार से ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज दोनों को समन्वय नीति के आधार पर समग्र विकास की घोषणा की जा रही है, लेकिन मान्यवर, आज ऐसी कोई बात नहीं है और मान्यवर, इनके विकेन्द्रीकरण की बात बहुत की जाती है, लेकिन जिन पदों का सृजन किया जा रहा है और जो लोग इन योजनाओं को मूर्तरूप देते हैं और जिनके आधार पर इन योजनाओं का विकास निर्भर है, उनकी तरफ कभी ध्यान नहीं दिया गया और न ही इनके पदों का सृजन किया गया । विकास खण्डों की बात के बारे में मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा । मान्यवर, वहां पर घोर भ्रष्टाचार व्याप्त है । मैं अपने विधान सभा क्षेत्र गोला ब्लाक की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा । वहां पर काम के बदले अनाज योजना के तहत 1200

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बोरी गेहूं दिया गया था, वहां के ब्लाक प्रमुख ने सारा गेहूं बेच दिया और जांच होने पर दोषी पाया गया, निलंबित भी हुआ, लेकिन राजनीतिक कारणों से पुनः स्थापित कर दिया गया। इसी तरह से मान्यवर, आप देखें कि इस बजट पुस्तिका में करोड़ों रुपये दर्शाए गये हैं कि पंचायत टैक्स के रूप में मिले, खर्च किये गये और वसूले गये। लेकिन मान्यवर, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि यह पंचायत टैक्स न निर्धारित हुआ, न वसूला गया और न खर्च हुआ। विगत 3-4 वर्षों से ग्राम पंचायतों की न तो बैठकें हुईं, पुस्तिका में दिखाया गया है कि ग्राम पंचायतों की बैठकें नहीं हुईं तो किस प्रकार के बजट बनाएंगे, निर्धारण करेंगे और खर्च करेंगे।

मान्यवर, मैं आपको गांव पंचायतों के बारे में बताना चाहूंगा। महात्मा गांधी का सपना था कि ग्राम पंचायतों और न्याय पंचायतों के माध्यम से गांवों का विकास किया जायगा, आज गांव के लोग भूल चुके हैं कि न्याय पंचायत कोई संस्था है या नहीं। बजट पुस्तिका में लघु सिंचाई की चर्चा की गयी। आप जानते हैं और सभी सदस्य यहां उपस्थित हैं, पाइप, लघु सिंचाई के लिये उपलब्ध कराया जाता है 100 फीट, लेकिन उसकी कीमत 1200 रुपये के रूप में काश्तकारों को दी जाती है और 300 रुपये खर्च के रूप में दिये जाते हैं और कागजों पर दस्तखत कराया जाता है 3000 रुपये प्राप्त करने का, लेकिन आज तक सदन में उपस्थित सभी सदस्य जानते हैं कि इस बात की कोई जानकारी, इतने बड़े भ्रष्टाचार की कोई जानकारी नहीं है। बड़ी धूमधाम से बड़ी गर्वोक्ति के साथ आर0 ई0 एस0 की चर्चा की गयी इस बजट में।

मान्यवर, यह भ्रष्टाचार का चारागाह हो गया है। 25 से 40 प्रतिशत कमीशन वसूला जाता है। इसके बाद मैं अपने विधान सभा क्षेत्र के बारे में कुछ चर्चा करना चाहूंगा। हमारे विधान सभा क्षेत्र में गरियाकोल गांव की पटाई की गयी थी, जहां शत प्रतिशत झूठ पाया गया, जांच की गयी, उसके बाद भी दोषी पाये गये अधिकारियों के खिलाफ आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं की गयी। इसी प्रकार कोल-खास, गायघाट और आदि गोनघटा आदि तमाम गांवों की भी पटाई की गयी थी, लेकिन किसी प्रकार की समुचित व्यवस्था आज तक नहीं की गयी, जिससे वहां पर भ्रष्टाचार की किसी प्रकार से रोकथाम हो सके।

मान्यवर, मैं 20 सूत्री कार्यक्रम की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। हमारा प्रदेश 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रथम आया है, बड़ी खुशी की बात है, लेकिन जब इन झूठे आंकड़ों की तरफ देखता हूं तो सोचता हूं कि ये झूठे आंकड़े कहां से लाए गये हैं, तो जब इधर नजर जाती है तो लगता है कि ये मंत्रीजी झूठ के लिये अवतरित हुए हैं। मैं यह समझता हूं कि इन झूठे आंकड़ों के ऊपर प्रदेश 20 सूत्री कार्यक्रम में प्रथम आया है। अब मैं बायोगैस की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गोण्डा जनपद के प्रतिनिधि यहां उपस्थित हैं, पता लगा कि बायोगैस के आधार पर गोण्डा जनपद प्रथम आया है, मान्यवर, इसका 75 से 90 परसेंट काम झूठा पाया गया, लेकिन उसी प्राथमिकता के आधार पर वहां के जिलाधिकारी जो 31 जुलाई को अवकाश प्राप्त करने वाले हैं, उनको अपनी सेवा में रखने के लिए षडयंत्र रचा जा रहा है। ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ, जिसके खिलाफ इतने गम्भीर-

तम आरोप है, गोण्डा जनपद के प्रतिनिधि मौजूद हैं, उनसे पता कर लें, अगर मैं गलत कह रहा हूं तो अपनी सदस्यता से इस्तीफा दे सकता हूं, उनको दोबारा सेवा में लेने का षडयंत्र रचा जा रहा है। इन शब्दों के साथ मैं मा0 वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

* श्री पुरुषोत्तम लाल–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, जैसा कि आपको विदित है सारे जनप्रतिनिधियों को विदित है कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। भारत गांव प्रधान देश है। भारत के अंदर उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है, जो क्षेत्र में भी आबादी में भी, मैं समझता हूं काफी बड़ा है। ऐसी स्थिति में बड़े क्षेत्र में ग्रामीण अंचल की समस्यायें बड़ी हैं। मैं माननीय मंत्री जी का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने महात्मा गांधी जी के द्वारा, नेहरू जी के द्वारा, इंदिरा जी के द्वारा चलाया गया जो गरीबी उन्मूलन के खिलाफ अभियान था या गांव के उत्थान के जो नये नये तरीके निकाले गये थे, उनके भी समुचित विकास का जो माध्यम था, उसका गुरुत्तर भार अपने कन्धों पर लिया है। वे इसके लिये बधाई के पात्र हैं।

इसके साथ ही मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान कुछ समस्याओं की ओर भी आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, आज इस ग्राम्य विकास विभाग की तरफ से, जो इंदिरा आवास की योजना है, उसमें आवास के लिये 6 हजार रु0 की धनराशि रखी गयी है। मान्यवर, मैं ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। ग्रामीण अंचल में मेरा सिराथू विधान सभा क्षेत्र, सबसे पिछड़ा हुआ और अविकसित क्षेत्र है। मैं यह कहना चाहता हूं कि ग्रामीण अंचल में जो इंदिरा आवास बन रहे हैं। 6 हजार रु0 की योजना के अन्तर्गत, निश्चित रूप से जैसे पहले जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को गांव से दक्षिण बसाया जाता था, उसी तरह से इंदिरा आवास बस्ती से दूर, अलग-अलग बन रहे हैं। इंदिरा जी देश की नेता थी, विश्व की नेता थी, उनके नाम पर इस योजना के अन्तर्गत जो आवास बन रहे हैं, बस्ती से दूर बन रहे हैं चाहे आप इसे हास्यास्पद समझें, इन आवासों को देखने पर, कोई सुअर बाड़ा से ज्यादा कुछ नहीं कह सकता। मैंने इन आवासों में घुसकर देखा है, उसमें 2 चारपाई भी ठीक से नहीं बिछाई जा सकती हैं, न ही कोई उसमें अच्छी तरह से रहन सहन कर सकता है। एक तरफ गरीबों के उत्थान की बात कही जाती है, दूसरी तरफ अनुसूचित जाति, जनजाति और बंधुआ मजदूरों को बेहतर जिन्दगी देने की बात की जाती है, वहीं आज इस नीति के माध्यम से, अगर गरीबों को बेहतर स्थिति में में आवास नहीं दिये गये, तो इस योजना का कोई कारगर लाभ पहुंचने वाला नहीं है। इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि मेरे क्षेत्र में बड़ा ब्लाक और सिराथू ब्लाक में पेयजल का गंभीर संकट है। ग्राम्य विकासा विभाग, ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत ग्रामों में पेयजल उपलब्ध कराने में समुचित योगदान दे रहा

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

है । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इलाहाबाद जनपद के अंतर्गत, मेरे विधान सभा क्षेत्र सिराथू के कड़ा ब्लाक और सिराथू ब्लाक में पेयजल के गंभीर संकट को देखते हुए अधिक से अधिक हैंडपाईप मुहैया कराये जायं, जिससे पेयजल का संकट दूर हो सके और ग्रामीण जनता को राहत पहुंच सके ।

मान्यवर, अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि आरक्षण कोटे के सम्बन्ध में जो तमाम विभागों में नीतियां बनी हैं, उसमें आर0 ई0 एस0 विभाग से बहुतायत शिकायतें मिल रही हैं कि वहां आरक्षण पूर्ति का ध्यान नहीं रखा जा रहा है । मैं मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि आर0 ई0 एस0 में, चाहे जूनियर इंजीनियर का पद हो या असिस्टेंट इंजीनियर का पद हो या अन्य पद हों, उनमें आरक्षण नीति की पूर्ति हेतु आवश्यक निर्देश दें और अवश्य ही वहां आरक्षण पूरा करायें ।

इन्हीं शब्दों के साथ माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत ग्राम्य विकास विभाग के बजट का समर्थन करता हूं और माननीय राम आसरे वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

(श्री किरनपाल सिंह व अन्य कई माननीय सदस्यों के खड़े होने एवं मौका देने के लिये अनुरोध करने पर)

श्री अधिष्ठाता–

चूंकि इसमें समय बढ़ा दिया गया है, इसलिए प्रयास रहेगा कि अधिक से अधिक लोगों को मौका रहे ।

*श्री किरनपाल सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे ग्राम्य विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। माननीय श्री राम आसरे वर्मा जी द्वारा जो कटौती का प्रस्ताव रखा गया है, उसका मैं समर्थन करता हूं। यह एक महत्वपूर्ण बजट है और भारत गांवों में रहता है लेकिन आज गांवों की जो स्थिति है, उससे सत्ता पक्ष व विपक्ष दोनों ओर के माननीय सदस्य अवगत हैं। ग्राम्य विकास विभाग द्वारा ग्रामोत्थान हेतु जो योजनायें चलाई जा रही हैं, उसमें कोई दो-राय नहीं है कि वे प्रशंसनीय हैं। लेकिन दोनों ओर से यही बात कही जा रही है कि आज इनके कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार काफी चरम सीमा पर पहुंच चुका है। जो भी पैसा गांवों में सड़कों आदि के लिए दिया जाता है, उसका 40 फीसदी ऊपर के अधिकारी कमीशन के रूप में खा जाते हैं।

छूट का पैसा गरीब लोगों को गाय, भैंस, घोड़ा आदि खरीदने के लिए दिया जाता है, इसमें छूट के नाम पर वी0 एल0 डब्लू से लेकर पशु चिकित्सक तक कमीशन खाते हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप इस छूट को समाप्त कीजिए क्योंकि आप

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भ्रष्टाचार रोक नहीं पायेंगे। इसकी जगह पर आप गरीब लोगों को बिना ब्याज का पैसा दीजिए गाय, भैंस, घोड़ा आदि खरीदने के लिए। जो ब्याज इसका बनता है, उसे सरकार स्वयं वहन कर बैंकों को अदा करे। इससे भ्रष्टाचार कम हो सकता है। मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। बुलन्दशहर में 6-7 लाख रुपए छूट का बी0 डी0 आफिस में डेढ़-दो साल से पड़ा हुआ है, आज तक वह गरीब लोगों को नहीं दिया गया है, आप इसकी जांच करायें। हैण्ड पम्प्स के बारे में जैसा कि जाहिदी जी ने भी कहा, यह सही है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गांवों में पीने के पानी की कमी नहीं है, वहां पर कुंवे आदि चीजे हैं, लेकिन फिर भी आपको गरीब लोगों को सुविधा उपलब्ध करानी है। कराईये। मैंने हैण्ड पम्प के बारे में कई बार पत्र भी श्री गंगवार जी को लिखा। हैण्ड पम्प के पाईप लोअर स्ट्रेटा तक जाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया गया है। मैंने मेरठ कमीश्नरी का दौरा किया और वहां पर पाया कि सारे पाईप लोअर स्ट्रेटा तक न होकर ऊपर स्ट्रेटा तक लगाये गये हैं। इसमें अभियन्ताओं ने 1/4 पैसा बचाया है।

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री चेतराम गंगवार)–

आप लिखकर दे दीजिये, जांच करा ली जायेगी।

श्री किरन पाल सिंह–

मैं लिखकर दे चुका हूं, पर आप जांच करवाते ही नहीं हैं। मेरा एक और सुझाव है कि आज हर कार्य अपने ब्लाक स्तर पर दे दिया है, इसलिए इसके भार को कम किया जाना चाहिए। 1962 में जब ब्लाकों का गठन किया गया था, उस समय एक लाख की आबादी पर एक ब्लाक रखा गया था, लेकिन आज आबादी बढ़ गई है, ब्लाक स्तर पर काम बढ़ गया है, उन्हें अधिक धन आवंटित किया जाता है, इसलिए मेरा सुझाव है कि आप ब्लाकों का रि-आर्गेनाइजेशन करें। हमारे ही जिले में पहले ब्लाक स्तर पर 17 लाख की आबादी थी जो आज बढ़कर 28 लाख हो गई है, इसलिए आप एक छोटा ब्लाक बना दें या वहां पर एक असिस्टेन्ट डेवलपमेंट आफिसर नियुक्त कर दें लेकिन आज आपने इतना बड़ा आफिसर वहां पर तैनात कर दिया है कि एक-एक जीप आपने हर ब्लाक को दे दी है, और वहां पर वे लोग इससे घूमते हैं, इसलिए मेरा सुझाव है कि वहां पर जीप न दी जाय बल्कि डेवलपमेन्ट आफिसर को एक मोटर साइकिल दी जाय, जो अपने पीछे एक कर्मचारी को बैठा-कर सारे ब्लाक में घूमकर काम कर सके। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अमिताभ लवानिया–

मान्यवर, आपका आभारी हूं कि आपने ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया।

मान्यवर, विकास उस सुन्दरी का नाम है जो कच्चे में जाने से घबराती है और अन्धेरे से डरती है। माननीय वर्मा जी उस अन्धेरी कोठरी में हैं जहां विकास सुन्दरी उन्हें नजर नहीं आती। आप उस पीठ पर बैठे हैं, मुझे आशा है कि आप उनका आलिंगन उस विकास सुन्दरी से अवश्य करा देंगे।

गांवों के विकास के लिए बुनियादी चीज है सड़कें। जब तक गांवों तक सड़क नहीं पहुंचेगी, विकास की कल्पना नहीं की जा सकती। समुचित शिक्षा का भी प्रबन्ध होना चाहिए। जहां तक मंत्री जी ने एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, ट्राईसेम योजना, ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं तथा बच्चों के उत्थान की योजना जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं का जिक्र किया और कहा कि लक्ष्यों की पूर्ति के लिए प्रयासरत हैं और बहुत सी योजनाओं में लक्ष्य हासिल कर लिये हैं, उसके लिए माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। निःशुल्क बोरिंग का जो कार्यक्रम चल रहा है, मैं कहना चाहूंगा कि लघु किसान और सीमान्त किसानों को इससे बड़ा फायदा हुआ है इस दृष्टि से क्योंकि वे लोग बड़े पैमाने पर रुपया लगाकर इतना खर्चा नहीं कर पाते थे। लघु किसानों को 33 प्रतिशत और सीमान्त किसानों को 50 प्रतिशत की दर से जो अनुदान मिल रहा है, उससे उनको बहुत लाभ हुआ है और वह अपने को विकास की कड़ी में जोड़ चुके हैं। जहां तक स्व-रोजगार योजना का सवाल है, मेरा सुझाव है कि जिनको प्रशिक्षित किया जा रहा है और जो सुविधायें दी जा रही हैं, अगर उनकी संचालन व्यवस्था सुचारु रूप से नहीं की गयी, तो इसके परिणाम ठीक नहीं आयेंगे।

आर0 ई0 एस0 के ऊपर बहुत से लोगों ने बोला, मैं भी कहूंगा कि आर0 ई0 एस0 द्वारा ग्रामीण अंचलों में जो सम्पर्क मार्ग बनाये जा रहे हैं, उसके काम की लोगों ने तारीफ की है, लेकिन कुछ कमियां भी हैं, अवर अभियन्ताओं की ब्लाक लेविल पर कमी है, तहसील को देखते हुए सहायक अभियन्ता जो तैनात होते हैं, उनके पास साइट पर जाने के लिए और प्लान बनाने के लिए कोई वैहीकिल नहीं दी गयी है। जब तक आप उनको वैहीकिल नहीं देंगे तब तक काम चलने वाला नहीं है। इस आर0 ई0 एस0 को प्रभावी बनाने के लिए जरूरी है कि इसका अपना एक स्वामित्व हो, अपना ड्राइंग व डिजाइन सैल हो, तभी यह एक अच्छी संस्था बन सकती है। इसके साथ ही जो आपने समय दिया, उसके लिए आभारी हूं।

श्री कुशल पाल सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। आपका ध्यान आकर्षित करता हूं उत्तर प्रदेश का और देश का तब तक भला नहीं होगा जब तक गांवों का विकास सही रूप से नहीं किया जायगा। ग्राम्य विकास विभाग अगर अपने प्रगति के आंकड़ों का 50 प्रतिशत भी जमीन पर उतार दें तो शायद प्रदेश का कल्याण हो जायगा। सुना करते थे कि दूध से खोया बनता है लेकिन इस विभाग में भैंस का ही खोया बनाया जा रहा है। जितने भी विकास कार्य हो रहे हैं, सब कागजों पर हो जाते हैं।

40 प्रतिशत पैसा नहीं लगाया जाता है। मान्यवर, हर जिले में ग्राम्य विकास अभिकरण जो बना हुआ है वह कमीशन का ऐसा अड्डा बन गया है अगर उसे कमीशन विभाग कहा जाय तो उपयुक्त होगा। पैसा विभागों के लिये जब आबंटित होता है तो सी0 डी0 ओ0 और पी0 डी0 किसी भी पैसे का आबंटन ठीक तरह से नहीं करते हैं, भेदभाव बरता जाता है इसके आबंटन में। हमारे जनपद मथुरा में मैंने देखा है कि जो विभाग अच्छा काम करता है उसे पैसा नहीं मिलता है और जो विभाग काम अच्छा नहीं करता है उसे ही कमीशन देकर पैसा मिल जाता है।

मान्यवर, पंचायत राज विभाग गांवों में खुशहाली लाने के लिये है । अभी तक सरपंचों का चुनाव नहीं हुआ है, जिला परिषद् का चुनाव नहीं हुआ है जिसके कारण पैंठ और हड्डी के ठेके में भी भ्रष्टाचार किया जा रहा है । इस तरह से पंचायत राज की स्थिति बहुत ही खराब हो गयी है। गांव सभाओं के आपके साधन खत्म कर दिये गये हैं ।

मथुरा जनपद में पेय जल का संकट है । वहां 80 से लेकर 90 प्रतिशत तक हैण्ड पम्प खराब पड़े हुए हैं । आज तक वहां किसी भी हैण्ड पम्प की मरम्मत नहीं हुई है, इससे तो जल निगम द्वारा अगर कराया जाय तो यह इन्तजाम ठीक रहे । प्रत्येक ब्लाक में पेयजल व्यवस्था कराई जाय।

अभी हमारे भाइयों ने कहा और बड़ी तारीफ कर रहे थे कि इन्द्रा आवास योजना बनायी जा रही है। इन्दिरा गांधी बड़ी डेयरिंग महिला थीं, उनके नाम पर ऐसे घर बनाये जा रहे हैं कि जिसमें निम्न श्रेणी की ईंट और गारा में मिट्टी लगायी जा रही है । उसकी ऊंचाई इतनी कम है कि हमारे मा0 हुकुम सिंह जी वहां जायें तो घुस न पाये । आज इन्द्रा जी की आत्मा रो रही है कि वे ऐसे कमजोर मकान कमजोर वर्ग के लिये बनाये जा रहे हैं। हमारे मथुरा जनपद में 80 प्रतिशत मकान में खराब कार्य किया गया था । इसमें बी0 डी0 ओ0, पंचायत राज सेक्रेटरी, बी0 एल0 डब्लू0 सब लोगों से 500-500 रु0 ले लेते हैं जिसके कारण कहीं ठीक से मकान नहीं बनाये जा रहे हैं ।

शौचालय बनाने की बात है, ठीक है, बनना चाहिए । लेकिन जहां पेय जल का संकट हो रहा है वहां शौचालय बनाये जायेंगे? इससे तो और बीमारी पैदा होगी। व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए कि पहले पानी की व्यवस्था करा दें फिर शौचालय की ओर ध्यान दें ।

गोबर गैस का भी यही हाल है । इसी तरह से आर0 ई0 एस0 द्वारा जो निर्माण कार्य किये गये हैं वह बहुत ही निम्न कोटि के हैं, पुलिया का जो निर्माण उसके द्वारा किया गया है, स्कूल के जो भवन बनाये गये हैं तथा जो सड़कें उसने बनायी हैं सबका स्तर बहुत ही रद्दी बनाया जाता है। आधा पैसा तो बीच में ही रह जाता है । आर0 ई0 एस0 द्वारा बनायी गयी चार-पांच या छः साल तक की जिनमें कंकरीट उखड़ रही है, खड़ंजा छितरे पड़े हैं, मिट्टी उड़ी जा रही है, कोई भी व्यवस्था नहीं है । अगर कोलतार से उनको पेन्ट करा दें तो कम से कम उनकी यह स्थिति न हो ।

श्री अधिष्ठाता—

अब आपका समय समाप्त ।

श्री कुशलपाल सिंह—

इन्हीं शब्दों के साथ मैं मा0 वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

डा0 रजनी कान्त दत्त–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, ग्राम्य विकास, पंचायत राज मंत्रालय के बजट का मैं समर्थन करता हूं तथा कुछ सुझाव आपके माध्यम रखना चाहता हूं । 1981 की जनगणना के अनुसार 82 प्रतिशत आबादी उत्तर प्रदेश के गांवों में रहती है और 18 प्रतिशत आबादी शहरों में । अर्थशास्त्रियों का कहना है कि 100 विद्वान लोगों में से जितने प्रतिशत लोग कृषि कार्यों में किसी देश में लगे हैं अगर वह कम हैं तो वह उसकी आर्थिक प्रगति का, आर्थिक मजबूती का द्योतक है । महोदय, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि जहां अमेरिका में 1920 में 100 में 81 आदमी खेती में लगे थे और 1985 में यह संस्था घटकर 3 रह गयी । इंगलैंड में 1820 में 100 में 12.5 आदमी खेती में लगे थे और 1985 में यह संख्या 2.5 रह गयी । मान्यवर,, वहीं उत्तर प्रदेश में 1901 में 100 में से 76 व्यक्ति खेती में लगे थे, 1951 में 100 में से 77 और 1985 में 100 में से 72 आदमी खेती पर लगे हुए हैं । उत्तर प्रदेश में जहां हम 1901 से शुरूवात हुई और 1985 तक पहुंच गये । हमने देखा कि 86 वर्षों में बढ़ोत्तरी जगह हम वापस चले आये हैं, जहां 1920 में अमेरिका था और जहां 1820 में इंगलैंड था ।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक जोतों की जमीन का सवाल है, 1961 में 18 करोड़ 60 लाख और 90 हजार हेक्टेयर जमीन थी, और खेतिहर मजदूरों की संख्या 1961 में 32 लाख 61 हजार थी । वह बढ़कर 1987 में 76 लाख 47 हजार हो गयी । मान्यवर, आप देखेंगे कि जोत घट रही है और खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ रही है ।

मान्यवर, इसका कारण क्या है ? इसका कारण यह है कि जितना भी विकास का पैसा है, उसमें से हर 4 रुपयों में 2.75 पैसा शहर के विकास पर खर्च किया जाता है और नतीजा यह है कि गांव शहर की ओर भाग रहे हैं । मुझे यह डर है कि कहीं राज पथ पगडंडियां बनकर कहीं जंगलों में न गुम हो जायें। न बना जाये । आज जो लोग किसानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, जो किसानों की बात करते हैं, उनका शहरीकरण हो गया है। एयर कन्डीशन कमरों में बैठकर, डब्बों का खाना खाकर भूल गये हैं कि किसान की भी समस्यायें हैं। मैं अनुरोध करूंगा जब जब भी किसानों के बारे में कोई योजना बनाई जाये, तो गांव वालों और किसानों की समस्या के बारे में अवश्य सोचा जाये । किसानों को बिजली दी जाती है, रात में दी जाती है, तीन बजे उठकर वह धान की रोपाई करता है, जाड़े में वह खेत में पहुंचता है और देखता है कि बिजली चली गयी, तो इस प्रकार की चीजों पर आपको विचार करना होगा ।

मैं कहना चाहूंगा कि जहां पर 'भू गर्भ जल संभरण' का सवाल है, पानी की क्वालिटी देखी जा रही है कि खारा है या मीठा है । कुओं का पानी सतह क्यों छोड़ रहा है । मैं बताना चाहता हूं कि जब श्री राव साहेब, केन्द्रीय सिंचाई मंत्री थे तो उन्होंने फाइन्डिंग दी थी कि भू गर्भ से जितना पानी निकाला जाये उसको दुगुने पानी का सतही संरक्षण होना चाहिये ।

मान्यवर, आज तालाबों और पोखरों को पाट दिया गया है, उनकी जगहों पर इमारतें और मैदान बना दिये गये हैं । मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि अगर वे चाहते हैं कि जमीन के अन्दर का पानी अपनी सतह न छोड़े तो हर गांव में तालाब बनाना पड़ेगा और जो तालाब हैं, उनाको संरसण देना पड़ेगा, जो नदियों की बाढ़ का पानी है, उसे इकट्ठा करने के लिये और गांव में पानी पहुंचाने के लिये नहरों का जाल बिछा दिया जाय । जलाशय बनाये जायें ।

मान्यवर, कहना तो बहुत अधिक था, लेकिन अधिष्ठाता महोदय आपकी आज्ञानुसार मैं इस बजट का समर्थन करते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं ।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

मान्यवर, ग्राम्य विकास के बजट पर वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। ग्राम्य विकास में इतना जबरदस्त भ्रष्टाचार फैला हुआ है, मैं झांसी जिले से आता हूं लघु सिंचाई विभागों ने कुंए खुदवाकर कई गांवों में बोरिंग की है लागत 60-70 हजार रुपया आती है, लेकिन 100 प्रतिशत बोरिंग असफल है। इसके लिये मेरा सुझाव है कि लघु सिंचाई से बोरिंग कराने से पहले भूगर्भ जल सर्वेक्षण से सर्वे करा लिया जाय करे और बोरिंग के पश्चात इसी विभाग से यह प्रमाण पत्र ले लेना चाहिए कि यह बोरिंग सफल हो गई । अन्यथा बोरिंग असफल होने पर रिस्पोंसिबिलिटी फिक्स होनी चाहिए कि किस विभाग की गलती है । लघु सिंचाई द्वारा ही चेक डैम बनाये जा रहे हैं जिनसे जो सिंचाई का कार्य होना चाहिये। परन्तु झांसी में इससे कोई सिंचन क्षमता नहीं बढ़ी है केवल कागजों पर ही सिंचाई होना दिखा दी गई है। इसकी आप जांच करायें। जहां तक ग्राउन्ड वाटर का सवाल है उसमें भयंकर भ्रष्टाचार है। उसके जो निदेशक हैं वे स्वयं अस्थाई हैं उनके आशीर्वाद से लखनऊ के जो अधिकारी अभियंता एम0 एम0 अन्सारी हैं वे एक मामले में जनवरी 87 में 47 हजार के गबन में पकड़े गये थे उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है। माननीय मंत्री जी को या तो इसकी जानकारी नहीं है या यदि जानकारी है तो वे उनको संरक्षण दे रहे हैं।

मान्यवर, एन0 आर0 पी0 और आर0 एल0 ई0 जी0 पी0 के बारे में कहना चाहता हूं कि इन योजनाओं के उनके अन्तर्गत जो पैसा मिलता है, जितनी भी इनकी कार्यदायी संस्थायें हैं हर संस्था में कमीशन है। लघु सिंचाई में 40 प्रतिशत कमीशन अधिकारी ले रहे हैं। यही स्थिति डी0 पी0 ए0 पी0 की है। ग्रामीण अभियंत्रण सेवा में अच्छे उपकरणों के अभाव हैं । इनके द्वारा बनायी गई सड़कों के रख रखाव के लिये बहुत कम धन दिया जाता है अधिक धन दिया जाय। इसी तरह से डी0 आर0 डी0 ए0 में भी बहुत धांधली है। वहां पर 5 से 10 प्रतिशत तक कमीशन लिया जाता है डी0 एम0 कोई बैठक नहीं बुलाता है। झांसी में यही हो रहा है। सीधे कमीशन लेकर ए0 डी0 एम0 (डी0) ठेकेदारों को काम दे देते हैं। डी0 एम0 को तथा कार्यदायी संस्था को कोई सूचना ही नहीं होती है। डी0 पी0 ए0 पी0 के अन्तर्गत कार्य भूमि संरक्षण विभाग वाले करा रहे हैं और वे इसमें 45 प्रतिशत कमीशन ले रहे हैं अधिकारियों के

लिए। आर0 एल0 जी0 पी0 और एन0 आर0 ई0 पी0 के अन्तर्गत कार्य पी0 डब्लू0 डी0 करा रहा है। हमारे यहां सन् 1985-86 में प्रान्तीय खण्ड को 740 मी0 टन गेहूं मिला था जो उन्होंने कि 20 दिन के अन्दर बांटा हुआ दिखा दिया जो कि जिले भर के सा0 नि0 वि0 के कर्मचारी भी मिलकर 20 दिन में नहीं बांट सकते थे इसी प्रकार 86-87 में भूमि संरक्षण ने 17 लाख का गेहूं एक महीने में ही बांटा हुआ कागजों पर दिखा दिया मार्च के महीनें में गेहूं मिला था और मार्च में ही बांट दिया जो असम्भव है। गेहूं बेचा जा रहा है जांच करायें। डी0 आर0 डी0 ए0 की जिलों में मीटिंग नहीं हो रही है और यदि होती भी है तो जन प्रतिनिधियों से सुझाव नहीं लिए जाते हैं। ए0डी0एम0 (डी) द्वारा झांसी में बैठक होने से पहले ही कार्य स्वीकृत कर दिये जाते हैं और बाद में बैठक बुला कर उन पर अनुमोदन लिया जाता है। इस तरह से उन मीटिंगों में जन प्रतिनिधियों के बैठने का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि मात्र जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत कार्यों का अनुमोदन कराया जाता है, उनके कोई सुझाव नहीं लिये जाते हैं।

इसके अतिरिक्त मेरा निवेदन है कि डी0 आर0 डी0 ए0 की बैठक हर तीन माह में एक बार जरूर बुलाई जाय। सारा कार्य जनप्रतिनिधियों के सामने उनकी सहमति से स्वीकार कराया जाय। मान्यवर, पिछले वर्ष कुछ पैसा ब्लाकों को विकास कार्यों के लिये दिया गया था। उसमें प्राइमरी स्कूल भवनों की मरम्मत आदि का कार्य भी शामिल था। लेकिन स्थिति यह है कि इस दिशा में कुछ कार्य भी नहीं हुआ है। स्कूलों के भवनों की मरम्मत नहीं हुई है। पिछले वर्ष शासन द्वारा प्राइमरी स्कूलों के भवन निर्माण के लिए 93 हजार रुपये स्वीकृत हुये थे। इस वर्ष उसे घटा कर 56 हजार रुपया कर दिया गया है। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या प्रदेश में निर्माण लागत कम हो गयी है? इसके अतिरिक्त मैं कहना चाहता हूं कि बुन्देलखण्ड में बेतवा कमान्ड डेवलपमेंट अथारिटी का गठन किया जाय। मान्यवर, सीमान्त और लघु सीमान्त की परिभाषा पूरे प्रदेश के लिये एक है कि ढाई एकड़ पर सीमान्त और 5 एकड़ पर लघु सीमान्त होता है। मेरा सुझाव है कि आप इसे बुन्देलखण्ड के लिए बढ़ाकर 5 एकड़ पर सीमान्त और 10 एकड़ पर लघु सीमान्त का मापदण्ड करायें ताकि इससे बुन्देलखण्ड के किसान को सुविधा मिल सके।

मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि झांसी के एक सहायक अभियंता मनोज कुमार जो ग्राउन्ड वाटर में हैं जो कि अपने गृह जनपद झांसी में ही 7 वर्षों से कार्य कर रहे हैं उनका स्थानान्तरण किया जाय। चिरगांव-गुरसराये मार्ग पर बेतवा नदी पर रामनगर घाट रिपटा पी0 डब्लू0 डी0 को जिला परिषद् से स्थानान्तरित कर दिया जाय। क्योंकि रिपटा जिला परिषद के पास है और दोनों ओर के मार्ग पी0 डब्लू0 डी0 के पास हैं। मान्यवर, एक और सुझाव देना चाहता हूं बुन्देलखण्ड-विन्ध्य के पठारी 8 जिलों के भूजल सर्वेक्षण हेतु संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यू0 एन0 डी0 पी0) की योजना को प्रदेश की योजना में अवश्य सम्मिलित किया जाये। जरूर चलाया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें।

कुंवर मानवेन्द्र सिंह—

बस एक बात कह कर खतम करता हूं कि रिमोट सैंसिंग एप्लीकेशन सेंटर लखनऊ में फटोंजियोलाजिस्ट या हाइड्रोजियोलाजिस्टों को सबिलीन किया जाय तथा प्रदेश में बाढ़ के समय जो अत्यधिक गहरे जल स्तर वाले जनपद हैं उसमें बाढ़ के अतिरिक्त जल को अप्राकृतिक रूप से पृथ्वी के अन्दर अवशोषित कराया जाय। इसी के साथ मैं मा0 वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री अवधेश राय शास्त्री—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास के बजट पर बोलने का अवसर दिया। ग्रामीण व्यवस्था के सर्वांगीण विकास हेतु ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है मैं उसका समर्थन करता हूं और माननीय वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका विरोध करता हूं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के स्वपनों को साकार करना है तो मैं अपने अधिकारी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि वह सरकार द्वारा जितनी भी धनराशि गावों के लिये दी जा रही है उसका वह सदुपयोग करें तभी गांवों का सर्वांगीण विकास हो सकता है। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि चाहे गांवों में आप इंदिरा आवास योजना के अन्तर्गत आवास बनायें या सामुदायिक विकास केन्द्र बनायें या पंचायत भवन बनायें या और जितने भी सरकारी भवन बनायें उनका नामकरण स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम से रखें और जनप्रतिनिधियों से उनका उद्घाटन करायें न कि जिलाधिकारियों या दूसरे अधिकारियों से।

इसके अलावा जो गांवों में सम्पर्क मार्ग आर0 इ0 एस0 के द्वारा बनाये जा रहे हैं उनकी चौड़ाई का 6 मीटर या 7 मीटर का मानक रखा गया है उनकी जितनी चौड़ाई है। बनाने के लिये स्वीकृति दी जाय वर्ना उनका मुख्य मार्गों से सम्पर्क नहीं हो पायेगा उन सम्पर्क मार्गों की जितनी चौड़ाई है वही रखा जाय।

इसके साथ ही मैं अपने जनपद गाजीपुर की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। जो आपकी बायोगैस तथा सुलभ शौचालय बनाने की स्कीम है उसकी हमारे यहां कोई प्रगति नहीं हुई है। मुझे जानकारी मिली है कि हमारे जिले में शिक्षित बेरोजगार लड़कों को प्रशिक्षण देने की बात है लेकिन वह नाममात्र के लिये है उससे बहुत कम लोगों को फायदा हुआ है।

इसके साथ ही गाजीपुर में हरिजनों को पेयजल की सुविधा देने की बात है। जहां हरिजनों की आबादी 2 हजार या 3 हजार है वहां पर एक हैण्डपम्प लगाया जा रहा है जिससे पेयजल की समस्या का हल नहीं हो रहा है। मेरा मंत्री जी से निवेदन है कि ऐसी हरिजन बस्तियों में या तो कुंवे बना दें या फिर हैण्ड पम्प की संख्या अधिक करें। इन शब्दों के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया मैं मंत्री जी द्वारा रखे बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

(श्री मोहम्मद मसूद खां का नाम पुकारने पर कई माननीय सदस्य खड़े हो गये) सब को अवसर मिलेगा, पाण्डेय जी, आप बैठें।

*श्री मोहम्मद मसूद खां—

मान्यवर, इसमें कोई सुबहा नहीं है कि इस विभाग से सबसे ज्यादा उम्मीद की जाती है कि देहातों में सड़कें बनायें और उसके लिए काफी पैसा भी इनको दिया जाता है। लेकिन सबसे बड़े दुःख की बात यह है कि जितनी धनराशि एन0 आर0 इ0 पी0 वगैरह में लगाई जाती है सड़कों के बनाने में उसमें कभी-कभी ओवर लैपिंग हो जाती है एक ही सड़क को कई-कई विभाग बनाया हुआ दिखा देते हैं मेरा इसमें एक सुझाव है कि पी0 डब्लू0 डी0 में एक नक्शा होता है इंटीग्रेटेड रोड का जो 1971 के सेन्सेज से है, लेकिन उसे 1981 के सेन्सेज से बनवाकर हर ब्लाक को भेज दें ताकि वहां जो गांव हैं सबके लिंक रोड नक्शे में दिखा दें। यह कार्य एक रोशनाई से यह करें कि जहां जमीन उपलब्ध है और दूसरी रोशनाई (इंक) से जहां जमीन उपलब्ध नही है। इस प्रकार से जब चयन किया जायेगा तो एक सड़क एक विभाग को दी जाय। यह सुझाव है।

मान्यवर, मंत्री जी ने एलान किया है कि रोड्स के रिपेयर के सिलसिले में पैसा देते हैं और चूंकि रिपेयर की जरूरत है लेकिन इसका सही तरीके से काम न किया जाये तो विभाग को वह पैसा बोनस हो जाता है। आज यही हो रहा है। हमारे जिले में 20 सूत्री कार्यक्रम के मंत्री जी अध्यक्ष हैं, पिछले साल बैठक में आर्डर दिया था कि जो भी रिपेयर सड़कों की हुई है उसके बारे में हर एम0 एल0 एज0, जनप्रतिनिधि, को सूचना दे दी जाये लेकिन आज तक नहीं दी गयी। आपने आज फिर एलान किया है, मेरी प्रार्थना है कि इसका इम्प्लीमेंटेशन करा दें वरना रिपेयर के नाम से 100 प्रतिशत क्या 10 प्रतिशत तो जिले में काम नहीं हुआ है।

दूसरा सुझाव है कि हमको पता नही चलता है कि यहां से जिले के सिलसिले में कितना धन, किस मद में जाता है और इसके बारे में कोई बताता भी नही है, इसलिये सुझाव है कि किसी अधिकारी को आप यहां कह दें कि जिले में जिस मद में फंड भेजा जाय उसकी एक-एक कापी हाम, जनप्रतिनिधियों को दे दी जाया करें।

मान्यवर, एक और सुझाव है कि जिलों में सड़कों के सिलसिले में जिस तरह से पी0 डब्लू0 डी0 में अधीक्षण अभियन्ता (प्लानिंग) होता है उसी तरह से यहां भी किसी अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाय जो देखे कि कौन काम हो रहे हैं, किस के माध्यम से हो रहे हैं, ताकि दूसरे साल उसकी डुप्लीकेसी न हो।

अंत में मैं मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जो एन0 आर0 इ0 पी0की बैठकें होती हैं, सारे फंड आते हैं, उसमें कहा जाता है कि जनप्रतिनिधियों की साझेदारी है लेकिन होता यह है कि यहां से मनमाने ढंग से पास कर देते हैं चूंकि जिलाधिकारी इस बैठक के अध्यक्ष होते हैं। इसलिये मेरा सुझाव है कि इन बैठकों में जो प्रोसीडिंग लिखी जायं उसमें जहां जिलाधिकारी के दस्तखत हों वहीं जनप्रतिनिधियों में से किसी एक के हस्ताक्षर हों ताकि प्रोसीडिंग बदली जा सकें।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, एक सुझाव और है कि हर तीन महिने में जिले में एन0 आर0 इ0 पी0 की बैठकें जरूर होनी चाहिए ताकि उसका लेखा-जोखा आपके सामने आये और यदि ऐसा नहीं होता है तो जिम्मेदार अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही की जाये।

अन्त में मैं कटौती के प्रस्ताव की ताईद करते हुए आपको शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

*श्री किशन सिंह तड़ागी—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे आज के बजट के समर्थन में बोलने का सुअवसर दिया। हमारे प्रदेश के निवासी 80 प्रतिशत से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और उनका मुख्य व्यवसाय खेती करना है। जब से देश आजाद हुआ है हमारे ग्रामीण क्षेत्रों ने काफी तरक्की किया है। क्योंकि आने जाने की व्यवस्था हुई है। स्कूल, कालेज और अस्पताल खुले हैं, इसके कारण आज हमारे काश्तकार भी अपने बच्चों को अच्छे से अच्छे स्कूल में भेजता है और वह बच्छे से अच्छे कम्प्टीशन में उत्तीर्ण होकर देश की सेवा कर रहे हैं। जैसा कि हमारे मंत्री जी ने अपने बजट में सड़कों के इंतजाम के बारे में रखा। हमारे पर्वतीय क्षेत्र में सड़क की बहुत कमी है। इस विकास के युग में अभी हमें पैदल जाना पड़ता है, पग-डंडियों द्वारा जाना पड़ता है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए और महिलाओं को अपने घर में काम पर जाने के लिए पगडंडियों का सहारा लेना पड़ता है जिससे समय-समय पर दुर्घटनाएं हो जाती हैं और वे दो-दो हजार फिट गहरी खड्ड में गिर जाते हैं। वहां जानवरों के चलने के लिए भी रास्ता नहीं है। एक कसाई भैंस खरीद कर लिये जा रहा था किन्तु दुर्गम पगडंडियों पर वह भैंस चल नहीं पा रही थी। इससे एक जगह वह भैंस बैठ गई और अपनी जान दे दी। इसलिए आप सड़कों के मामले में पर्वतीय क्षेत्र की ओर अधिक ध्यान देने की कृपा करें। जो भी आप योजना बनाएं, पर्वतीय क्षेत्र की सुविधा को देखकर बनायें, क्योंकि वहां पर सामान लाने-ले जाने में बहुत कठिनाई पड़ती है।

मकान बनाने के लिये वहां पर जो पैसा दिया जाता है वह भी बहुत अपर्याप्त है वहां की विशेष परिस्थिति को देखते हुए। वहां पर पर्वत काटकर बनाया जाता है, इससे उन मकान में रिटेनिंग वाल और ग्राउन्ड वाल देनी पड़ती है। इस तरह से वहां पर अतिरिक्त दो बाल दी जाती है और उनका पैसा कटाई में और मैदान करने में ही लग जाता है। इसमें भी आप ध्यान दीजिए। जब आप अपनी योजनाएं बनाएं, तो पर्वतीय क्षेत्र का खास ख्याल रखें। जो सड़क यहां पर एक लाख में बनती है, वह वहां पर पर्वतीय क्षेत्र में 4 लाख में बनते हैं। तो आप अपने बजट में इस प्रकार 4 गुना धन की व्यवस्था करें। आपने हमारे ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के लिए जो धूम्र रहित चूल्हों का और गैस का प्रबन्ध किया है, यह सराहनीय बात है। इससे वनों की बहुमूल्य सम्पदा पेड़ भी नहीं कटेंगे और महिलाओं की आंखों में धुआं भी नहीं लगेगा और वह कमजोर नहीं होंगी। आपने जो धन बैंक से दिलाने की व्यवस्था की है, उसमें जो आप सब्सिडी के रूप में रुपया देते हैं, उसमें आप सब्सिडी के बजाए उन्हें ब्याजरहित रुपया दें। इससे उनको ज्यादा लाभ होगा और आपका रुपया भी नहीं मरेगा। वहां पर आपने

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

स्कूल के बच्चों के लिए 4-4 किलोमीट पर प्राइमरी स्कूल रखा है, वहां पर बच्चों को आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। इसलिए वहां पर 2 किलोमीटर पर एक प्राइमरी स्कूल रखने की कृपा करें। इसके साथ मैं बजट का समर्थन करता हूं और जो हमारे लायक बोस्त ने कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं।

श्री रिछपाल सिंह बंसल—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास जैसे महत्वपूर्ण बजट पर बोलने का अवसर दिया और मैं राम आसरे वर्मा द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। और मंत्री जी ने अपने भाषण में बड़े खूबशूरत तरीके से युवा कल्याण विभाग के अधिकारियों की और आर0 ई0 एस0 विभाग के अधिकारियों की तारीफ की है। किन्तु मैं मंत्री जी का ध्यान अपने चुनाव क्षेत्र खेकड़ा, जनपद मेरठ की ओर ले जाना चाहता हूं, युवा कल्याण अधिकारी, मेरठ द्वारा विकास खण्ड खेकड़े के लिए एक प्रोजेक्ट सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत तैयार किया गया था जो यमुना के किनारे ग्राम सौकरोच में है। बी0 ओ0 पी0 आर0 डी0 के माध्यम से फर्जी गड्ढे दिखाये गये, फर्जी खाइयां दिखाई गयीं। मान्यवर, मैंने जिलाधिकारी से शिकायत की उसका भी कुछ फल नहीं निकला। मंडलीय मीटिंग में श्री वीर बहादुर सिंह के सामने भी यह मसला रखा उन्होंने जिलाधिकारी मेरठ से इस मामले के बारे में कहा तो जिलाधिकारी ने बतलाया कि 67 हजार रुपये की रिकवरी के आदेश कर दिए गये हैं व श्री भोपाल सिंह को सस्पेंड कर दिया गया है।

मान्यवर, अगर युवा कल्याण अधिकारी ने साइट का निरीक्षण किया होता तो ऐसी स्थिति न आती, युवा कल्याण अधिकारी की लापरवाही से यह सब हुआ है उसके खिलाफ कुछ नहीं हुआ जबकि गबन साबित हो गया है और छोटे कर्मचारियों को सजा दी गई जिले में भ्रष्टाचारी अधिकारी बैठा हुआ है जिसके इशारे पर भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है और उसको सजा नहीं दी जा रही, मान्यवर, जो युवा कल्याण अधिकारी जिले का है मैं चाहूंगा कि उसके खिलाफ कार्यवाही की जाए। मान्यवर, दो जे0 ई0 ने इस प्रोजेक्ट एम0 बी0 की है इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई है। मान्यवर, इसी के साथ यह भी कहना चाहूंगा कि आर0 ई0 एस0 की तरफ से 1986 में अधिशासी अभियन्ता मेरठ श्री गुप्ता ने मेरठ में 1 लाख 80 हजार की टोकरियों और फावड़े खरीद है जिनकी बार-बार शिकायत की गयी, तो उस अभियन्ता ने जो 20 सूत्री कार्यक्रम की बैठक में जिसमें मंत्री जी भी थे, कहा कि टोकरियां नहीं खरीदी गई जबकि 1 लाख 80 हजार की टोकरियां खरीदी हैं इन पैसों के भुगतान के कागज भी मौजूद हैं। मंत्री जी इसमें जांच करा लें, टोकरियां खरीदी गई हैं। तीसरी बात मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि गांव का पैसा गांव में खर्च किया जाना चाहिए। आर0 ई0 एस0 के माध्यम से जो सड़कें बनायी जाती हैं उसमें काम्पैक्शन के लिए रोलर नहीं हैं न ही यह खरीद कर दिए जाते हैं, जब वर्षा होती है तो ईंट मिट्टी धंस जाते हैं अगर आपके विभाग में रोलर नहीं है तो किराए पर ले लिया करें। समय-समय पर इसको देखने की बहुत आवश्यकता है। मान्यवर, हमारे विकास खंड खेकड़ा में आर0 ई0 एस0 का कोई जे0 ई0 नहीं है तो मैं माननीय मंत्री जी के माध्यम से मांग करूंगा कि एक जे0ई0 और एक बी0 डी0 ओ0 की नियुक्ति वहां कर दें। मान्यवर लोनी विकास खंड जो राजधानी

से मिला है वहां 15 सौ की आबादी से ऊपर मांडला, राणप, गढ़ी कटैया, गढ़ी जस्सी, सद्लाबाद, इलायचीपुर खानपुर, बदरपुर, पचारा, नवादा, हिन्दू मीरपुर, सूंगरपुर नौरसपुर, अरमपुर आदि गांव जो हैं इनको सम्पर्क मार्गों से जोड़ा जाना चाहिए। अभी मंत्री जी यह कह गये थे कि सबको सम्पर्क मार्गों से जोड़ दिया उस हिसाब से तो यह पंजाब हरियाणा को भी जोड़ देंगे।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप विराजें, आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रिछपाल सिंह बंसल—

इन्हीं शब्दों के साथ जो माननीय वर्मा जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है उसका मैं समर्थन करता हूं और माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का मैं विरोध करता हूं।

डाक्टर रजनीकांत दत्त—

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, हां लांबी और पटल के बीच पानी पिलाने की जो व्यवस्था है वहां गिलासों को एन्टी-सेप्टिक लोशन से धोने की व्यवस्था नहीं है मान्यवर, आप तो बहुत बड़े ज्ञाता रहे हैं आप तो डाक्टर हैं तो आप मान्यवर, इस पर अपनी व्यवस्था दे दें ?

(व्यवधान)

कुमारी अलमेलु अम्माल—

आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं, तीन घंटे से बराबर खड़ी हो रही हूं।

श्री अधिष्ठाता—

आप विराजें, आपको भी मौका मिलेगा।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने के लिये अवसर दिया। मैं माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, मैंने बहुत ध्यान से वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव को सुना और माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट भाषण को भी बड़े ध्यान से सुना। जैसा कि मंत्री जी ने बताया पिछले वर्ष 1986-87 में इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत 24971 आवास हरिजनों के लिये बनाकर दिये गये। इसी तरह हरिजन बस्तियों में 29775 शौचालय भी बनाये गये।

मान्यवर, जहां तक पाठशाला भवनों का प्रश्न है 1581 भवनों को बनाया गया है। मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि वास्तव में ग्राम्य विकास योजनायें जो हमारे प्रदेश में चल रही हैं, मंत्री जी के नेतृत्व में हम उसमें आगे बढ़ रहे हैं। इसके लिये माननीय मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। लेकिन मैं यह भी बताना चाहता हूं कि यह बात भी सही है कि आज जितना रुपया शहरों की योजनाओं पर, नगर विकास पर खर्च किया जा रहा है उसका आधा रुपया भी ग्राम्य विकास पर नहीं खर्च किया जाता है। इस देश की 80 फीसदी जनता गांवों में निवास करती है। मान्यवर, हमारी सरकार ने सफल प्रयास किया है कि वे गांव जो 1500 या 1000 की आबादी

के हैं उनको सड़कों से जोड़ा जायगा । यह वास्तव में सराहनीय कदम है । जिस तरह से हमारी ग्राम्य विकास की योजनायें चल रही हैं जैसे गांव में नल लग रहे हैं फ्री बोरिंग की योजनायें चल रही हैं ।

मान्यवर, गांवों में अधिकारीगण जो नल लगवा रहे हैं उस नल को लगवाने का इस्टीमेट 10 हजार रु0 है । अगर किसी दूसरी एजेंसी को यह काम दे दिया जाय तो 2-3 हजार रुपये से ज्यादा नल की कीमत नहीं आनी चाहिये । इसका मतलब यह है के बीच में रुपया खाया जाता है । मैं समझता हूं कि इसको गंभीरता से देखना चाहिये कि बजट का यह रुपया कहां जाता है । 10 हजार रु0 में 4 नल लग सकते हैं ऐसी मेरी मान्यता है । इसी तरह से फ्री बोरिंग की बात है । अधिकारियों द्वारा फ्री बोरिंग में मोटर एजेंसियों से कमीशन लिया जाता है । बोरिंग तो फ्री हो जाती है लेकिन मोटर खरीदते समय किसानों को उसी मोटर एजेन्सी से मोटर खरीदने के लिए बाध्य किया जाता है । कृपया मंत्री जी इस मामले को भी आप दिखवायें । यह बात अपनी जगह पर सही है कि आज गांवों का विकास हो रहा है । पहले के गांवों से आज की तुलना की जाय तो दिखाई देता है कि गांव सड़कों से जोड़े जा रहे हैं, पेयजल व्यवस्था ठीक होती जा रही है, गांवों में बिजली पहुंचती जा रही है लेकिन इसके बावजूद भी मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं । जिस तरह से आज टाउन एरियाज को लिया जाता है और शहरों में नगर विकास के माध्यम से गली मोहल्लों में विकास किया जाता है उसी प्रकार से ग्राम विकास के अंतर्गत हमको यह सोचना पड़ेगा कि हर गांव का एक ग्राम पालिका के रूप में लिया जाय और कुछ अधिकारियों को ग्राम पालिका में रखा जाय तथा ग्राम प्रधान का उस पालिका पर नियंत्रण हो ताकि गांव की सफाई, रखरखाव आदि की वयवस्था ग्राम पालिका करे । आज गांवों में नालियां कच्ची हैं जिससे पानी की निकासी की व्यवस्था नहीं है । आज हमारी सरकार यदि गांव में सफाई, शिक्षा, बिजली, सड़कों आदि की व्यवस्था उपलब्ध करायें तो मेरा निश्चित मत है गांवों के लोग शहरों की तरफ नहीं भागेंगे और शहरों की आबादी पर अंकुश लग सकता है । मान्यवर, मंत्री जी ने विकास की काफी बातें कही हैं लेकिन कभी कभी खेद होता है जैसे वर्मा जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा तो उन्होंने सरकार की केवल आलोचना की है जो सरकार द्वारा गांवों की प्रगति हुई है उसके बारे में कुछ नहीं कहा है। मान्यवर, मैं एक मिसाल देना चाहता हूं वर्मा जी ने ठीक ऐसा ही किया है । मान्यवर, एक बार ऐसा हुआ कि एक गांव में एक कुम्हार व उसका लड़का किसी रिस्तेदारी में जा रहा था और कुम्हार का गधा साथ-साथ चल रहा था. . . .

(व्यवधान)

जरा सुन लें, मान्यवर। ऐसा हुआ कि लड़का एवं कुम्हार पैदल चलने लगे और गधा बराबर बराबर । तो रास्ते में पांडे जी मिल गये । पांडे जी ने कुम्हार से कहा यह क्या कर रहे हो भाई, गधा साथ में जा रहा है और तुम दोनों भी पैदल ही चल रहे हो । यह बात सुन कर कुम्हार गधे पर बैठ गया । जब वह दूसरे गांव पहुंचा तो फिर दूसरे पांडे जी मिल गये । फिर उन्होंने कहा कि तुम्हे शर्म नहीं आती कि लड़का पैदल चल रहा है और आप गधे पर बैठे हो । ता उसने लड़के को भी बैठा लिया ।

श्री अधिष्ठाता—

आप समाप्त करें ।

श्री कृष्ण कुमार शर्मा—

बस एक मिनट में समाप्त कर देता हूं ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता—

आप बैठिये ।

प्रधान प्रभुदयाल—

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मैं ज्यादा नहीं कहूंगा ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, इनको उपयुक्त स्थान बता दें जहां गधों वाली कहानी सुनायें ।

(व्यवधान)

प्रधान प्रभु दयाल—

मैं बजट के विरोध में बोल रहा हूं । किसी चीज के लिये उसकी बानगी हुआ करती है । . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, जब सदस्य भाषण कर रहे हों तो कृपया आपस में बात न करें ।

प्रधान प्रभू दयाल—

मान्यवर, यह साहित्य हमको दिया गया और इस साहित्य को रखने के लिए जो पैड दिया गया है। यह आज ही दिए गए और इनका चिपकना आज ही बन्द है। चार दिन हाथ में रह गया तो टूट फूट जायेगा। इसमें कितना कमीशन लिया गया, मंत्री जी जांच कर बता दें। यही हालत इनका बजट में कमीशन की है।

श्री अधिष्ठाता—

आधा समय आपका समाप्त हो गया।

प्रधान प्रभूदयाल—

प्रौढ़ शिक्षा है इसमें एक पैसे का भी काम नहीं हो रहा है। सब फर्जी है। बच्चों के भोजन का सब पैसा एस0 डी0 आई0 और अध्यापकों में बांट लिया जाता है। मेन प्वाइन्ट गांव के, विकास का, सड़क है। अगर आप वहां पर सड़क बना दें तो गांव अपने आप प्रगति करेगा। मैं कहना चाहूंगा कि लिंक रोड को अधिक चौड़ी न बनाकर केवल इतना चौड़ी बनायें कि दो गाड़ियां निकल सकें। जो रोड बनाई जाती है वह बेड कंकड़ से बनाई जा रही है। वह 6 महीने में ही उखड़ जाती है। जिनसे बैल बोगी व साइकिलों के टायर, ट्यूब खराब हो जाते हैं। इन्हें खड़ंजा ही बनवाया जाये। नहीं तो कच्ची छोड़ दीजिए, तो इन कच्ची सड़क को 3 कैटेगरी में बनाया जाय। एक साल मिट्टी छुड़वा दीजिए और एक बरसात बरस जाने दें ताकि मिट्टी अपनी जगह बैठ जाय। फिर खड़न्जा करें।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें ।

प्रधान प्रभूदयाल–

मान्यवर, खाद के लिए गड्ढे छोड़े गये थे अब कोई गांव पंचायत में गड्ढे नहीं रह गये हैं सब एलाटमेंट कर दिये गये हैं फर्जी तरीके से निर्माण योजना को लेकर। अगर गड्ढे नहीं होंगे तो खाद कूड़ा कहां पड़ेगी अगर वह गलियारों में पड़ेगी तो प्रदूषण ही फैलेंगे स्वास्थ्य खराब होगा। इसके साथ ही मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया मैं वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का बल देता हूं और माननीय मंत्री जी के बजट प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

श्री श्रीनाथ सिंह–

मान्यवर, मैं ग्राम्य विकास के बजट का समर्थन करते हुए केवल एक लाइन बोलना चाहता हूं कि प्रदेश के हित में सड़कों के निर्माण के लिए बहुत सी एजेंसियां लगी हुई हैं। मान्यवर, मैं आपके द्वारा माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि अगर आर0 ई0 एस0 को खत्म कर दें तो इससे जो करोड़ों रुपये बनेंगे और उसको अपने ग्रामीण विकास की बहबूदी में लगा दें। तो बड़ी कृपा होगी। दूसरा सुझाव है कि जिला परिषद् के चुनाव को जल्द से जल्द करा दें और बेसिक शिक्षा मिल जाय ताकि गांव में पढ़ाई लिखाई शुरू हो जाय। तीसरी बात कहूंगा जैसा जाहिदी साहब ने कहा कि हैण्ड पम्प काफी अच्छी योजना है लेकिन कुंवे ज्यादा से ज्यादा खुदवायें जायं ताकि कुछ दिन तक उससे पानी मिल सके, पम्प बहुत जल्दी खराब होते हैं। कुवों पर सरकार को ध्यान देना चाहिए इसकी खुदाई होनी चाहिए। इन शब्दों के साथ माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

श्री औसान सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं माननीय वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। श्रीमन्, आप देखें उत्तर प्रदेश की जनता 85 फीसदी गांवों में बसती है। उत्तर प्रदेश गांवों का प्रदेश है लेकिन इसमें भी कोई सन्देह नहीं है कि सरकार द्वारा करोड़ों रुपये एन0 आर0 ई0 पी0, और आर0 एल0 जी0 ई0 पी0 तथा आर0 ई0 एस0 द्वारा विकास के लिए खर्च किया जाता है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों, गलत नियोजन, गलत प्राथमिकताओं के कारण उस पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। काश यह सरकार उस दुरुपयोग को रोक सके तो गांव का विकास हो सकेगा लेकिन प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है कि सरकार उसको रोक पाने में क्या सफल होगी?

मान्यवर, मैं आपका ध्यान भूमि संरक्षण विभाग राम गंगा परियोजना की तरफ ले जाना चाहता हूं। श्रीमन्, इसमें कोई टेक्निकल हैण्ड नहीं है और उनको कोई तकनीकी जानकारी नहीं है। गांव में चकरोड बनाने के लिए उनको पैसा दिया जा रहा है, करोड़ों रुपया बहाया जा रहा है नालियां बनाने का काम दिया गया है। एक तरफ नाली बनायी जा रही है और दूसरी तरफ नालियां गिर रही हैं। 2 महीने, 3 महीने में ही नाली टूटने लगती है। उसके बाद अनुरक्षण के लिए भी व्यवस्था नहीं है इसी तरह से चकरोड भी कागज पर बनाये जा रहे हैं और कागज पर ही उनका

भुगतान हो रहा है। और वह पैसा गरीबों से वसूल होने जा रहा है। 50 फीसदी वसूली तहसीलों में उसकी आ गयी है। मैं कहना चाहता हूं कि जब सिंचाई विभाग किसानों से सिंचाई लेता है तो ऐसी दशा में या तो नहर विभाग को वहन करना चाहिए या शासन को वहन करना चाहिए किसान पर यह दोहरी वसूली नहीं होनी चाहिए और मेरा कहना माननीय मंत्री जी से है कि इस विभाग में जो भ्रष्टाचार व्याप्त है और जो विगत वर्षों में कार्य हुआ है । 85-86 और 86-87 में उनका भौतिक सत्यापन करवा लें और जब तक भौतिक सत्यापन न हो जाय इस वसूली को रोक दें। किसान को लाभ भी नहीं हो पा रहा है और पैसे की वसूली हो रही है । मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह प्रदेश में कुछ नहीं कर सके तो हमारे निर्वाचन क्षेत्र में मान्यवर, राम गंगा परियोजना के तहत हो रहे कार्यों को कम से कम मेरे सेत्र में तो बन्द करा दें, क्योंकि वहां पर जनता को इनके कार्यों की आवश्यकता नहीं है और अगर किसान को यह जानकारी होती कि 50 फीसदी पैसे की वसूली हमसे होगी तो कभी भी वह काम इनसे न कराता, मान्यवर, किसानों को अंधेरे में रखा गया, और इस बात की सूचना किसानों को पहले नहीं दी गयी। एक तरफ तो मान्यवर, वसूली हो रही है और दूसरी तरफ कार्य हुआ नहीं है। इसी प्रकार से आर0 ई0 एस0 में भी बहुत गड़बड़ियां हैं। एक ही सड़क को कई विभाग बना रहे हैं, पी0 डब्ल्यू0 डी0 भी बना रहा है। आर0 ई0 एस0 भी बना रहा है, यह दोहरी व्यवस्था कैसी है इसका नतीजा यह होता है कि कोई विभाग अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं होता है और जितना भी पैसा कम्पोनेन्ट प्लान के नाम से आता है, और इसका पैसा किसी दूसरी योजना में लगा दिया जाता है, इस प्रकार से 25 फीसदी पैसा इस योजना में खर्च हो पाता है। दूसरे मान्यवर, कम्पोनेन्ट प्लान में जो ऋण दिया जा रहा है, वह भी फर्जी दिया जा रहा है, न किसी के यहां गाय मिलेगी, न भैंस मिलेगी और न किसी के यहां साइकिल मिलेगी और न ही किसी के पास कोई दुकान है। लाभार्थी से यह कह दिया है कि तुम 700 रु0 ले लो और जाकर घर बैठ जाओ और जो छूट का रु0 होता है, उसी से वह रुपया एडजेस्ट हो जाता है। वर्ष 1985-86 में जनपद इटावा में तत्कालीन जिला अधिकारी, श्री शरद अस्थाना द्वारा इनके कार्यों का सत्यापन हुआ था। इस ओर मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बीस सूत्रीय कार्यक्रम की मीटिंग में तत्कालीन जिला अधिकारी, श्री शरद अस्थाना ने यह स्वीकार किया था कि अगर इस रिपोर्ट पर कार्यवाही कर दी जाए, तो मैं समझता हूं कि कोई भी अधिकारी जिले का बच न पावेगा।

इसलिए मान्यवर, मैं मांग करता हूं कि इस रिपोर्ट पर कार्यवाही की जाय ताकि इनके कार्यों में कुछ सुधार आ सके। अब मैं मान्यवर दो एक सुझाव देकर अपनी बात को खत्म करना चाहता हूं जो हैण्ड-पम्प लगाए जा रहे हैं इण्डिया मार्क–2 हमारा क्षेत्र जल-प्लावित क्षेत्र है, यहां पर दूषित पानी पिया जाता है, इसलिए स्थाई योजना के अन्तर्गत शामिल करके पूर्ण संतृप्त कराया जाय क्रमशः अहजइया, पुराहा, अरिन्द व पाण्डव आदि नदियों के किनारे का जो असिंचित क्षेत्र है उसको पूर्ण संतृप्त कराया जाय । दूसरे मान्यवर, आर0ई0एस0 के सभी कच्चे मार्गों को पक्का करा दिया जाए, अन्त में मैं फिर अपनी बात को दोहराते हुए यह कहना

चाहूंगा कि राम गंगा परियोजना के कार्यों को कम से कम हमारे क्षेत्र में बन्द कराया जाए और वर्ष 85-86 में 86-87 के इनके कार्यों का सत्यापन कराया जाय तथा वसूली रोक दी जाय। इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं।

श्रीमती पुष्पा सिंघल–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि एक महिला इतनी देर से बोलने के के लिए खड़ी हो रही हैं क्या उनको पुरुषों के मुकाबले में एक बार भी चांस नहीं दिया जा सकता है।

श्री अधिष्ठाता–

इस सदन में महिला और पुरुष के अधिकार बराबर हैं नं0 1 और नं0 2 यह कि मैंने पहले ही कहा था कि सभी को बोलने का अवसर दिया जायेगा।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

हमारा मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है कि जो माननीय सदस्य कटमोशन देते हैं जायें उनको बोलने का अवसर कम मिलता है। हमेशा परम्परा यह देखी जाती है कि इसमें जो नाम होते हैं, नहीं बुलाए जाते हैं, लेकिन लोग अलग अलग से बुलाये जाते हैं। इस परम्परा को पुनः चालू कीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

पाण्डे जी, आपको समय मिलेगा।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मान्यवर, जिस क्षेत्र से आप चुनकर आते हैं, आपको महिलाओं से तो प्रेम होना चाहिए।

श्री हरदेव–

इनके सर में फोड़ा हो गया है, दवा का इन्तजाम करवा दें।

श्री सुखपाल पाण्डे–

मैं लंगड़ा हूं, मुझे समय दे दीजिये।

श्री अधिष्ठाता–

इतने समय में कुछ मा0 सदस्य बोल लेते।

श्री बद्री सिंह–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभारी हूं कि आपने मुझे प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया। मैं मा0 मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं। जो आज बजट प्रस्तुत किया गया है, आंकड़े देखने से यह स्पष्ट होता है कि यह बजट कितना कल्याणकारी है। मान्यवर, इसमें एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित परिवारों के सम्बन्ध में 100·8 प्रतिशत, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम में 115·2 प्रतिशत, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम में 114·6 प्रतिशत, मानव दिवस रोजगार सृजन में 118·7 प्रतिशत, अनुसूचित जाति परिवारों की आर्थिक सहायता में 138 प्रतिशत, निर्बल वर्ग हेतु आवास निर्माण में 100 प्रतिशत उपलब्धि वार्षिक लक्ष्य के समक्ष हुई है। इससे यह स्पष्ट है कि यह बजट बड़ा ही कल्याणकारी है। इसके लिए

यह विभाग बधाई का पात्र है और मा0 मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मा0 मंत्री जी इस बात के लिए भी बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने बुन्देलखण्ड में सूखे की विभीषिका को देखते हुए उस पर नियंत्रण पाने के लिए जल भण्डारण की योजना बनाई है और भूमिगत जल भण्डारण के लिये परकोलेशन टैंक और अधोभौमिक बांध निर्मित करने की योजना बनाई है। इसके लिए मैं आभार प्रकट करता हूं।

मान्यवर, पेयजल के सम्बन्ध में मैं कहना चाहता हूं कि हैण्ड पम्प के सम्बन्ध में निवेदन है कि ये अक्सर खराब रहते हैं। बजट में प्राविधान किया गया है कि प्रधानों को अधिकार दिया गया है कि इसका रखरखाव करें और इसको ठीक करने के लिए मिस्त्री की भी व्यवस्था ब्लाक स्तर पर की गयी है। इसके बावजूद देखा जाता है कि हैण्ड पम्प बहुत खराब रहते हैं। मेरा निवेदन है कि इस ओर विशेष ध्यान दिया जाय। इसके साथ ही मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि इन हैण्ड पम्पों की जो लागत आती है, उस पर 17–18 हजार रुपये आती है, यह लागत ज्यादा है। इसमें 3–4 हैण्ड पम्प लग सकते हैं। प्राइवेट व्यक्ति हैण्ड पम्प लगवाता है, तो डेढ़ हजार रुपये से ज्यादा लागत नहीं आती है। मेरा सुझाव है कि इस सम्बन्ध में भी हमारे मा0 मंत्री जी विचार करें। मान्यवर, दूसरा निवेदन यह है कि अकसर यह देखा जाता है कि कई हमारे स्टेट ट्यूबवेल गांव की आबादी के नजदीक ही होते हैं। हमारे यहां इरौरा व परासन पांच-पांच हजार की आबादी के गांव हैं, वहां पर हैण्ड पम्प सफल नहीं है, क्योंकि 100 फीट से नीचे पानी है। मेरा अनुरोध है और मेरी मांग है कि इस गांव के लिए वहां जो स्टेट ट्यूबवेल लगा हुआ है, वहां से पाइप लाइन दे दी जाय तो उस गांव को ज्यादा फायदा होगा। इसी प्रकार और जहां भी स्टेट ट्यूबवेल लगे हैं, वहां उन गांवों में उसकी पानी की लाइन देने की योजना बनाई जायं तो ज्यादा लाभदायक विकास होगा। मान्यवर, गांवों के विकास के लिए सड़कों का होना आवश्यक है। मैं मा0 मंत्री जी से मांग करता हूं कि सैकड़ों गांव मेरे क्षेत्र के हैं, आर0 ई0 एस0 से लिंक रोड बनाने से रह गई हैं, उनको जोड़ा जाय। इसके साथ की मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री अवधेश प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे मा0 वर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया। मान्यवर, आज आजादी के 40 साल बाद, जब इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्य, चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, ग्राम्य विकास के बजट पर बोल रहे हैं। आज आजादी के 40 साल बाद गांवों की यह हालत है कि तमाम ऐसे गांव हैं जहां पानी की अव्यवस्था है और लोग एक-एक बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि विभाग के जो मंत्री हैं, उनकी गलत नीतियां, सरकार की गलत नीतियां, इसलिए गांव का जो विकास होना चाहिए, नहीं हो रहा है, बल्कि सरकार फिजूलखर्ची पर पैसा खर्च कर रही है। मान्यवर, मैं सुझाव के तौर पर माननीय मंत्री जी को कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मैं समझता हूं कि वह सुझाव प्रदेश की जनता के लिये, गांव के विकास के लिए, हितकारी होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, निःशुल्क बोरिंग की चर्चा की गयी, हमने उसकी बाबत लिटरेचर में भी देखा, लेकिन मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि अगर कोई काश्तकार, फ्री बोरिंग में जिसका नाम है, मोटर खरीदने के लिए स्वयं दुकान पर जाता है और दुकानदार को बताता है कि उसे मोटर खरीदनी है, तो वह मोटर उसको पांच हजार रु0 में मिलेगी, अगर वह काश्तकार दुकानदार को यह बताता है कि उसे फ्री बोरिंग स्कीम में मोटर खरीदनी है, तो वह उसे 6200 रु0 में मिलेगी, इस तरह से साफ-साफ 1200 रुपया कहां जाता है? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि वह जब जवाब दें, तो इस बिन्दु पर भी स्थिति से अवगत करायें।

मान्यवर, हैण्ड पम्प की बात कही गयी, इण्डिया मार्क–2 के पम्प हैं, बहुत जगह पम्प बेकार पड़े हैं, अधिकारियों से जब इस सम्बन्ध में बात की जाती है, तो वह कहते हैं कि इसके रख-रखाव का उनके पास कोई पैसा नहीं है। मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि इण्डिया मार्क–2 के हैण्ड पम्प के रख-रखाव के लिए धनराशि की व्यवस्था की जानी चाहिए। दूसरी तरफ गांव में ऐसे तमाम कुंए हैं, जो टूटे फूटे पड़े हैं, जिनमें जगत नहीं है, बरसात में कीचड़ हो जाया करता है, उनमें जानवर गिरते हैं, लड़के गिरते हैं, जैसे इण्डिया मार्क–2 के लिए पैसा दिया जा रहा है, कुओं के निर्माण के लिए पैसा दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता–

माननीय सदस्य शान्ति बनाये रखें।

श्री अवधेश प्रसाद–

कूप निर्माण के लिए भी पैसा एलाट किया जाय तथा उसके रख-रखाव के लिए भी धनराशि का प्राविधान हो।

मान्यवर, ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की तरफ से प्राइमरी पाठशाला का नक्शा दिया गया है, वह ऐसा नक्शा है, जिसमें भवन इतना कमजोर है, मिट्टी के गाढ़े की चुनाई होती है, कभी भी वहां खतरा हो सकता है। नक्शा डिफेक्टिव है। मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग के अन्तर्गत कार्यरत इंजीनियर, अधिकारी लाखों-लाखों रु0 का घोटाला करते हैं। जब इस सम्बन्ध में कोई शिकायत कही जाती है, तो बात कह दी जाती है कि मामला न्यायालय में है। माननीय मंत्री जी भी न्यायालय का बहाना ले लेते हैं। श्रीमन्, हमारे जनपद में आर0 ई0 एस0 के एक अधिशासी अभियन्ता हैं, उन्होंने बस्ती जिले में 32 लाख रु0 के पाईप खरीदारी में घपला किया, तमाम शिकायतों के बावजूद उनके खिलाफ अभी तक कार्यवाही नहीं हुई। गांव में जो शौचालय व्यवस्था के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है, वह फिजूलखर्ची है। क्योंकि शौचालय के रख-रखाव के लिए, सफाई के लिये इन्तजाम नहीं है। मेरा यह कहना है कि उस मद का पैसे को, गांव में जो कुंए हैं, उन पर खर्च कर दिया जाय। ताकि इस मद के पैसे को फिजूलखर्ची से बचाया जा सके।

श्री अधिष्ठाता–

अब आप समाप्त करें। आपका समय समाप्त हुआ।

श्री अवधेश प्रसाद–

इसी के साथ मैं माननीय राम आसरे वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत बजट पर रखे गये कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए, प्रस्तुत बजट का विरोध करता हूं।

कुमारी अलमेलु अम्माल–

माननीय अधिष्ठाता जी, बहुत देर के बाद आपने मुझे ग्राम्य विकास विभाग के प्रस्तुत बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मैं इस बजट का समर्थन कर रही हूं। बजट का समर्थन करने के साथ-साथ मैं कुछ बातें कहना चाहती हूं। माननीय मंत्री जी कृपया ध्यान देने का कष्ट करें। मान्यवर, सड़क पुलिया, नाले बनाने के लिए, एम0 एल0 ए0 लोगों से, वहां के कलेक्टर या अधिकारी पर्ची मांग रहे हैं। हम लोग लिखकर दे देते हैं कि कहां कहां सड़क की बहुत आवश्यकता है। मान्यवर, उसके बाद उस सड़क को स्वीकृत कराने के लिए हम लोगों को बहुत परेशानी होती है। उनसे जब कहा जाता है कि इसे जल्दी कराइये, तो कभी कहेंगे कि अभी बारिश का मौसम है या कहेंगे कि त्योहार चल रहा है मजदूर नहीं मिलेंगे। जब उनके मन में आयेगा, तब स्वीकृति आ जायेगी। हम लोगों के कहने से अधिकारी वह काम नहीं करते हैं। इसके अलावा मैं कहना चाहती हूं कि सड़कों के निर्माण की बात आती है कि किस आरगनाईजेशन से बनवायी जाय? अगर कोई एम0 एल0 ए0 कह दें कि उस आर्गनाइजेशन से न करायें फलां आरगनाइजेशन से कराइये, तो वह सुनेंगे नहीं। इतना कहने के बावजूद वह लोग अपने मन से आरगनाइजेशन तय करके काम चलाते हैं। अगर कहा जाय जिला परिषद् के माध्यम से बनवायें, तो आर0 ई0 एस0 से बनवायेंगे। अगर कहा जायेगा कि आर0 ई0 एस0 से बनवायें, तो किसी अन्य आर्गनाइजेशन से बनायेंगे। कहने का मतलब यह है कि जिला प्रशासन इन सब चीजों पर अधिकार अपने कब्जे में रखना चाहता है। मैंने इस बात को माननीय मंत्री जी को लिखित रूप में भी दिया है लेकिन आज तक उसका कोई जवाब मेरे पास नहीं आया है, इसलिए मैं इस बात को आज माननीय सदन में कह रही हूं।

दूसरा जो हरिजन आवास बन रहे हैं, उसमें इतनी कम जगह है कि एक परिवार उसमें नहीं रह सकता है। उसके परिवार में उसकी पत्नी, दो बच्चे व बुजुर्ग मां-बाप तो होते ही हैं, लेकिन इतने लोगों के लिए रहने की उसमें जगह नहीं है, जब हम उनके लिए आवास बना ही रहे हैं, तो इतनी जगह तो उसमें दें ताकि एक परिवार उसमें रह सके। माननीय मंत्री जी को अपने क्षेत्र के बुधवल की तरफ ध्यान दिलाना चाहती हूं वहां हरिजन आवास पर जो छतें बनी हैं, वे टिन शेड की न होकर मोटे कागज की बनाई गई हैं। मैं मंत्री जी से मांग करती हूं कि आप उसकी जांच करवा लें या फिर आप मेरे साथ स्वयं आकर उनकी जांच कर सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगी। उन गरीबों के प्रति अन्याय हो रहा है, इसलिए इस पर एक्शन लिया जाना चाहिए।

ग्रामीण रोजगार योजना के बारे में मैं कुछ कहना चाहती हूं। काम के बदले जो अनाज दिया जाता है, वह भी उन्हें कायदे से नहीं मिलता है और वह अनाज भी बाजार में चला जाता है। हमें यह भी देखना चाहिए कि जो मास्टर रोल भरा गया है, वह सही है कि नहीं, इसलिए इस पर सरकार को विचार करना होगा।

वाल्यन्टरी जैसे ग्रामीण मजदूर कांग्रेस आरगनाईजेशन के बारे में आपसे कहना चाहती हूं कि आप उनसे काम करवायें, उनसे मजदूर मांगें। कलेक्टर के माध्यम से काम करवाने में उनके प्रति अन्याय होगा। ट्राईसम की जो आपकी योजना है, इसमें आपने महिलाओं को भी रखा है, उन लोगों को आप प्रशिक्षण देते हैं। आप उनको कच्चा माल दीजिए, मशीन दीजिये और जो वह प्रोड्यूस करते हैं, उसके मार्केटिंग की समुचित व्यवस्था कीजिए, तभी महिलाएं इस क्षेत्र में आगे बढ़ पायेंगी। इन्हीं शब्दों के साथ में प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं तथा कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं।

श्री लक्ष्मी नारायण–

मान्यवर, कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। सर्वप्रथम मेरा यह सुझाव है कि इन्दिरा आवास योजना का नाम बदलकर, भगवान करे कोई दुर्घटना न हो, वीर बहादुर योजना कर दिया जाय। दूसरा, मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि रामगंगा कमाण्ड योजना के तहत जो नालियों के निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया गया है, मेरा दावा है कि प्रदेश का 98 परसेन्ट किसान इस परियोजना के खिलाफ है, इसलिए मेरा सुझाव है कि इस योजना के तहत बन रहे नालियों के कार्य को बन्द कर दिया जाय। जो धन आप जिलों को आवंटित करते हैं, तो मान्यवर, बहुत से क्षेत्र ऐसे हैं, जिनकी मात्र एक न्याय पंचायत, चुनाव में देहात में आती हो। उन शहरी क्षेत्रों को भी बराबर पैसा दिया जाता है। यहां आपसे निवेदन है कि वह ग्रामीण बजट नहीं हुआ, शहरी बजट हो गया। आपसे निवेदन है कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो पैसा दिया जाय, उसका बंटवारा न्याय पंचायत के हिसाब से किया जाना चाहिए।

एक सुझाव और देना चाहता हूं कि हैण्डपम्प की रिपेयरिंग के लिए मिस्त्री का होना परम आवश्यक है। ताज्जुब की बात है कि मंत्री जी ने शौचालय बनाने के लिये मिस्त्रियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की है। अगर विदेश का कोई आदमी ताजमहल पर चला जाय तो कहेगा कि क्या कला है, कैसे मिस्त्री होते हैं, जिन्होंने इसको बनाया है। आज शौचालय बनाने के लिए मिस्त्रियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। आपके नेता देश को 21वीं सदी में ले जाने की बात कर रहे हैं, इन फर्जी आंकड़ों के आधार पर आप यह समझें कि देश 22वीं सदी में पहुंच गया।

आपके जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर या ए0 डी0 एम0 (पी) हैं, उनका नाम बदलकर कलेक्शन डायरेक्टर रख दिया जाय तो अच्छा है। मेरा सुझाव है कि जिस विभाग के द्वारा काम कराना हो उसको डायरेक्ट पैसा दीजिये। इसके निरीक्षण के लिये विभाग के अधिकारियों को हिदायत दें कि जिस क्षेत्र में भी विभाग कोई काम करे एक महीने में कम से कम एक दिन क्षेत्रीय विधायक से निरीक्षण करायें। आर0 ई0 एस0

की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। अभी कल हरिजन समाज कल्याण मंत्री जी को एक स्कूल का उद्घाटन करना था, अखबार में फ्रंट पेज पर छपा था, उद्घाटन इसलिए नहीं हो सका क्योंकि स्कूल की छत गिर गयी थी। आपने कहा कि अवर अभियन्ताओं को दण्ड दिया है, तो उनके ऊपर जो मुख्य अभियन्ता बैठे हैं, वे 10-10 हजार रु0 लेकर उन्हें बहाल कर देते हैं।

आर0 ई0 एस0 के जो चीफ इन्जीनियर हैं उत्तर प्रदेश के उनका एरेण्ट डिपार्टमेण्ट है सिंचाई विभाग। उनकी योग्यता के आज जो उनके साथी हैं, वे सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ता के पद तक भी नहीं पहुंच पाये हैं। ऐसी कम योग्यता वाले व्यक्ति को आपने चीफ इन्जीनियर बना रखा है। इसी के साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

*श्री सुरेश चन्द्र—

आपके समक्ष कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक गांव से दूसरे गांव में जो रोड्स पर्वतीय क्षेत्र में बनती हैं पक्की होनी चाहिए, ईंट की सड़कें होनी चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र में जो काम चल रहा है, वह ठेकेदारी के बजाय कांट्रेक्ट बेसिस पर चलना चाहिए। आज इनके मस्टर रोल में तमाम अनियमिततायें पायी गयी हैं। मेरा मंत्री जी से अनुरोध है कि यह कांट्रेक्ट बेसिस पर हो। खड़न्जा और ईंट पक्की होनी चाहिए और पानी जो ब्लाक लेविल पर है उस पर ब्लाक का अपना होल्ड होना चाहिए उसकी देखरेख होनी चाहिए ब्लाक स्तर पर और इसके लिए एक कर्मचारी की नियुक्ति होनी चाहिए।

दूसरी बात यह है कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति, निर्बल वर्ग के लिए जो आवास हैं इसमें जो धनराशि शासन से दी गयी है, उसको और बढ़ाया जाना चाहिए।

एक सुझाव है कि जो डी0 आर0 डी0 ए0 की मीटिंग में जो चेयरमैन जिलाधिकारी होता है, उसमें जन प्रतिनिधि को होना चाहिए ताकि वह अपने क्षेत्र की समस्या को पूरी तरह से प्राथमिकता दे सके। इस सम्बन्ध में उ0 प्र0 सरकार द्वारा भारत सरकार से आग्रह करें।

पंचायतें हमारे यहां बहुत पहले से बनी हुई हैं, आज उनकी दशा सुधारने की बहुत जरूरत है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि पंचायत भवनों को सुधारा जाय। जहां ग्राम सभायें बड़ी हो गयी हैं, लोग भी बढ़ गये हैं। एक ग्रामसभा अलग बनाने की जरूरत है। मेरा आपसे अनुरोध है कि जहां पर जनसंख्या बढ़ गयी है वहां एक अलग से ग्राम सभा बनायी जानी चाहिए।

मेरे चुनाव के क्षेत्र आखलकांडा में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है इस लिए मैं मांग करता हूं और आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भौगोलिक दृष्टि से आखलकांडा ब्लाक के दो ब्लाक कर दिये जायं। मैं ज्यादा कुछ और न कह कर मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट का समर्थन करता हूं और मा0 वर्मा जी द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव की निन्दा करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सूर्य प्रताप शाही–

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसका मैं आभारी हूं। यह ग्राम्य विकास कार्यक्रम जो है यह गांव के विकास के नाम पर भ्रष्टाचार के विकास का काम पूरे उत्तर प्रदेश में कर रहा है। जहां भी इसकी परियोजनायें हैं, उनकी आधारशिला भ्रष्टाचार पर रखी गई है। चाहे पम्पिंग सेट हों, चाहे सिलाई की मशीन हों, आई0 आर0 डी0 पी0 योजना के अन्तर्गत सबसीडी बढ़ाने की बात है। जहां भी देखिये कमीशन ही कमीशन है बल्कि यह कहा जाय कि यह कमीशन मंत्रालय बन गया है।

चाहे जो योजना हो, चाहे एन0 आर0 ई0 पी0, आर0 एल0 जी0 पी0, आई0 आर0 डी0 पी0, डी0 ए0 डी0 पी0, हम लोगों ने देवरिया जिले में इस बात की कोशिश की कि बाजार भाव पर पम्पिंग सेट खरीद कर उस गांव में फाइनेन्स किया जाय। पम्पिंग सेट की खरीद की बात को लेकर ये लोग हाईकोर्ट तक गये। हाईकोर्ट ने उनके रिट को खारिज कर दिया किन्तु आपके मंत्रालय के एक संयुक्त सचिव ने नाजायज लाभ प्राप्त कर यहां से फरमान जारी किया कि जो सेट एप्रूव किया गया है उसी रेट पर दिया जायेगा। जो पम्पिंग सेट बाजार में 6 हजार रु0 का मिलता है, वह इस मंत्रालय से 7,800 में दिलवाया जा रहा है। इस तरह आपके कुर्सी के नीचे ही भ्रष्टाचारी हैं।

इसी तरीके से विकास योजनाओं के बारे में कहना चाहता हूं कि विकास योजनायें हस्ताक्षरित तो यहां से हो रही हैं और यहां से निर्देश जारी करके डी0 आर0 डी0 ए0 को 20 प्रतिशत सामाजिक वानकी पर खर्च किया जायेगा। इसी कारण यह यह कार्यक्रम सफल नहीं हो रहा है। जमीन नहीं है, बंजर भूमि नहीं है, इसके कारण धन का आवंटन बेकार हो जाता है। सामुदायिक विकास केन्द्र आप बनवा रहे हैं, आपने तय कर दिया कि तीन एकड़ जमीन होगी, लेकिन जब गांव में सारे पट्टे हो गये, जमीन कहीं बची नहीं है तो सामुदायिक विकास कार्य के लिए जमीन का भी आवंटन होगा। आप सामुदायिक विकास केन्द्र को समाप्त करिए। एन0 आर0 ई0 पी0, आर0 एल0 जी0 पी0 में भ्रष्टाचार के द्वारा गेहूं ब्लाक में, जनपद में नहीं पहुंचता है। पथरदेवा ब्लाक से तीन ट्रक गेहूं बिहार चला गया। पता नहीं आज तक उन मजदूरों का और जिन ठेकेदारों ने काम कराया है, उनका पेमेन्ट नहीं हुआ और बिहार में वह चला गया है। मान्यवर, इस सम्बन्ध में मैंने लिखित कम्प्लेंट की है, लेकिन कुछ हुआ नहीं। मान्यवर, 3 लाख रुपया पेयजल की व्यवस्था के लिए ब्लाकों को दिया गया था और इस रुपये में और भी काम होने थे, लेकिन बी0 डी0 ओ0 ने बिना टेन्डर के ही उसको बांट दिया, वह हैण्ड पम्प लगाये नहीं गये और चोर बाजारी में बिक गये और इसकी जांच आज तक नहीं हुई है। मान्यवर, हमारे यहां पर एक सड़क रामपुर महुवारी में डी0 आर0 डी0 ए0 में ली गयी थी। खराब ईंट लगायी गयी, शिकायत की गयी, लेकिन आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी और डेढ़ लाख रुपये के सोलिंग के काम का पेमेन्ट हो गया, तीसरे नम्बर की ईंट लगायी गयी।

मान्यवर, प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या गांवों में रहती है, भारत गांवों का देश है, यदि गांवों का विकास नहीं हुआ तो देश का विकास नहीं हो सकता है, तो

गांवों पर आधारित जो कार्यक्रम हैं उन पर बजट का 50 प्रतिशत खर्च होना चाहिए। इस तरह की व्यवस्था न होने से मैं बजट का विरोध करता हूं और माननीय वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, क्या आप कमला सहानी जी को समय नहीं देंगे, राम शरण जी नहीं हैं।

श्री अरविन्द तिवारी–

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ग्राम्य विकास बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय वर्मा जी ने जो कटौती का प्रस्ताव रखा है, उसका विरोध करता हूं। श्रीमन्, हमारे लिए गौरव की बात है कि उत्तर प्रदेश 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत इस देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मान्यवर, फक्र है कि उत्तर प्रदेश को यह गौरव दिलाने में सबसे ज्यादा भूमिका रही है तो वह ग्राम्य विकास की रही है और उसके लिए माननीय मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं।

मान्यवर, दो बातों का जिक्र करना चाहता हूं। बुन्देलखण्ड, जिस इलाके से मान्यवर, मैं आता हूं उसका सिंचाई का प्रतिशत 22 है और मान्यवर, डी0 पी0 ए0 पी0 के अन्तर्गत जो ब्लाक शामिल किये जाते हैं, वह ऐसे ब्लाक होते हैं जिनमें सिंचाई का प्रतिशत 40 से कम न हो। मान्यवर, बुन्देलखण्ड का कोई भी ब्लाक ऐसा नहीं है जिसका सिंचाई का प्रतिशत अधिक हो, लिहाजा मेरी इस लोकप्रिय सरकार से गुजारिश है कि वह बुन्देलखण्ड के सभी ब्लाकों को इस योजना में शामिल कराने का प्रयास करें, जिससे वहां की जनता सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। जिस प्रकार से इलाहाबाद जिले में फिशरीज को नजर में रखा गया है, जानवरों के पीने के पानी को नजरंदाज कर दिया गया है और 100 तालाबों की योजना सांसद महोदय ने और माननीय मंत्री जी ने बनायी है, जिससे उसका लाभ लोगों को मिले। मान्यवर, इस योजना के अन्तर्गत जालौन में 100 तालाब 96 लाख की लागत से बनने को हैं।

श्री अधिष्ठाता–

आपका समय समाप्त हो गया है। समय का ध्यान रखें।

श्री अरविन्द तिवारी–

मान्यवर, बहुत ही जल्दी समाप्त करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि कमी जब तक नहीं होगी, तब तक विकास कैसे होगा, तो कमी स्वाभाविक है। जो प्रयास चल रहा है, जो आंकड़े फर्जी साबित करने का प्रयास किया गया है मैं निहायत जिम्मेदारी से कुछ आंकड़े देना चाहता हूं। 1 अप्रैल, 1977 से 31 मार्च, 1978 तक तथाकथित जनता सरकार के केन्द्रीय मंत्रियों ने 18,91,618 रुपया अपने बंगलों के रखरखाव पर खर्च किये थे। उन्हें चिन्ता नहीं थी कि हमारे ग्रामों की पिछड़ी हालत को वे देखते। इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और माननीय वर्मा जी के कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

*श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, आपने मुझे इतनी देर में बोलने का समय दिया। मेरी अब शक्ति क्षीण हो गई है और माननीय संसदीय कार्य मंत्री भी ऊब गये हैं। उनका भी धैर्य टूट गया है। मान्यवर, मैं थोड़ी सी बातें अपने क्षेत्र के बारे में कहकर कुछ सुझाव देना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी, जो सड़कें आपके द्वारा एन0 आर0 ई0 पी0 की धनराशि से बनती हैं तो जब इनकी रिपेयरिंग का प्रश्न आता तो होता यह है कि सड़कें तो बन गईं लेकिन फिर उनकी रिपेयरिंग का इस्टीमेट बनता है। मेरे क्षेत्र में एक सड़क 35 हजार की थी और जब उसका इस्टीमेट बना तो वह 68 हजार रुपये का बना। इस सम्बन्ध में मेरा सुझाव है कि आप प्रत्येक विकास खण्ड में अस्थाई तौर पर बेलदारों को रख दें। जैसा कि पी0 डब्लू0 डी0 में होता है। एक आदमी को मेट बना दिया जाता है और वह 25 आदमियों का गैंग बना देता है और निरन्तर उसी गैंग से काम कराते रहते हैं। यदि आप भी इस विभाग में ऐसा कर दें तो वह ज्यादा सुविधाजनक होगा। कहीं सड़क 5 मीटर, कहीं 10 मीटर और कहीं 3 फिट कट जाती है तो उन्हीं से आप यह काम करायें। इस तरह से निरन्तर उसी से रिपेयरिंग होता रहेगा। इस्टीमेट नहीं बनाना पड़ेगा।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो आप कर्ज दे रहे हैं। मैं आपको धन्यवाद दूंगा और अपने प्रोजेक्ट अफसर को भी धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने मुझे एक लिस्ट दे दी थी। जब मैं गांवों में जाता हूं तो मैंने देखा कि सारा कर्जा गरीबों के नाम पर बड़े लोग लिये हुए हैं। मान्यवर, कहीं ऐसा न हो कि माननीय मंत्री जी गंगवार साहब पर चढ़ बैठें। बड़े लोग गरीबों के नाम पर कर्जा लिये हुये हैं और गरीब आदमियों को तब पता चलता है जब उसकी उनसे वसूली होती है।

श्री खान गुफरान जाहिदी–

श्रीमन्, माननीय सदस्य ने जो एक जुमला 'चढ़ बैठे' मंत्री जी के लिए बोल दिया है, क्या यह संसदीय है?

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

इसकी मैं शुद्ध हिन्दी बता दूं। (व्यवधान) मान्यवर, यह विधान सभा है, यहां पर हमें शब्दों का निर्माण करना चाहिए जिससे गांव वालों को भी मालूम हो जाय।

(व्यवधान)

श्री शारदा प्रताप–

मान्यवर,, माता प्रसाद जी ने गंगवार साहब के लिए जो 'चढ़ बैठे' शब्दों का प्रयोग किया है, क्या वह संसदीय है?

श्री अधिष्ठाता–

मैं आपकी ही राय जानना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मैंने किसी का अपमान करने की नीयत से नहीं कहा। मेरा कहना यह है कि हमारे क्षेत्र में या कहीं भी गरीब आदमियों को जब कर्जा दिया जाय तो वह बी0 डी0 ओ0 के सामने दिया जाय। यदि किसी आदमी को मशीन या कोई सामान देना है तो उससे दस्तखत कराकर बॉंड पेपर पर बी0 डी0 ओ0 या खण्ड विकास अधिकारी के सामने दिया जाय। गरीब आदमी यह भी नहीं जानता है कि 5 हजार मिला है या 10 हजार मिला है। तो इस तरह से आप व्यवस्था करा दें कि भुगतान के समय बी0 डी0 ओ0 या खण्ड विकास अधिकारी और कृषक के सामने डीलर को भुगतान किया जाय। चौथी बात यह है कि आपने जो मंडलीय विकास निगम बनाये हैं वे आपको नफा दे सकते हैं। इनका निर्माण आगे इसीलिए नहीं हुआ कि आपकी पूंजी को भी ये खा जायं। इसीलिए कहा गया था कि आप इस प्रदेश के वित्तीय संसाधनों को बढ़ायें जिससे हमारे प्रदेश के विकास कार्यों में वृद्धि होगी। इनमें करोड़ों रुपये की पूंजी लगी हुई है और संसाधनों के अभाव में ये बैठ गये हैं।

मान्यवर, मेरे क्षेत्र में रमवापुर खाण्डसारी यूनिट तथा इटवा राइस मिल दोनों नहीं चलीं। 60 लाख रुपये की पूंजी खाये हुए हैं और काम नहीं हो रहा है। या तो आप इनको अनुदानित करिये अथवा खुले मारकेट में नीलाम करके दोनों में से एक को चलाइये बजाय इसके कि इसको विकास मण्डल निगम चलाये, इसको वहां से निकाल दीजिये। रमवापुर मिल पर 3 लाख रुपये किसानों का बकाया पड़ा है और वह मिल बन्द हो गयी है तो उनका पैसा दिला दीजिये।

चौथी बात मेरे जिले में एक कोई सी0 डी0 ओ0 साहब हैं। मैं किसी पर आक्षेप नहीं करना चाहता हूं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि यहां से जो पैसा जाता है उसमें कमीशनखोरी लम्बी होती है। जितने विधायक यहां पर बैठे हैं वह जानते हैं कि 25 से 30 परसेंट के बीच में कमीशन लिया जाता है। सौ रुपये में 25 रु0 कमीशन के और 25 रु0 ठेकेदार ले जाता है। मैं कहना चाहता हूं कि आप जो वहां पर नौजवान लड़के हैं, उनका मस्टर रोल क्यों नहीं बना देते हैं और उस मस्टर रोल को जो विधायक देखना चाहे देख सकता है। वह ब्लाक में या जे0 इ0 के पास रखा रहे। यह ठेकेदारी प्रथा को खत्म कराइये। तो जो सी0 डी0 ओ0 साहब हैं, उनकी जांच करा लीजिये।

अपने क्षेत्र के कामों के बारे में मैंने माननीय मंत्री जी से कहा कि उन कामों की टी0ए0सी0 से जांच कराई जाय उनसे कहते कहते मैं थक गया जब भी मैं मंत्री जी से कहता हूं तो उनके यहां कोई अफसर वर्मा जी हैं जो वहीं बैठे रहते हैं उनसे मंत्री जी कहते हैं नोट कर लीजिये लेकिन उसका नतीजा यह हुआ कि वहां का पैसा सरेंडर कर दिया गया। एन0आर0इ0पी0 में जो आर0ई0एस0 से काम हुये थे उनकी जांच नहीं हुई और जो काम होना था वह काम भी नहीं हुआ। अगर जांच नहीं कराने की बात हो तो मंत्री जी मुझे डांट दीजिये, मैं चुप हो जाऊंगा। मेरा कहना है कि अगर काम होना है तो उसमें गुणवत्ता होनी चाहिये, क्यों खराब काम करवाते हैं।

तीसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि एक एन0 के0 सिंह हैं जूनियर इन्जीनियर, वह बिना काम किये ही पेमेंट कर देते हैं । इस बात की जब शिकायत हुई तो उसकी जांच कराई गयी और उनको दोषी पाया गया । हरिजनों के घर बनने थे जो उन्होंने नहीं बनाये और पेमेन्ट कर दिया तो उनके खिलाफ कार्यवाही हुई जब मंत्री जी से पूछा गया कि उनके खिलाफ क्या कार्यवाही हुई तो कहते हैं वसूली की जायेगी । जब एन0 के0 सिंह भ्रष्टाचार के दोषी हैं तो फिर खाली वसूली क्यों हो रही है और कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी ? मैं आग्रह करूंगा कि ऐसे इन्जीनियरों के खिलाफ 408, 409 और 467 की धारा लगाकर जेल भेजिये जब तक ऐसा नहीं करेंगे तब तक आपके विभाग में सुधार नहीं आयेगा । इन शब्दों के साथ मैं आपको धन्यवाद देता हूं और मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि बी0डी0ओ0 मनवापुर भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़ा गया है वह आपके यहां चक्कर लगा रहा है ।

श्री अम्मार रिजवी–

माननीय पाण्डेय जी ने 408 और 409 धारा की बात कही लेकिन 400 के आगे जो इनकी दफा है उसको नहीं बताये ।

*श्रीमती कमला साहनी–

मान्यवर, मैं आपकी आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज के बजट पर बोलने का अवसर दिया मैं बजट का समर्थन करती हूं । मान्यवर, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कहा था भारत की आत्मा गांवों में बसती है और जब तक गांवों का विकास नहीं होगा, देश का विकास नहीं हो सकता है। इस बात को साकार बनाने के लिये हमारी सरकार और हमारे स्व0 नेता पं0 जवाहर लाल नेहरू ने विकास खण्डों की स्थापना की। गांवों में गरीबी की रेखा से नीचे बसने वाले लोगों को अनाज देने के लिये, उनके हाथों में काम देने के लिए, उनके बच्चों का सिर ढकने के लिए छत बनाने के लिए, उनके बच्चों को रोजगार देने के लिये हमारी सरकार सतत प्रयत्नशील है । गांवों का विकास करने के लिये एकीकृत ग्राम विकास योजना, ट्राइसम आदि तमाम योजनायें चलाई जा रही हैं जिससे दस्तकार लोग रोजगार पा रहे हैं । इन लोगों को काम करने के लिये एक जमाना था साहूकारों से कर्ज लेना पड़ता था और वह उस कर्ज के ब्याज में ही मजदूरी करते करते मर जाते थे, लेकिन आज हमारी सरकार ने न सिर्फ उनको कर्जा दिया है बल्कि उस कर्ज में माफी भी दी है ताकि वह अपना विकास कर सकें । मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याओं की ओर माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं ।

मान्यवर, इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत हमारे क्षेत्र, विकास खण्ड जोगिया, ग्राम सन्तोरा में इन्दिरा आवास बनाने की योजना बनी बी0डी0ओ0, काशी राम, 36 हजार रुपये इस योजना का लेकर चला गया जिसके सम्बन्ध में जिला योजना की बैठकों में और जिलाधिकारी, बस्ती से शिकायत की तो डी0 एम0 ने कहा कि व्यवस्था हो रही है लेकिन इन्दिरा आवास बनकर तैयार नहीं हुये और न बी0डी0ओ0 के खिलाफ कोई कार्यवाही ही की गयी । मंत्री जी इस पर ध्यान दें ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

मान्यवर, पेयजल योजना के अन्तर्गत नलकूल लग रहे हैं । हमारे यहां प्रधानों के दरवाजे पर नल लगाये जा रहे हैं जिससे गरीबों को कोई लाभ नहीं मिल रहा है, इस ओर मंत्री जी ध्यान दें और जो ऐसा कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्यवाही की जाये ।

मान्यवर, आर0एल0इ0जी0पी0 योजना, के तहत जो धन मिलता है जिससे विभिन्न विभागों द्वारा कार्य कराया जाता है, की ओर मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं कि हमारे यहां बांध का काम स्वीकृत है लेकिन कहने के बावजूद विकास अधिकारी ने धन आज तक रिलीज नहीं किया है और इसलिये काम नहीं कराया जा सका है ।

मान्यवर, आर0इ0एस0 के संबंध में बताना चाहती हूं कि 1984-85 में हमारे क्षेत्र में 9 लाख रुपये का काम कराया गया लेकिन उसमें एक लाख रुपये का भी काम नहीं हुआ है केवल कागज पर काम हुआ है, इस संबंध में लिखकर भी मंत्री जी को दिया कि टी0 ए0 सी0 से जांच करवाई जाय लेकिन पता नहीं लखनऊ में बैठकर जांच किया या बस्ती के डाक बंगले में बैठकर जांच किया, मैं नहीं जानती लेकिन इतना मैं जानती हूं कि गबन करने वालों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है । इसलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ जो गरीबों के पेट को काटकर पैसा गबन करते हैं, पेयजल में नल अपने घरों में लगवाते हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए । इन शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करती हूं ।

*श्री सुखपाल पाण्डे–

अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मैं श्री वर्मा जी द्वारा बजट पर रखे कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं । मुझे बड़ी निराशा हुई कि मंत्रि-मण्डल में माननीय मंत्री जी की बड़ी उपेक्षा हो रही है, उनको लोग सहयोग नहीं दे रहे हैं । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी ने जो ग्रामीण क्षेत्रों के लिये जो यह बजट प्रस्तुत किया है यह बजट कम है, इसलिये इसको बढ़ाकर दुगुना करना चाहिए था जो नहीं किया गया इसलिये कटौती का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ताकि इनकी कमियों पर चर्चा की जा सके ।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान बस्ती जिला परिषद् की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जब अन्तरिम जिला परिषद् के रूप में था तो अध्यापकों के प्रावीडेन्ट फण्ड और बकाये के बारे में जांच हुई थी, रेकार्ड सील हुये तो सील नहीं खोली गई है । उन अध्यापकों का जो बकाया है, जो गड़बड़ियां आपके अधिकारियों और कर्मचारियों ने किया है उसके संबंध में निवेदन है कि आपके विभाग में कृषि विभाग के कुछ सहायक विकास अधिकारी जो 20-20 सालों से कार्यरत हैं जिनको बी0डी0ओ0 के पदों पर पदोन्नति नहीं की गयी है । ऐसा इसलिये है चूंकि आपके विभाग में कोई नियमावली नहीं है । अभियन्ताओं का नियमितिकरण किया है लेकिन स्थायी नहीं किया है, इसलिये आपके विभाग में भ्रष्टाचार फैला है जिसको आप रोकने में असमर्थ हैं । जिला परिषद् और आर0इ0एस0 में भ्रष्टाचार के जो कारण हैं, उनकी तह में आप जाने का प्रयास करें लेकिन आप दूसरों का अंकुश हैं इसलिए नहीं जायेंगे ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, आपको मालूम है कि जिला परिषद् के इंजीनियर जिसने गबन किया है वह आपको मालूम है कि एक ही प्रकार की पुलिया 20 हजार रुपये में बनती है और उसी प्रकार की पुलिया 10 हजार रुपए में बनाई है और जानने के बावजूद आप उसमें कुछ नहीं कर सके । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आप कुछ कदम उठाएं जिससे लोगों को कुछ राहत मिले । सन् 77 में जो सड़कें बनी हैं उनकी मिट्टी बह गई है और आज जो सड़कें बनी हैं, उनकी मिट्टी ढह रही है । आप उनको पक्का करने के लिए कुछ कार्य करें, जिससे प्रदेश में पक्की सड़कों का निर्माण हो सके ।

खाद्यान्न योजना में जो आप खाद्यान्न भेजते हैं, उसका कोई हिसाब नहीं रहता है। जिलाधिकारी के माध्यम से वह पैसे का दुरुपयोग करते हैं और कोई सही सूचना नहीं देते हैं । आपने आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को मुख्य विकास अधिकारी के रूप में नियुक्त किया है, वह क्या कार्य कर रहे हैं ? हमारे जिले में खुली लूट हो रही है, जिसको आप रोकने में असमर्थ हैं । अल्प सिंचाई में जिलाधिकारी ने 5 लाख रुपया गलत ढंग से खर्च किया है । उसकी आपको जांच करानी चाहिए । वह उसका दोषारोपण एक्जीक्यूटिव इंजीनियर पर करना चाहता है ।

श्री अधिष्ठाता–

अब आपका समय हो गया है ।

श्री सुखपाल पाण्डे–

आपके विभाग में जो इस प्रकार की अनियमितताएं फैली हुई हैं और हो रही हैं, उसको रोकने के लिए आप उपाय करें । मैं आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं, आपकी सरकार की नीति है कि पुराने लोगों की सेवा न बढ़ायें, लेकिन आप बढ़ाते जा रहे हैं । मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि आपने पदोन्नति में भी जो आरक्षण किया है, वह सही चीज नहीं है । इससे दूसरे अधिकारियों-कर्मचारियों का मनोबल गिरता है । उसको आपको खत्म करना चाहिए । इसके साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

(श्री राम आसरे वर्मा का नाम पुकारे जाने पर सर्वश्री हरदेव, फजलुलबारी और मूलचन्द्र के खड़े होकर बोलने पर)

श्री अधिष्ठाता–

(श्री हरदेव से) आप तो रोज बोलते हैं ।

श्री हरदेव–

नहीं नहीं, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । हमसे कहा गया कि आपका नाम आ रहा है और आप बोलेंगे और आप हमें मौका नहीं देते हैं ।

(व्यवधान)

[x x x]

श्री अधिष्ठाता–

जो मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं, वह लिखा नहीं जाएगा ।

नोट:–[xxx] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

श्री हरदेव–

मेरा आएगा तो आप कहेंगे कि आप रोज बोलते हैं। यह तरीका आपका ठीक नहीं है।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से रिजवी साहब से कहना चाहता हूं कि वह मुझको तो समझा देते हैं, लेकिन अपने सदस्य को क्यों नहीं समझाते हैं।

श्री रघुवर दयाल वर्मा–

मान्यवर, आप व्यवस्था दें इस पर कि क्या उनका इस तरह का आचरण उचित है ?

श्री अम्मार रिजवी–

मुझे अत्यन्त खेद है कि एक हमारे सम्मानित सदस्य ने कुछ बातें कहीं, आपको यह पूरा अधिकार है कि नियमावली के हिसाब से या जिस पर आपकी नजर पड़े और जिसको आप इजाजत दें वह सम्मानित सदस्य बोले। नामों की लिस्ट किसी पार्टी की तरफ से जाती है तो वह सुविधा के लिए जाती है वह किसी प्रतिबन्ध के लिए नहीं होती है तो मान्यवर, यह आपको पूरा अधिकार है और किसी भी माननीय सदस्य को कोई आपत्ति करने का अधिकार नहीं है। मुझे अत्यन्त खेद है कि हमारे एक मा0 सदस्य ने क्रोध में कुछ बातें कहीं, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उन्हें क्षमा कर दें।

श्री दिवाकर विक्रम सिंह–

मान्यवर, कुछ वर्षों से लिस्ट भेजने की एक परम्परा सी बन गई है, इससे पहले लिस्ट भेजने की कोई परम्परा नहीं थी सभी सम्मानित सदस्य जिनको बोलना होता था वह बोलने के लिए खड़े होते थे और जिसको पीठ के तरफ से इजाजत मिलती थी वह माननीय सदस्य बोलते थे, लेकिन जब से लिस्ट जाने लगी है तब से लोग इस पर कुछ ज्यादा तव्ज्जा देने लगे हैं तो मान्यवर, मैं चाहूंगा संसदीय कार्यमंत्री से भी मेरा अनुरोध है कि लिस्ट वाली परम्परा समाप्त कर दी जाए जैसा पहले होता रहा है वैसे ही हो, जिसको पीठ चाहे उस माननीय सदस्य को बुलवायें।

श्री अम्मार रिजवी–

मान्यवर, जो दिवाकर विक्रम जी ने सुझाव दिया है, यह बहुत अच्छा है अब कल से और आगे से कोई भी पीठासीन अधिकारी के सामने लिस्ट न भेजे ताकि जो आपके अधिकार हैं उनका आप प्रयोग आजादी के साथ कर सकें।

श्री अधिष्ठाता–

हमारा प्रयास रहा है कि जिन माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर नहीं मिलता है उनको मौका दिया जाए और ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया जाए। कुछ माननीय सदस्य हर चर्चा में हर मौके पर हिस्सा लें यह संभव नहीं है, यह हमारे पुराने सदस्य हैं, वैसे माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के कथन के बाद ज्यादा टिप्पणी करना मैं सही नहीं समझता हूं।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें ।

(व्यवधान)

श्री मूलचन्द–

मान्यवर, जब सबको व्यवस्था आप देते हैं तो आप हमको भी व्यवस्था दीजिए ।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता–

आप बैठें, मैंने बारी साहब को बुला लिया है । बारी जी आप दो मिनट में अपनी बात कहें ।

*श्री फजलुल बारी–

मान्यवर, दो मिनट में बजट पर तो बात हो नहीं सकती । मान्यवर, जो माननीय राम आसरे वर्मा जी ने कटौती का प्रस्ताव रखा है कि इसकी धनराशि एक रुपया कर दी जाए तो मैं कहूंगा कि यह बहुत गलत कह दिया है । कम से कम बीस आना तो रखना ही चाहिए थे दक्षिणा भर के, यह तो पंडित जी हैं । हां तो मान्यवर, बात यों है कि हमेशा कहा जाता रहा है कि भारत गांव में रहता है, तो मान्यवर, भारत शहर से लखनऊ में आया, अब दिल्ली में भारत है । मान्यवर, पहले खलील खां फाख्ता उड़ाते थे अब जेट उड़ा रहे हैं । मान्यवर गांव के विकास के नाम पर जितनी स्कीमें यह लाए उससे गांव में भ्रष्टाचार और बढ़ गया । इन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के नाम पर आर0 ई0 एस0 विभाग को खत्म होना चाहिए ऐसा कहा गया, तो अगर कहीं भ्रष्टाचार हो और उसे खत्म कर देना ही इनकी नियति है तो यह सरकार तो सबसे बड़ी भ्रष्टाचारी है तो इस सरकार को खत्म कर देना चाहिए । इस सरकार पर रोज भ्रष्टाचार के आरोप लगते हैं तो इस सरकार को तो खत्म कर देना चाहिए । यों कहें तो ऐसी कोई बात नहीं है लेकिन आर0ई0एस0 डिपार्टमेन्ट से किसी को कोई खास जिद हो तो मैं नहीं जानता । हम तो देख रहे हैं कि जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनकी बुनियाद सिर्फ भ्रष्टाचार पर खड़ी हुई है। एक दिन मैं अपने क्षेत्र में था तो बी0डी0ओ0 आए और कहने लगे साहब कल हमारे यहां कुछ आई0आर0डी0 के अंतर्गत सामान बांटा जायगा आप आ जायें । मैं गया मैंने देखा कि सामान बंट रहा है, कपड़े बंट रहे हैं, साइकिल बंट रही है, रिक्शा बंट रहा है। मैंने कहा ठीक है, अच्छा काम हो रहा है । एक सरदार जी सामान लेकर आये थे । मैं उनको बुलवाया और पूछा कि मामला क्या है । वे बोले मैं ही सामान लाता हूं, कल यह सामान फिर आ जायगा । चूंकि आप देखने आ रहे थे इसलिये बांटना जरूरी था । जब यह सामान वापस आ जायगा तो 15 परसेंट हमको मिल जायगा और बाकी दूसरे लोगों को मिल जायगा । तो इस तरह से किसानों को, गरीबों को मिलने वाली चीजें उनको नहीं मिलती हैं, केवल उनका नाम लिखा जाता है और ले जाते हैं बड़े आदमी ।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अधिष्ठाता–

बारी जी, आप समाप्त करें ।

श्री फजलुल बारी–

अभी पाण्डेय जी ने एक सुझाव दिया था कि मस्टर रोल के ऊपर काम कराया जाय और पढ़े लिखे लोगों का एक गैंग बनाया जाय । मैं कहना चाहूंगा कि मस्टर रोल पर काम करने वाले जो लोग हैं उनको यह सरकार न्यूनतम मजदूरी जो देनी चाहिये वह नहीं दे रही है । उनको 11.50 रुपये इस वक्त दिये जा रहे हैं जबकि 1985 में यही मजदूरी थी । अब सी0पी0आई0 के एतबार से हर 6 महीने बढ़ाना चाहिये था लेकिन वह मजीद घटा दी गयी है । मान्यवर, मुझे खतरा मालूम हो रहा है । मंत्री जी शरीफ आदमी हैं, कहीं किसी ने उन पर मुकदमा चला दिया तो इनको मुकदमेबाजी में सजा भी हो जायगी । इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि मजदूरी की जो दर है उसको बढ़ाकर 18.80 रुपए से ऊपर करें और जो सुझाव पाण्डेय जी ने दिए हैं, उन पर अमल करें इन पर अमल करें इन अल्फाजों के साथ मैं राम आसरे वर्मा जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मेरे कटौती के प्रस्ताव पर जिन माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं । सत्तापक्ष के विधायकों के प्रति विशेष आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुंह से तो बजट का समर्थन किया लेकिन जो तथ्य उन्होंने यहां पर रखे, उन तथ्यों का संबंध मेरे प्रस्ताव से था । मैं समझता हूं कि उनका दिल मेरे प्रस्ताव का समर्थन करता था लेकिन उन्होंने मजबूरी में मेरे कटौती के प्रस्ताव का विरोध किया । सभी लोगों ने इस बात पर बल दिया कि गांव की जिंदगी जिस तरह से दूभर हो गई है, उससे उबारने के काम में ग्राम्य विकास विभाग और पंचायत राज विभाग असफल रहा है। गांवों में न सार्वजनिक मार्गों की व्यवस्था है, न कूड़ा करकट फेंकने की व्यवस्था है और न पानी के निकास की व्यवस्था है। गांवों के विकास का सम्बन्ध ब्लाक से रहता है । यह बात मैंने पहले भी उठायी थी कि खंड विकास अधिकारी को यह काम देखने पड़ते हैं, लेकिन 25 वर्षों से वह तदर्थ नियुक्ति पर काम कर रहे हैं, असमंजस की स्थिति में कितना उत्साह उनमें होगा यह मंत्री जी स्वयं समझ सकते हैं। जब भी शिकायत के आधार पर कार्यवाही की बात आती है तो तलवार लटकती है खण्ड विकास अधिकारी पर । जिले के स्तर पर प्रशासन देखने वाले किसी अधिकारी पर कोई तलवार नहीं लटकती । अभी जानकारी में आया है कि देवरिया के 17 बी0 डी0 ओ0 निलंबित कर दिये गये । किसी ने शिकायत की होगी कि काम ठीक नहीं कर रहे हैं। लेकिन जिले के स्तर पर भी तो अधिकारी जिम्मेदार थे, उनके खिलाफ भी कार्यवाही की जानी चाहिये थी लेकिन नहीं की गयी। मान्यवर, प्रसार प्रशिक्षण केन्द्रों की बात माननीय मंत्री जी ने कही । कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने के लिए प्रदेश में 22 प्रसार प्रशिक्षण केन्द्र चलाये जा रहे हैं। इन सारे केन्द्रों में आज तक बहुत से पद खाली पड़े हैं । तकनीकी शिक्षा के लिये शिक्षकों की वहां पर अभाव है । जिन भवनों में यह चलाये जा रहे हैं उन भवनों की जीर्ण अवस्था के बारे में नहीं कहा जा सकता निर्बल वर्ग आवास, इंदिरा आवास योजना इन सब के बारे में जिक्र हुआ। इसके बारे

में एक सुझाव मैं देना चाहता हूं ग्रामीण आवास परिषद् जो आपके पास बिल्कुल निष्क्रिय पड़ा हुआ है उसको सक्रिय बनायें और जो आवास निर्माण की योजना है उसके सुपुर्द करें ताकि उपयोगी आवास बनाये जा सकें । जितनी आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को देखते हुए आवास बनाने का दायित्व यह परिषद् सम्भाले।

मान्यवर, कई अन्य योजनाओं का जिक्र किया गया। माननीय वर्मा जी ने विशेष जोर देकर कहा महिला पोषण कार्यक्रम समाप्त कर देना चाहिए । यह हकीकत है कि पूरे प्रदेश में कोई भी ब्लाक कोई भी गांव इस तरह का नहीं मिलेगा जिस गांव की महिला या बच्चे इनकी योजना से लाभान्वित हो पा रहे हों । जिससे कोई लाभान्वित नहीं हो पाये उस योजना के ऊपर लाखों रुपये खर्च करने से क्या फायदा।

जो कार्यक्रम ग्राम्य विकास द्वारा चलाते जाते हैं उन कार्यक्रमों के प्रचार-प्रसार और अनुश्रवण की आवश्यकता होती है । माननीय मंत्री जी ने एक निदेशालय यहां पर स्थापित कर दिया है। मैं अपेक्षा करूंगा कि प्रचार प्रसार और यह सारे कार्य उस निदेशालय को सौंप दिये जाय । इसके साथ ही साथ जो कार्यक्रमों की समीक्षा है उसके लिए एक समीक्षा और अनुश्रवण आयोग गठित कर दें उससे प्रदेश के स्तर पर जब कार्यक्रमों की समीक्षा और अनुश्रवण का कार्य शुरू होगा तो मैं समझता हूं कि इन कार्यक्रमों को बल अवश्य मिलेगा । लघु सिंचाई में माननीय मंत्री जी ने बताया कि 5 हार्स पावर के इंजन की व्यवस्था की गयी है, मैं दावे के साथ कहता हूं कि 5 हार्स पावर का इंजन 4×4 इंच पानी भी नहीं खींच पायेगा । किसानों को इसके साथ-साथ और भी काम करने पड़ते हैं, थ्रेशर वगैरह लगाते हैं । उसके लिए भी हार्स पावर का इंजन बेकार रहेगा। जो योजना पहले थी कि 10 हार्स पावर के इंजन तक के लिए सब्सिडी देते थे, आई0 आर0 डी0 स्कीम में अब भी 10 हार्स पावर का प्राविधान किया गया है। इसलिए यह उचित होगा कि इस पर जरूर माननीय मंत्री जी विचार करें। 5 हार्स पावर इंजन के बारे में जो भी आदेश जारी किए गए हैं, उनको वापस लें और जो पूर्व व्यवस्था थी 10 हार्स पावर इंजन की वही व्यवस्था फिर लागू करें । मान्यवर, लघु सिंचाई के मजदूरों के मजदूरी के बारे में माननीय मंत्री जी ने स्वयं कहा था इसमें मैं नहीं जाना चाहता । फ्री बोरिंग में अनुदान 33-1/3 प्रतिशत तथा 50 प्रतिशत की व्यवस्था की गयी लेकिन यह अनुदान . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी, आप 5 मिनट में समाप्त करें क्योंकि इसके बाद वक्तव्य भी आना है।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, मैं जल्द ही समाप्त कर रहा हूं । मान्यवर, जो यह अनुदान का प्राविधान किया गया है इस अनुदान का लाभ लघु सीमान्त कृषकों को बिल्कुल नहीं मिल पाता है । इसमें जो कमीशन बाजी चल रही है, उसकी वजह से सरकारी योजना है वह लघु सीमान्त कृषकों को सुविधा नहीं पहुंचा रही है । अगर माननीय मंत्री जी चाहें तो शाहजहांपुर और हरदोई केवल 2 जिलों में इसकी जांच करवा लें, उससे पूरे प्रदेश की तस्वीर साफ हो जायेगी । फ्री बोरिंग स्कीम में प्रान्तीय स्तर पर यह सामान खरीदते हैं और उसकी आपूर्ति करते हैं, कुछ विशेष फर्मों से। जिनसे सामान खरीदते हैं वह फर्में कभी-कभी बिना आदेश आपूर्ति कर देती हैं । बरेली जिले में एक ही तरह का

पाइप बिना आदेश के फर्म द्वारा आपूर्ति किया गया। उस पर जब अधिशासी अभियंता ने पैसा भुगतान नहीं किया बहुत दिनों तक, वह खटाई में पड़ा रहा किन्तु उसका भुगतान बाद में हो गया है। तो इस तरह की भी व्यवस्था समाप्त होनी चाहिये। एक ही आधार, एक ही नार्मस के मुताबिक आदेश दिये जायें और उनकी आपूर्ति कराई जाय ।

मान्यवर, लघु सिंचाई में बड़े घपले चल रहे हैं। जाली बोरिंग पहले की जा रही थी । जाली की मुख्य अभियन्ता, सिंचाई द्वारा दर बढ़ायी गयी । 70 रुपये पहले प्रति तीन मीटर थी । 133 रुपये प्रति तीन मीटर कर दिया गया । करोड़ों रुपये का चूना लगा। कम से कम मंत्री जी को जानकारी करके कार्यवाही करनी चाहिये थी। अब काटने की मशीनें जाली होल के स्थान पर स्लाद काटने की व्यवस्था की गयी। स्लाद के कारखाने हर जनपद में नहीं हैं। एक नई तरकीब निकाल ली गयी ठेकेदारों के माध्यम से धन कमाने की । पंचायती राज वित्त निगम है मान्यवर, इसको समाप्त करना चाहिए । जिला परिषदों में कर्मचारियों का वेतन निकलना मुश्किल है । पिछले वेतन आयोग ने संस्तुति की थी कि जिला परिषदों के अतिरिक्त मुख्य अधिकारियों का पद समाप्त कर देना चाहिए । शासन ने इसे स्वीकार भी कर लिया था । आज तक इस पद को बरकरार रखा गया है । सारे प्रदेश में अतिरिक्त मुख्य अधिकारी कार्य कर रहे हैं । लखनऊ में ही एक ए0 एम0 ए0 जिला परिषद् लखनऊ में है । इन्होंने अपने घर पर आफिस का फोन एक्सटेन्शन करके लगवा लिया है । इन्दिरानगर में कोठी बनवा ली है । डी0 एम0 के बंगले पर टेनिस-लान बनवाया गया, 22 हजार रुपया खर्च हुआ उसमें । जब इन्जीनियर ने भुगतान नहीं किया तो उसे बाराबंकी भिजवा दिया गया । जूनियर इंजीनियर से भुगतान करा दिया गया । मान्यवर, भट्ठे का लाइसेंस देने में पैसे की मांग की जाती है । लखनऊ में 150 भट्ठे चल रहे हैं । इस अधिकारी का सचिव ने ट्रांसफर किया । पिछले साल ट्रान्सफर हुआ । इस साल फिर ट्रान्सफर हुआ । मा0 मंत्री जी ने ऐसे अधिकारी को रोकने के लिए आदेश कर दिया व्यक्तिगत परिस्थितियों पर । मंत्री जी को भ्रष्टाचार से चिढ़ है । ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के फाइल पर आंखें बन्द करके व्यक्तिगत जानकारी के आधार पर आदेश करने का काम कैसे हो गया । मान्यवर, पर्वतीय क्षेत्र में. . .

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें वर्मा जी।

श्री राम आसरे वर्मा—

दो मिनट, मान्यवर। नैनीताल क्षेत्र में ब्लाक का गठन कर दिया गया। लेकिन वहां न ब्लाक की बिल्डिंग है और न ही कर्मचारियों की कोई व्यवस्था । 100 कि0 मी0 लम्बे 40 कि0 मी0 चौड़े क्षेत्र में एक ब्लाक का गठन कर दिया गया। सन 80 से ब्लाकों के पुनर्गठन पर रोक लगा दी । इतने विस्तृत क्षेत्र में कोई अधिकारी, कर्मचारी कैसे काम करेगा। अभी मान्यवर, एक ब्लाक खोला उसकी यह हालत है। तीन ब्लाक बनाने की मांग सत्ता पक्ष से की गयी। यह भी जानकारी में आया कि 100 ग्राम विकास अधिकारी इलाहाबाद के हैं जिनमें कुछ तो मा0 मंत्री जी के संबंधी बताये जाते हैं।

श्री राम आसरे वर्मा–

वह एक ही प्लाट में नियुक्त कर दिया गया है और जब कोई इस बात को उठाता है तो कहते हैं, कुछ न कहो, यह मंत्री जी के नजदीकी हैं, ऐसी चीजें मान्यवर, यहां पर हो रही हैं।

श्री अधिष्ठाता—

अब आप समाप्त करें, काफी समय हो गया है, अब मैं माननीय मंत्री जी को बुलवा रहा हूं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मैं मान्यवर, अपनी बातों के साथ एक बात और कहना चाहूंगा कि पूरे सदन की जो भावनाएं मा0 सदस्यों द्वारा व्यक्त हुयी हैं वह हमारे कटौती के प्रस्ताव के अनुकूल हुयी हैं बल्कि उनसे सम्बद्ध भी किया है, ऐसी स्थिति में मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों के प्रति चाहे सत्ता पक्ष के हों या विपक्ष के जो ग्राम्य विकास विभाग की चर्चा में भाग लिये हैं, उन सब के प्रति अभार प्रकट करता हूं और कटौती का प्रस्ताव जब माननीय वर्मा जी पेश कर रहे थे तो मैं सोच रहा था कि इतना महत्वपूर्ण ग्राम्य विकास विभाग जो ग्रामीण अंचलों में विकास कार्य कर रहा है, गरीबी को दूर करने का संघर्ष कर रहा है, उस पर यह कुछ अमूल्य सुझाव देंगे, लेकिन सभी माननीय सदस्य इनके बारे में जानते हैं और इनकी यह पुरानी आदत है कि जिन अधिकारियों से यह खुश हैं, उनके लिए पूरी वकालत करते हैं जिससे कि उनको कुछ लाभ हो जाए, कुछ की पदोन्नति हो जाए इत्यादि और जिन अधिकारियों से यह नाराज होते हैं, उनके बारे में यह अनर्गल बातें करते हैं और उनकी आलोचनाएं आदि करते हैं, पूरे कटौती के प्रस्ताव में इन्होंने इन्हीं बातों प्रकाश डाला है और इन्होंने अपने भाषण के दौरान न्याय पंचायतों का भी जिक्र किया और गाव सभाओं का भी कि चुनाव नहीं हो रहे हैं हालांकि गांव सभाओं के चुनाव तो हो चुके हैं और क्षेत्र समितियों के चुनाव भी आज से चार साल पहले हुए थे, इनका अभी एक साल कार्य काल बाकी भी है, जिला परिषदों के चुनाव के बारे में जैसा कि पहले भी कह चुका हूं कि इनके चुनाव हम शीघ्र ही कराने जा रहे हैं और जहां तक न्याय पंचायतों के चुनाव का सवाल है, इस चुनाव को कराने में हमें कोई हिचक नहीं है, लेकिन इनके संबंध में ला-कमीशन से एक रिपोर्ट प्राप्त हुयी थी जो न्याय पंचायतों के स्वरूप के बारे में परिवर्तन करने के बारे में थी, इस रिपोर्ट का हम परीक्षण करा रहे हैं और जैसे ही इस परीक्षण में सारी बातें हमारे सामने आ जायेंगी ताकि न्याय पंचायतें हमारी ज्यादा लाभप्रद बन सकें, हम इसका भी चुनाव गठित कराने की सिफारिश शासन से करने के प्रयास करेंगे। मान्यवर, बी0 डी0 ओज0 के बारे में भी इन्होंने कहा कि इनको दो तनख्वाहें कैसे मिलती हैं, इस संबंध में भी इनको बहुत पीड़ा है। हमारे प्रदेश में क्या भारत सरकार में भी बहुत सी ऐसी सेवाएं हैं कि एक ही संवर्ग में एक से अधिक वेतन होते हैं। इसी प्रकार से बी0 डी0 ओज0 संवर्ग में भी दो वेतन-मान हैं, सामान्य और विशेष वेतन। विशेष वेतन खण्ड विकास अधिकारियों की सीनि-आरिटी को देखते हुए लिए जाते हैं, इससे इनकी शासकीय जिम्मेदारी वही रहती है

ऐसा इसलिए किया जाता है कि विभिन्न संवर्गों में पदोन्नति के अवसर उपलब्ध हों और एक से अधिक वेतनमान की व्यवस्था सिर्फ यहीं पर नहीं जैसा कि मैंने पहले कहा और न ही कोल विकास खण्ड अधिकारियों के लिए यह सुविधा है, बल्कि यह सुविधा भारत सरकार में कई संवर्गों में विद्यमान है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले, जैसा कि वर्मा जी ने अपने भाषण में कहा था, पहले 3500 इसकी सीमा थी, 3500 रुपये सालाना जिसकी आमदनी होगी वह गरीबी की रेखा के नीचे माना जायगा। इस सम्बन्ध में भारत सरकार ने पुनः परीक्षण किया और भारत सरकार ने निर्देश दिया कि 6400 रुपये तक अगर किसी परिवार की सालाना आमदनी है, तो वह परिवार गरीबी की रेखा के नीचे है। मैं इस सम्बन्ध में बताना चाहता हूं कि वर्मा जी चाहते हैं कि 10 हजार रुपये के नीचे वाले लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे माना जाय आप किसके हिमायती हैं, गरीबों के हिमायती हैं या बड़ों के। आज भी बहुत से परिवार उत्तर प्रदेश में ऐसे हैं, जिनकी 3500 रुपये से अधिक आमदनी नहीं है और हमारे देश के प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी के स्पष्ट निर्देश हैं कि आई0 आर0 डी0 प्रोग्राम के अन्दर जब किसी लाभार्थी का चयन करें तो समाज के पूअरेस्ट आफ दि पूअर व्यक्ति का चयन करें, 6400 रुपये सालाना जरूर हो गया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि जिनकी 3500 या 4 हजार आमदनी है, उसको चयनित न करके 6300 या 6200 या 6 हजार आमदनी वाले का चयन कर लें । इस सम्बन्ध में हमने निर्देशित किया है कि गांव सभा की खुली बैठक में लाभार्थियों का चयन होगा और पूअरेस्ट आफ दि पूअर का चयन करेंगे, तो 6400 कर देने से जो हमारी मूलभूत नीति है कि गरीबी की रेखा के नीचे जो गुजर बसर कर रहे हैं, उनको लाभ पहुंचे, उस पर कोई आघात नहीं है इसी के साथ साथ 6400 की सीमा जरूर है, लेकिन एक स्लैब और है, 3500 से 4800 के बीच की जिसकी आमदनी होगी उसी परिवार के व्यक्ति को चयनित किया जायगा। अभी 4800 से ऊपर का चयन करने का आदेश नहीं है। लेकिन सिद्धांत के रूप में यह तय किया गया है कि 6400 से नीचे वालों को गरीबी की रेखा के नीचे माना जायगा। इसी के साथ-साथ मान्यवर, वर्माजी ने हैण्ड पम्पों की मरम्मत की बात कही कि पंचायत विभाग के लोग टूल किट पर खर्च कर रहे हैं, मिस्त्री की व्यवस्था और स्थापना पर ज्यादा व्यय कर रहे हैं।

मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि पिछले वर्ष निर्णय लिया गया था कि ग्रामीण अंचलों में जो हैण्ड पम्प लगाए गये हैं, उनकी मरम्मत ग्राम पंचायतों के माध्यम से कराई जाय, लेकिन जैसा कि वर्मा जी को विदित है कि ग्रामों में एपरेटस नहीं हैं, पंचायतों के पास कि वे इन पम्पों की मरम्मत करवा सकें, क्योंकि मिस्त्री रखना पड़ेगा और अन्य सामान खरीदना पड़ेगा। इसलिये शासन ने निर्णय लिया कि पंचायतों के इन हैण्ड पम्पों की मरम्मत जल निगम के माध्यम से कराई जाय क्योंकि, उनके पास मिस्त्री, एक्सपर्ट और सामान सब कुछ है और अलग से कोई व्यवस्था नहीं करनी पड़ेगी। वह अपने संसाधनों से इन हैण्ड पम्पों की मरम्मत करा सकेंगे।

श्री मलिक मोहम्मद कमाल यूसुफ--

जल निगम वाले बी0 डी0 ओ0 की सुनते कहां हैं, ऐसी कोई व्यवस्था कर दें कि ये जल निगम वाले बी0 डी0 ओ0 के अन्डर में हो जायं ।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

इस सुझाव पर विचार किया जायगा। चूंकि अब यह जल निगम के माध्यम से होगा, इसलिये वर्मा जी ने जो चर्चा की, उसकी अब आवश्यकता नहीं होगी। यह योजना प्रदेश के 106 विकास खण्डों में चल रही है। सबने शिकायत की कि जो सामान बंटता है, ठीक से नहीं बंटता है। हमने निर्णय लिया कि जिन सभी विकास खण्डों में यह योजना चल रही है, उसकी देखरेख ठीक से नहीं हो पाती, इसलिये इन्हीं विकास खण्डों में यह योजना चलाई जाय जहां डी0 डब्लू0 सी0 आर0 ए0 की योजना चलाई जायगी। वर्माजी को पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश का फोबिया सा है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश की सब योजना तोड़ रहे हैं और पूर्वी उत्तर प्रदेश में सब योजना ले जा रहे हैं। मान्यवर, योजना की संरचना नार्म्स के आधार पर होती है । डी0 डब्लू0 सी0आर0ए0 की योजना है, उसके नार्म्स बने हुए हैं, उस नार्म्स में जो जिला आयेगा उस जिले में योजना लागू कर सकते हैं । भारत सरकार की जो गाइडलाइन्स हैं, उसमें यह है कि डी0 डब्लू0 सी0 आर0 ए0 लागू करते समय जिन जिलों का चयन किया जाय उसमें देखा जाय कि उस जिले में "परसेंटेज आफ पापुलेशन बिलो दि पार्वटी लाइन"- जहां अधिक है, उन जिलों का चयन करें। "चिल्ड्रेन मारटेलिटी रेट"- जिन जिलों में ज्यादा है, हम उन जिलों को प्रायरटी दें। "फेमिली लिटरेसी परसेन्टेज जिन जिलों में लो है उन जिलों को लें इस तरह से यह तीन कन्डीशन्स हैं । जिन जिलों में यह तीन कंडीशन्स लागू होंगी, हमें उस जिले का चयन करना पड़ेगा डी0 डब्लू0 सी0 आर0 ए0 की योजना चालू करने में। अब इसमें पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले ज्यादा आ जाते हैं, तो वर्मा जी को एतराज नहीं होना चाहिये। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले इन तीन केटिगरीज में नहीं आते हैं तो हम मजबूर हैं। मान्यवर, किसी उद्देश्य के लिये योजना चलती है। गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम है, गरीबी की रेखा से नीचे जहां ज्यादा महिलायें हैं, जहां पर बच्चों की मृत्यु दर ज्यादा है, उन जिलों को प्रायरटी देनी पड़ती है।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी, कितना समय और लेंगे ?

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

आप जितनी देर कहें । मेरे पास तो कहने के लिए काफी बातें हैं ।

श्री अधिष्ठाता—

सूक्ष्म में कहें।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि पूर्व और पश्चिम के भेदभाव का प्रश्न नहीं है। माननीय सरदार सिंह जी ने अपने भाषण में कहा कि आर0 ई0 एस0 विभाग और जो अन्य संस्थायें सड़क आदि बनाती हैं, उनको तोड़ दिया जाय। पी0 डब्लू0 डी0 से कार्य कराया जाय। मान्यवर, इतना बड़ा प्रदेश है। तमाम जगहों पर छोटे मोटे स्कूल बनते हैं, हेल्थ सेंटर बनते हैं, सड़कें बनती हैं, लिंक रोड बनते हैं, सड़कें बनती हैं छोटी पुलियां बनती हैं और भी इस तरह के तमाम छोटे मोटे काम होते हैं- पी0 डब्लू0 डी0 इन सारे कार्यों को आप समझें कि क्या कर सकेगी । यह विचार करना युक्तिसंगत नहीं होगा। पी0 डब्लू0 डी0 विभाग प्रदेश में बड़े-बड़े काम कर रहा है। बड़े-बड़े भवनों

का निर्माण कर रहा है, सड़कों का निर्माण कर रहा है, पुलों का निर्माण कर रहा है। अब छोटे मोटे जो ग्रामीण अंचलों के बहुत से काम हैं, अगर उन्हें पी0 डब्लू0 डी0 को सौंप दें, तो पी0 डब्लू0 डी0 उस तरफ कितना ध्यान दे पायेगा।

मान्यवर, 1942 में ग्रामीण अंचलों के प्राइमरी स्कूलों के निर्माण का कार्य पी0 डब्लू0 डी0 को दिया गया। 50 हजार, 60 हजार की लागत के प्राइमरी स्कूल बनाने की उसे फुर्सत ही नहीं मिली। 2-3 साल तक विभाग में रुपया पड़ा रहा, स्कूल भवन का निर्माण नहीं हो सका। मान्यवर, जब प्रदेश में आर0 ई0 एस0 की संरचना हुई, उसे छोटे-मोटे काम सौंपे गये, तब आर0 ई0 एस0 के माध्यम से यह छोटे मोटे काम बड़ी तेजी से होने लगे। जहां तक माननीय सदस्यों ने कहा कि गुणवता में सुधार होना चाहिए, खामियां दूर करनी चाहिये, जहां पर काम खराब हो रहा है, वहां निगरानी की जानी चाहिये, मान्यवर, इस पर शासन पूरी तरह से सजग है।

मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि जहां कहीं भी शिकायत मिलती है कि काम खराब हो रहा है, जहां भी किसी अधिकारी/कर्मचारी की शिकायत मिलती है कि घपला किया है या घोटाला किया है या कोई गड़बड़ी की है, शासन स्तर पर उस पर कार्य-वाही करने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी जाती है। इसी तरह से माननीय गुप्ता जी ने कहा . . .

श्री अधिष्ठाता—

माननीय मंत्री जी गुप्ता जी चले गये, अब जो मौजूद हैं, उनका उत्तर दे दीजिये।

श्री श्याम सूरत उपाध्याय—

मान्यवर, एक चीज और कहना चाहूंगा। डी0आर0डी0ए0 के माध्यम से जो काम होते हैं, उसमें विधायक व सांसद दोनों लोग शरीक होते हैं, इसलिए यह कहना कि जो योजना स्वीकृत होती है, वह वहां पर बन नहीं पाती, बात समझ में नहीं आती है। डी0 आर0 डी0 ए0 योजना स्वीकृत करता है और धन आवंटित करता है, यदि काम नहीं होता है तो यह आपकी और हमारी जिम्मेदारी होती है। इसके लिए तो आपको और हमको स्वयं जागरुक रहना पड़ेगा। यदि हम जागरुक नहीं रहेंगे तो कर्मचारियों व अधिकारियों को गड़बड़ी करने का मौका मिल जायेगा। इसी के साथ ही मैं जिन माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में भाग लिया, उनके प्रति आभार प्रकट करता हूं।

श्री अधिष्ठाता—

माननीय वर्मा जी, आप अपने कटौती के प्रस्ताव को वापस ले रहे हैं।

श्री राम आसरे वर्मा—

मान्यवर, माननीय मंत्री जी अपने चश्मे से ही सबको देखते हैं (उन्हें अधिकारी ही अधिकारी नजर आते हैं इसी को दूसरे पर भी लागू करते हैं।)। मैंने पंचायत भवनों का मसला उठाया, निदेशालय का मसला उठाया। मैंने तो इनकी कार्य-पद्धति का मामला उठाया था, लेकिन माननीय मंत्री जी ने उन सबको ताक पर रख दिया, इस-लिए ऐसी स्थिति में कटौती के प्रस्ताव को वापस लेने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2,65,14,00,000 रुपए से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,86,41,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या–19 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1988 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–19–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 35,60,36,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

13 जुलाई, 1987 को विधान सभा की दर्शक दीर्घाओं के लिए प्रवेश पत्र जारी न किये जाने की सूचना

श्री अधिष्ठाता–

मद संख्या–8 लेने से पहले मैं सदन को एक सूचना देना चाहता हूं।

''माननीय अध्यक्ष ने यह निर्देश दिये हैं कि दिनांक 13 जुलाई, 1987 को विधान सभा की दर्शक दीर्घाओं के प्रवेश पत्र जारी नहीं किए जाएंगे।''

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र, बांसडीह में हो रही हत्याओं के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

*गृह राज्य मंत्री (श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान)--

[प्राप्त सूचनानुसार जनपद बलिया के बांसडीह विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1982 से वर्ष 1987 तक की अवधि में कुल सात व्यक्तियों की हत्यायें धारदार हथियारों से उनके मुंह, गर्दन एवं सिर पर चोटें पहुंचा कर की गयीं। मृतकों के नाम निम्नवत् हैं :-

(1) श्री भागवत, निवासी गायघाट, थाना रेवती, जिला बलिया ।

(2) श्री विश्वनाथ ओझा निवासी गायघाट, थाना रेवती, जिला बलिया।

(3) श्री सियाराम सिंह, निवासी ग्राम राजागांव खरौनी, थाना बांसडीह, जिला बलिया।

(4) श्री हरिमाधव सिंह, निवासी ग्राम राजागांव खरौनी, थाना बांसडीह, बलिया।

(5) श्री कन्हैया निवासी ग्राम छोटकी सेरिया, थाना बांसडीह, जिला बलिया।

(6) श्री विन्ध्याचल सिंह, निवासी ग्राम करम्बर, थाना खेजुरी, जिला बलिया।

(7) श्री बैजनाथ सिंह, निवासी सहतवार, थाना सहतवार, जिला बलिया।

2-इनमें 1982 में 3, 1984 में 1, 1986 में 2 तथा 1987 में 1 हत्या की घटना हुई । उपरोक्त सभी अभियोगों में अपराध पंजीकृत कर विवेचना की गई तथा अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र प्रेषित किये गये।

3-दिनांक 6-4-87 को सायंकाल लगभग 7.45 बजे कस्बा व थाना सहतवार के प्रतिष्ठित एवं सक्रिय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, श्री बैजनाथ सिंह की हत्या धारदार हथियारों से चोट पहुंचाकर कर दी गयी। इस घटना के सम्बन्ध में मृतक के भाई श्री केदार नाथ सिंह द्वारा दिनांक 6-4-87 को दी गयी लिखित सूचना के आधार पर एक अभियोग अन्तर्गत धारा 147/148/149/307/302 भा0 दं0 वि0 तथा 5 एक्सप्लोसिव एक्ट पंजीकृत किया गया तथा विवेचना के उपरान्त 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया तथा आरोप-पत्र 30-5-87 को न्यायालय प्रेषित किया गया।

4-उपरोक्त सभी हत्या की घटनाओं की जांच के दौरान यह प्रकाश में आया कि यह सभी हत्यायें विभिन्न कारणों से उत्पन्न आपसी रंजिश के कारण की गयी हैं। इन हत्याओं में नक्सलपंथी विचारधारा के व्यक्तियों का कोई हाथ होना नहीं पाया गया।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हत्या के कुछ मामलों में हत्यारों द्वारा घटनास्थल पर कुछ नक्सलपंथी पर्चे आदि फेंके गये थे किन्तु यह कार्यवाही केवल पुलिस को भ्रम में डालने के लिए की गयी थी। बांसडीह विधान सभा क्षेत्र में नक्सलियों की कोई गतिविधियां प्रकाश में नहीं आयी हैं। बांसडीह विधान सभा क्षेत्र के उच्च वर्ग के लोगों में किसी प्रकार का भय या आतंक की भावना नहीं है।]

*श्री रवीन्द्र नाथ तिवारी–

मान्यवर, मा0 मंत्री जी के वक्तव्य के सन्दर्भ में, सभी हत्यायें एक प्रकार से की गयी हैं धारदार हथियार से मुंह, गर्दन और सर पर चोटें पहुंचा कर और 7–8 बजे शाम के बीच में ही की गयी हैं और इस तरह की हत्याओं के समय नक्सलपंथी विचारधारा के परचे छोड़ दिये गये। अन्त में माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कह दिया कि सभी जो हत्यायें हुई हैं, आपसी रंजिश की वजह से हुई हैं। मैं जानना चाहूंगा कि बैजनाथ सिंह की हत्या किस रंजिश के कारण की गयी? और जब सारी हत्यायें एक ही तरह से हुई तो क्या इन्हें इग्जीक्यूट करने वाला हत्यारों का कोई गिरोह है जो ऐसी हत्यायें करता है? क्या जांच में ऐसा कोई तथ्य सामने आया है?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

ऐसे कोई तथ्य सामने नहीं आये हैं। हत्याओं की संख्या में भी कमी हुई है। 1982 में 3, 84 में 1, 86 में 2 और 87 में अब तक 1 हत्या का प्रकरण प्रकाश में आया है। दूसरी बात जो आपने कही बैजनाथ सिंह की हत्या के क्या कारण थे, तो इसमें आपस में ही पट्टीदारों में भूमि विवाद इसका कारण है।

श्री रघुबर दयाल वर्मा–

क्या मा0 मंत्री जी, श्री बैजनाथ सिंह की हत्या के समय जो साहित्य था और जो साक्ष्य सामने आये हैं, सारे प्रकरण की जांच सी0 आई0 डी0 से करायेंगे?

श्री सुरेन्द्र सिंह चौहान–

मान्यवर, करा देंगे।

आगरा कालेज के बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक में व्यवधान उत्पन्न होने के सम्बन्ध में वक्तव्य

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया।)

उच्च शिक्षा राज्य मंत्री (श्री प्रवीण कुमार शर्मा)–

[आगरा कालेज, आगरा के संचालन हेतु शासन द्वारा वर्ष 1944 में जिला जज, आगरा के आदेश दिनांक 2-11-44 के अनुसार नियम निर्मित किये गये थे, जो कि जिला जज, आगरा के आदेश दिनांक 26-2-60 तथा दिनांक 27-5-67 के परिप्रेक्ष्य में संशोधित किये गये। यह नियम "रूल्स आफ गवर्नमेन्ट फार द मैनेजमेन्ट आफ द आगरा कालेज, आगरा" कहलाते हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

इन नियमों के अन्तर्गत कालेज के संचालन एवं प्रशासन हेतु नियम 2 के तहत बोर्ड आफ ट्रस्टीज का गठन निम्नवत् होता है :—

(1) आफिशियल मेम्बर्स,

(2) नान-आफिशियल मेम्बर्स, जो शासन द्वारा नामित किये जाते हैं।

नियम 3 के अन्तर्गत निम्नवत् पदेन अधिकारी होते हैं :—

(अ) आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा

(ब) कलेक्टर, आगरा

(स) शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश

"ए" श्रेणी के नान-आफिशियल सदस्यों की नियुक्ति नियम 4 के अधीन शासन द्वारा की जा सकती है।

नियम 6 के अनुसार आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा बोर्ड आफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष तथा कलेक्टर, आगरा उपाध्यक्ष होते हैं। नियम 13 के अनुसार प्राचार्य आगरा कालेज, आगरा बोर्ड आफ ट्रस्टीज के पदेन सदस्य सचिव होते हैं।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज में जो भी नान-आफिशियल सदस्य नियुक्त हैं, वे नियम 4 के अन्तर्गत शासन द्वारा नामित कर नियुक्त किये गये हैं। नान-आफिशियल सदस्यों की नियुक्ति के लिए नियमों में किसी प्रकार की अर्हता निर्धारित नहीं है।

जहां तक दिनांक 28 जून, 1987 की बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक में हंगामा, गाली-गलौज और प्राचार्य के साथ अभद्र व्यवहार किये जाने की बात है, उपलब्ध सूचनानुसार आयुक्त, आगरा मण्डल, आगरा तथा कलेक्टर, आगरा जो क्रमशः बोर्ड आफ ट्रस्टीज के अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष हैं, उस बैठक में भाग नहीं ले सके थे क्योंकि आयुक्त नगर के बाहर गये हुए थे तथा कलेक्टर उस समय महत्वपूर्ण शासकीय कार्य में व्यस्त थे।

दिनांक 28 जून, 1987 की बोर्ड आफ ट्रस्टीज की बैठक में पूर्वान्ह में 11 बजे कुछ सदस्य बैठक में भाग लेने आये तो उनके साथ लगभग 40-50 अवांछनीय तत्व भी सभागार में घुस आये और खाली कुर्सियों पर कब्जा कर लिया। इन लोगों ने कालेज के प्राचार्य, डा0 एस0 एन0 श्रीवास्तव तथा ट्रस्ट के कुछ सदस्यों के विरुद्ध अशोभनीय नारे लगाये तथा अभद्र व्यवहार किया। अतः इस स्थिति में उक्त बैठक सम्पन्न न हो सकी।

बोर्ड आफ ट्रस्टीज नियमानुसार गठित है।]

श्री अधिष्ठाता–

यह केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार हुआ था, इस पर कोई अनुपूरक नहीं होगा।

अब हम उठते हैं सोमवार को 11 बजे पुनः बैठेंगे।

(इसके बाद सदन सायंकाल 6 बजकर 51 मिनट पर सोमवार, दिनांक 13 जुलाई, 1987 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :
11 जुलाई, 1987

लाल चन्द्र शुक्ल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

पी0 एस0 यू0 पी0–एल0 169 वि0 सभा (306)–1987–813।